खण्ड-171, अंक-1
सोमवार, 20 चैत्र, शक संवत् 1878
(9 अप्रैल, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 171 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
लखनऊ शहर में सभाओं, भाषणों और जुलूसों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी ।)	२१
लखनऊ में धारा १४४ लगाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रवेश घोषित)	२१–२२
सदन का भावी कार्य क्रम	२२–२३
श्री रामेश्वर लाल द्वारा सदन त्याग	२३
कृषि आय कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित किया गया) ..	२३
राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य तथा संविधान के संशोधन के निमित्त सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार (जारी) ..	२३–७०
नत्थियां	७१–७८

प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभामंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२७३)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गंदासिंह, श्री
गोबर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री

झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजन सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री

यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह श्री
रघुवार सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधानसिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारताय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लखराज सिंह, श्री
वंशाधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजराना मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री

सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

तारांकित प्रश्न

मोलनापुर, जिला आजमगढ़ गाव समाज के अध्यक्ष पद पर अदालत पंचायत के सदस्य का नाम निर्देशन

*१—**श्री रामसुन्दर पान्डेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत मोलनापुर गांव समाज के अध्यक्ष के मुअत्तल होने पर उप-प्रधान के होते हुये भी अदालत पंचायत का सदस्य परगनाधीश द्वारा अध्यक्ष पद पर नामजद किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

माल मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां । परगनाधीश को नियमानुसार अधिकार प्राप्त है कि वह भूमि प्रबंधक समिति के किसी सदस्य को उसका अध्यक्ष नामजद कर लेवे। जब उनको यह पता चला कि नामजद किया हुआ अध्यक्ष समिति का सदस्य नहीं था तब तुरन्त उन्होंने समिति के सदस्यों में से दूसरा अध्यक्ष नामजद कर लिया ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश ने उस व्यक्ति को जो अदालती पंच था, कब चेयरमैन नामजद किया था और उससे वह पद छीन करके दूसरे को नामजद कब किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसकी नामजदगी के एक महीने बाद दूसरे आदमी को नामजद किया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास उस गांव सभा के २५ सदस्यों ने ७-११-५५ को कोई प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि उप-प्रधान के रहते हुये परगनाधीश ने ऐसे पंच को जो ग्राम सभा का पंच नहीं था, नामजद किया और उसकी जांच की जाय यदि हां, तो क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपाध्यक्ष के रहते हुये फिर क्या आवश्यकता हुयी कि दूसरे किसी पंच को अध्यक्ष का पद दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह कोई जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ही नामजद किया जाय । साधारणतया उपाध्यक्ष को नामजद करना चाहिये । बल्कि इस केस में यह था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक ही ग्रुप के थे और सारी इर्रेगुलेरिटीज जो अध्यक्ष ने की थी उसमें उपाध्यक्ष भी शामिल था । इसलिये मुनासिब नहीं था कि उपाध्यक्ष को नामजद किया जाय । इसीलिये दूसरे को नामजद किया गया ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---तो फिर क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष के पद से क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी जरूरत इसलिये नहीं समझी गयी कि अध्यक्ष दूसरा हो गया इसलिये उपाध्यक्ष कोई गड़बड़ी नहीं कर सकेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन सा ऐसा नियम है कि जिसके द्वारा उप-प्रधान के रहते हुये किसी और पंच को नामजद किया जा सकता है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---नियमावली देखने का कष्ट करेंगे तो उसके नियम ११० कक में मिल जायगा ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिये हाकिम परगना द्वारा घोषित किया गया था वह व्यक्ति अध्यक्ष घोषित होने के बाद भी अदालती पंचायत का भी सदस्य बना रहा और कार्य करता रहा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी । लेकिन हटाने की जरूरत इसलिये पड़ी क्योंकि वह सदस्य नहीं था मैनेजिंग कमेटी का ।

रोडवेज के कतिपय कर्मचारियों की पदोन्नति-व्यवस्था

*२---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि रोडवेज के प्रधान लिपिकों (हेड क्लर्क) एकाउन्टेन्ट और आशुलिपिकों के पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो सरकार ने इन लोगों की पदोन्नति-हेतु क्या व्यवस्था सोची है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कथित कर्मचारियों के पदोन्नति की इस समय कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है । इस सम्बन्ध में इस विभाग के कर्मचारियों के लिये सर्विस रूल्स बनाने के लिये सरकार ने हाल ही में एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन कर्मचारियों का ग्रेड क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

नोट---तारांकित प्रश्न २ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज और ट्रांसपोर्ट में प्रधान लिपिकों और आशुलिपिकों को एक ही ग्रेड मिलता है अथवा भिन्न है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये भी नोटिस की जरूरत होगी ।

फैजाबाद जिले के कुछ गांवों को आजमगढ़ जिले में मिलाने के कारण

*३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले के कुछ गांव आजमगढ़ जिले में मिलाये गये हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन गांव हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां । फैजाबाद जिले के ९ गांव जो आजमगढ़ जिले में मिलाये गये हैं । उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह गांव जो फैजाबाद जिले के आजमगढ़ जिले में मिलाये गये हैं इनके मिलाये जाने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जो इस तरह के ऐनक्लेव्ज थे फैजाबाद जिले में यह सारे ९ के ९ गांव में ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से जरूरी था कि मिलाये जायं, इसलिये मिलाये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को यह भी जानकारी है कि आजमगढ़ जिले के और फैजाबाद जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जो बीच में पड़ते हैं और उनको मिलाये जाने की भी आवश्यकता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसे कोई गांव अभी तो मालूम नहीं हैं ।

श्री रामेश्वर लाल---क्या सरकार प्रान्त-व्यापी कोई ऐसा सर्वे कराने जा रही है जिससे इस तरह के गांवों को दूसरे जिलों में जहां उनका प्रबंध अच्छा हो सकता है मिलाया जा सके, इस तरह की किसी योजना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं मालूम होती कि प्रान्त-व्यापी सर्वे कराने की जरूरत हो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री जी को ज्ञात है कि फैजाबाद जिले की पांच-सात पंचायतों के पंचों ने सरकार के पास इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया था कि हमारे ये सब गांव आजमगढ़ जिले में मिला दिये जायं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरण सिंह---जी हां । अकबरपुर तहसील की कुछ पंचायतों ने श्री जीत बहादुर सिंह के नेतृत्व में इस तरह का आवेदन पत्र दिया था लेकिन गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची दोनों जिलाधीशों की रिपोर्ट पर और एल०आर० सी० की रिपोर्ट पर कि यह मुमकिन नहीं होगा । उनको जो आराम दीखता था आजमगढ़ जाने में वह आराम उनको नहीं मिलता था और वह उनको तब मिल सकता था जबकि अकबरपुर में कोई मुंसिफी हो जाय या आजमगढ़ में अतरौलिया में कोई नयी तहसील बनायी जाय । अतरौलिया में कोई नयी तहसील बन नहीं सकती और यहां अकबरपुर में नयी मुंसफी खोलने पर विचार हो रहा है ।

रामपुर जिले में लगान के सर्किल रेट की अधिकता

*४—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि रामपुर जिले में लगान के सर्किल रेट दूसरे निकट के जिलों से अधिक है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सन् १९३८-३९ में खाद्यान्नों के मूल्य में भारी कमी के कारण रामपुर के समीपवर्ती जिलों में लगान में कमी की गयी थी परन्तु उसी के शीघ्र पश्चात् खाद्यान्नों के मूल्य कई गुना अधिक बढ़ जाने पर भी लगान का सर्किल रेट वही रहा। रामपुर जिले में लगान के सर्किल रेट पूर्ववत ही हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में सर्किल रेट क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, कई सर्किल रेट कई जमीनों के हैं। वह सब अलग-अलग दिये हैं। यह बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष—बहुत लम्बी लिस्ट है तो रहने दीजिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार रामपुर जिले के सर्किल रेट को दूसरे जिलों के बराबर करने पर विचार करेगी ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सब से ज्यादा सर्किल रेट जो है वह कितना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कहीं पर ११ रुपये के करीब पड़ता है लेकिन लगान और आबपाशी मिलाकर जो रामपुर में पड़ता है वह दूसरे समीपवर्ती जिलों से ज्यादा नहीं है करीब-करीब बराबर है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि जिस समय यह सर्किल रेट तैयार किये गये थे उसके बाद भूमि के सम्बन्ध में बहुत परिवर्तन हो चुका है तो फिर से वह सर्किल रेट का पुनरीक्षण करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यह आम प्रश्न है। भूमि की किस्म में परिवर्तन नहीं हुआ है भाव में परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि एक ही साल सारे सूबे में सेटिलमेंट नहीं हुआ इसलिये सर्किल रेट में फर्क है। अब हम दोबारा सेटिलमेंट यों नहीं करना चाहते कि हमें डर है कि सर्किल रेट बढ़ जायंगे बजाय घटने के।

*५—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिलों में चकबंदी योजना का प्रवर्तन

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् १९५६ के द्वितीय सप्ताह में प्रदेश के ४ जिलों में चकबन्दी योजना चालू करने का निश्चय सरकार ने किया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में और कब से ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। जनवरी सन् १९५६ के द्वितीय सप्ताह में प्रदेश के चार अन्य जिलों में चकबन्दी योजना चालू करने का ऐसा कोई निश्चय सरकार ने न किया था। किन्तु इस वित्तीय वर्ष में जिला गोरखपुर, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और इटावा में सरकार चकबन्दी योजना लागू करने का विचार कर रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन जिलों में जो चकबन्दी योजना लागू होने वाली है वह कब से लागू होगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह अक्तूबर के लगभग लागू होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन जिलों की किन-किन तहसीलों में यह योजना लागू होगी? क्या सरकार ने इसका निर्णय किया है, यदि हां, तो वह कौन-कौन सी तहसीलें हैं?

श्री चरण सिंह—डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन ने जिलाधीशों से राय मांगी होगी, ऐसा कायदा है। मांग चुके हैं या नहीं। मांग चुके हैं अभी यह नहीं कहा जा सकता।

*७-८—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

राजनीतिक सम्मेलन, जालौन द्वारा विलीन आबी व पाही टैक्स की माफी की मांग

*९—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कस्बा जालौन में हाल ही में होने वाले जिला राजनैतिक सम्मेलन की ओर से सरकार के पास यह मांग आई है कि इस वर्ष चकबन्दी योजना में शामिल किये जाने वाले जिलों में जिला जालौन भी सम्मिलित कर लिया जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*१०—**श्री बसन्तलाल**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त राजनैतिक सम्मेलन ने सरकार से यह भी जोरदार शब्दों में मांग की है कि डि० जालौन में विलीन रियासत बावनी में काश्तकारों से लगने वाले आबी तथा पाही टैक्स जल्द से जल्द माफ किये जायं? अगर हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजनीतिक सम्मेलन के प्रबल इच्छानुसार चकबन्दी योजना में इस साल जिला जालौन भी सम्मिलित कर लिया जायगा? अगर नहीं, तो सरकार इसके कारणों पर प्रकाश डालेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस साल तो वित्तीय वर्ष में बता दिया गया है कि पांच जिले लिए गये हैं। इसलिये अभी जालौन का सवाल नहीं उठता।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को मालूम है कि बावनी रियासत में नवाब साहब काश्तकारों से आबी तथा पाही टैक्स बेगार के रूप में लगान की तरह वसूल करते थे? अगर हां, तो सरकार इन टैक्सों के बारे में क्या नीति अख्तियार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बेगार के तौर पर लिया जाता था, ऐसी तो कोई सूचना नहीं है बल्कि यह लगान था, लगान का एक जुज था ऐसी सूचना है सरकार के पास इसलिए वह वसूल किया जा रहा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या प्रदेश के किसी और हिस्से में आबी तथा पाही टैक्स लगाया जाता है, यदि नहीं, तो उस आबी तथा पाही टैक्स की परम्परा वहां क्यों है?

श्री चरण सिंह---अब इसका जवाब तो बावनी के नवाब देंगे। वह तो जो लगान वे दे रहे हैं वह लगान ही था जिसकी बाबत शिकायत है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लगान अलग है और यह आबी और पाही टैक्स अलग है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने जैसा अभी अर्ज किया वह लगान का जुज है । नवाब साहब जो वहां आबी जमीन है उस का जो लगान लेते थे वह आबी कहाता था और पाही यानी रियासत से बाहर रहने वाले जो लोग होते थे उनसे जो लगान लेते थे उसे पाही लगान कहा जाता था।

चरखारी व कोहनियां, जिला हमीरपुर में भूदान में प्राप्त भूमि के पट्टे

*११---**श्री जोरावर वर्मा**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी तक प्रदेश में भूमिदान में कितनी भूमि प्राप्त हुई और उसमें से कितनी भूमि के पट्टे दे दिये गये हैं ? क्या सरकार जिलेवार इस प्रकार की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल ३,३०,८९२ एकड़ तथा उक्त भूमि से पट्टे पर उठाई गई भूमि का क्षेत्रफल ८०,५४६·४ एकड़ है। इस सम्बन्ध में जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७२-७३ पर।)

*१२---**श्री जोरावर वर्मा**---क्या सरकार बतायेगी कि चरखारी और कोहनिया (जिला हमीरपुर) में जो पट्टे दिये गये उनमें से कितने पट्टेदारों ने अभी तक भूमि पर कब्जा नहीं पाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---चरखारी और कोहनिया (जिला हमीरपुर) में जितने पट्टे दिये गये उन सब पट्टेदारों को भूदान समिति की ओर से कब्जा दे दिया गया, लेकिन कई कारणोंवश सब पट्टेदारों ने कब्जा नहीं लिया है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ३,३०,८९२ एकड़ भूमि में से अभी तक ८०,५४६·४ एकड़ ही दी गई है जो कि चौथाई से भी कम है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---असल में भूमि वितरण का काम हर जिले में भूदान समितियां करती हैं, इससे सरकार से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन यह मालूम पड़ता है कि जमीन कुछ ज्यादा खराब होगी, इसलिये जो काबिल काश्त थी वह वितरित हुई और जो अब काबिल काश्त रह गयी होगी वह वितरित की जा रही होगी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी के पास इस प्रकार की सूचना है कि यह जो भूमिदान यज्ञ में जमीन मिली है उसमें से कितनी काबिल काश्त है और कितनी नहीं हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी, अभी तो कोई इत्तला नहीं है ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में जो पट्टे पर दी गयी जमीनें हैं उनमें से कितनी जमीनों पर पट्टेदारों ने कब्जा किया है ?

श्री अध्यक्ष—इसमें सब जिलों का ब्योरा दिया है। हर जिले का प्रश्न माननीय सदस्य पूछना शुरू करें तो ५० सवाल हो जायं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिससे यह पता चल सके कि कम से कम कितने लोगों के पट्टे दिये गये हैं और उनमें से कितने लोगों ने वास्तव में कब्जा दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पट्टे तो करीब-करीब ७० आदमियों को ५ जिलों में दिये गये लेकिन कुछ लोगों ने कब्जा नहीं लिया है। कारण यह है कि एक तो हल-बैल नहीं था या जमान ऐसा थी कि उन्हें डर था कि लोग इसको चौपट कर देंगे और उन्होंने कब्जा नहीं किया।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कोहनिया और चरखारी के उन लोगों ने जिनको कि पट्टे दिये गये हैं जिलाधीश और सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजा कि उन्हें जो पट्टे दिये गये हैं कुछ लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है और उनको कब्जा नहीं करने देते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि चरखारी निवासी झगड़ू हरिजन ने माननीय मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें कि उसने अदालती पंचायत, तहसील से और ग्राम समाज से उस जमीन की नियमितता बतलाई है, लेकिन वहां के लोगों ने जबरन उस पर कब्जा कर रखा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, इस वक्त याद नहीं है।

जिला स्तर पर माल विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१३—**श्री गोवर्द्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अन्दर जिला स्तर के दफ्तरों में माल विभाग के मातहत कितने अस्थायी कर्मचारी जनवरी, ५६ में कार्य कर रहे थे ?

*१४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों में से कितने ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर कार्य करते हुये १० वर्ष से अधिक हो गये हैं और कितने ऐसे हैं जिन्हें १० वर्ष से कम किन्तु ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं ?

*१५—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन अस्थायी कर्मचारियों को कार्य करते हुये ५ साल से अधिक हो गया है उनमें कितने qualified और कितने unqualified हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन प्रश्नों का उत्तर देने में अभी कुछ और समय लगेगा क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है।

श्री गोवर्द्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नों से संबंधित विषयों की जानकारी कब तक सम्भव हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तो निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह सूचना आ जाय।

*१६-१८—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** [जिला अलीगढ़)—[३० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--[३० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

मोटर ट्रकों से अवैध यात्रा

*२०--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या यातायात मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राइवेट लारियों तथा सरकारी बसों में जाने वाले बहुत से लोग मोटर ट्रकों में यात्रा करते हैं जिससे सरकार को काफी आर्थिक क्षति पहुंचती है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सही है कि कुछ लोग कानून के खिलाफ मोटर ट्रकों पर यात्रा करते हैं जिससे प्राइवेट लारियों तथा सरकारी बसों को क्षति पहुंचती है। इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स इन ट्रकों की विशेष रूप से जांच करते हैं और कानून का उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाता है।

*२१--श्री रामदुलारे मिश्र--क्या यातायात मन्त्री मोटर ट्रकों द्वारा निरन्तर होने वाली दुर्घटनाओं और गैरकानूनी तरीकों पर सवारियों को बिठाने के कार्यों को ध्यान में रखते हुये मोटर ट्रकों को दिन के बजाय रात्रि में चलने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि देहाती क्षेत्रों में उपरोक्त विभाग के कर्मचारियों की व्यवस्था न होने से ट्रक वालों को गैर कानूनी कार्य करने का मौका मिलता है ? अगर हां, तो इसे दूर करने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई सूचना तो नहीं है। हमारा इन्फोर्समेंट स्क्वाड तो हर जगह देखता है, चेकिंग करता है। जहां कहीं कोई गैरकानूनी कार्रवाइयां होती हैं वहां लोग पकड़े जाते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या मन्त्री जी मोटर ट्रकों द्वारा निरन्तर बढ़ने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी तो बराबर रिपोर्ट्स आती हैं और कोशिश की जाती है कि दुर्घटनायें कम हों। जहां-जहां दुर्घटनायें होती हैं उनकी रिपोर्ट की जाती है और उनसे कहा जाता है कि उनको बचाया जाय।

भूतपूर्व क्षेत्रपतियों के हाथ मालगुजारी जमा करने की मनाही

*२२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार १७ अक्तूबर, १९५५ के प्रश्न संख्या ४, ५ और ६ के उत्तर के सम्बन्ध में बतलाने की कृपा करेगी कि अधिवासी किसानों से १५ जून, सन् १९५६ के पहिले क्षेत्रपतियों को मालगुजारी प्रदान करने की मनाही की गई थी ? यदि हां, तो कब और कैसे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, अधिवासी किसानों को मनाही अप्रैल, १९५५ में बजरिये नोटिस की गई थी जो तहसीलदार के दस्तखत व मुहर से लेखपालों द्वारा जारी हुआ। इसके अलावा कलेक्शन अमीनों के जरिये भी मुनादी की गई थी।

*२३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के कितने क्षेत्रपतियों ने कितना रुपया शिकमी खेतों का १३६२ फसली में मालगुजारी में जमा किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तहसील के कार्यालय में इस सम्बन्ध में कोई ऐसे कागजात नहीं हैं जिससे यह पता चल सके कि कितने क्षेत्रपतियों ने शिकमी खेतों के लगान का कितना रुपया मालगुजारी में जमा किया है।

*२४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १३६२ फसली में घोसी तहसील में अधिवासियों से कुल कितना रुपया मालगुजारी का वसूल किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---२१,००० रु० के लगभग वसूली हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २१ हजार रुपये जो शिकमी किसानों से वसूल किये गये हैं ये किस महीने से किस महीने तक के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---किस महीने में वसूल हुये, इसके लिये तो नोटिस चाहिये लेकिन यह बहुत काफी रुपया था और बहुत कम वसूल हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कम वसूली होने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एक तो कागजात देर से तैयार हुये, दूसरे वहां बाढ़ आ जाने से इस वसूली का काम रुक गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार सदन की मेज पर वह आदेश रखने की कृपा करेगी जो तहसील द्वारा लेखपालों के जरिये गांवों में एलान किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो इंस्ट्रक्शन्स में दिया हुआ फार्म है और उसकी मुनादी करायी गई। बाकायदा छपा हुआ फार्म है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के कोई आदेश गांवों में नहीं घुमाये गये और उसी के कारण भूतपूर्व क्षेत्रपतियों ने मालगुजारी वसूल की ?

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट कोई जरूरत नहीं समझती। वजह यह है कि अगर क्षेत्रपतियों ने अपने पुराने अधिवासियों या शिकमियों से लगान वसूल कर लिया खिलाफ़ कानून तो वह उसे वापस ले सकते हैं।

जरहिला कलां, जिला जौनपुर के भूमिधरों से पूरी मालगुजारी की वसूली

*२५---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जरहिला कलां, परगना बयालिसी, जिला जौनपुर में जिन लोगों ने प्रमाण-पत्र लिया है उनमें से किन-किन की मालगुजारी पूरी वसूल की जा रही है और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ग्राम जरहिला कलां, परगना बयालसी, जिला जौनपुर में जिन लोगों ने प्रमाण पत्र लिया है उनमें से निम्नलिखित ६ की मालगुजारी १३६२ फसली में पूरी वसूल की गई, क्योंकि उनके प्रमाण-पत्र का अमलदरामद कागजात में नहीं हुआ था।

१---श्री सुखदेव
२---श्री बलई
३---श्री दुखी
४---श्री निहार
५---श्री सुरजू
६---श्रीमती सुगिया

*२६--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या जिन-जिन लोगों से पूरी मालगुजारी वसूल की जा रही है उनकी इस प्रकार अधिक वसूल की हुई मालगुजारी उनको वापिस दी जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, इस प्रकार अधिक वसूल की गई मालगुजारी १३६३ फसली की देय मालगुजारी में मुजरा की जा सकती है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमिधरी के प्रमाणपत्र के अनुसार किस फसली से मालगुजारी आधी हो जानी चाहिये थी ?

श्री चरण सिंह---जिस तारीख से दस गुना जमा हुआ है उसी तारीख से काश्तकार का लगान आधा हो जाना चाहिये था । इस सवाल का जवाब जो कलेक्टर के यहां से आया है उससे मालूम होता है कि माल विभाग के कर्मचारियों ने गलती की है और उनसे पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या प्रमाण पत्र का आमलदरामद करने के सम्बन्ध में कर्मचारियों को कोई सजा दी गई ?

श्री चरण सिंह---वही तो पूछा जा रहा है, हो सकता है कि उन्होंने १३६१ में ही जमा किया हो ।

*२७---२९---श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०---श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--- [७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

नैनीताल तराई के ग्राम नारायणपुर की जमीन

*३१---श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपनिवेश नैनीताल तराई के ग्राम नारायणपुर के कुछ एलाटीज के पास उनको एलाट की गई जमीन अधिक जमीन से जोत में है ? यह जमीन कितनी है और क्या इस अधिक जोती हुई जमीन को सरकार किसी दूसरे को एलाट करने को सोच रही है ?

श्री चरण सिंह---जी हां । इस जमीन का क्षेत्रफल ११·१४ एकड़ है । इस जमीन को किसी दूसरे को देने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह भूमि गोचर आदि के लिये सुरक्षित रक्खी जावेगी ।

रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के स्टोर पर्चेज आफिसर द्वारा दिल्ली से पुर्जों की खरीदारी

*३२---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर के पर्चेज आफिसर ने १९५६ में स्वयं दिल्ली जाकर मोटर पार्ट्स खरीदे जब कि लखनऊ व कानपुर से पार्ट्स मिल सकते थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---चूंकि मोटर के वह पुर्जे जिनकी बहुत आवश्यकता थी वह अधिकतर कानपुर और लखनऊ में नहीं मिल सके, इसलिये स्टोर परचेज आफिसर ने जो स्वयं देहली जा रहे थे उनको वहां से खरीद लिया ।

*३३—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—इस मोटर पार्ट्स के खरीदने के पूर्व क्या टेलीफोन अथवा अन्य साधनों द्वारा विभिन्न फर्मों से कोटेशन्स प्राप्त कर लिये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरण सिंह—इन मोटर पार्ट्स के खरीदने के लिये आठ विभिन्न फर्मों से लिखित कोटेशन्स प्राप्त किये गये।

हाकिम परगना, देवरिया के विचाराधीन मुकदमे

*३४—श्री रामेश्वरलाल—क्या न्याय मंत्री कृपाकर बतायेंगे कि देवरिया सदर के हाकिम परगना के इजलास में कितने मुकद्दमे, १ साल से अधिक मियाद से चल रहे हैं और उनमें ग्राम समाजों के भूमि सम्बन्धी मुकदमे कितने हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—देवरिया सदर के हाकिम परगना के इजलास में कोई भी मुकदमा एक साल से अधिक मियाद का नहीं चल रहा है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी पता लगायेंगे कि इस प्रश्न का जवाब देने के एक सप्ताह पहले कितने मुकदमे देवरिया सदर के हाकिम परगना के इजलास से दूसरे इजलासों में तब्दील किये गये जो उनके यहां चल रहे थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

*३५—श्री रामेश्वर लाल—[७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३६-३७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[२ मई, १९५६ के लिये प्रश्न १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

यू० पी० स्टेट लाख इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट

*३८—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि यू० पी० स्टेट लाख इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो क्या उस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायेगी?

श्री चरण सिंह—जी हां। यह रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रिपोर्ट में मुख्य-मुख्य बातें कौन सी दी गई हैं?

श्री चरण सिंह—अभी तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी में कौन-कौन सदस्य थे?

श्री चरण सिंह—श्री फूलसिंह उपमंत्री इसके प्रधान थे। श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य हैं और लोग भी थे और कुछ राज्य कर्मचारी थे। बाकी सब लिस्ट इस समय मुझे याद नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आप के पास रिपोर्ट कब आई और हम लोगों को देखने को कब मिलेगी?

श्री चरण सिंह—यह रिपोर्ट सेक्रेटेरियट में आ गई है और अभी नोट के साथ मेरे पास नहीं आई है। यह महीने भर के अन्दर की बात है।

उन्नाव जिलान्तर्गत खिझौली, देवारा और सहिला ग्रामों की ऊसर मिट्टी का विश्लेषण

*३९—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या उद्योग मंत्री उन्नाव के दक्षिण पुरवा निर्वाचन क्षेत्र के न्याय पंचायत केन्द्र खिझौली, देवारा और सहिला की मिट्टी की लवणता और तत्व की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करने के लिये वहां मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण की आवश्यकता पर विचार करेंगे ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां, खिझौली, देवारा और सहिला ग्रामों की ऊसर भूमि का प्रारंभिक निरीक्षण हो चुका है परन्तु विस्तृत विश्लेषण बाद में ही संभव है।

*४०—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव में पाये जाने वाले ऊसर के समस्त भूखंडों का प्रारम्भिक निरीक्षण-कार्य समाप्त हो गया ? यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं, समस्त ऊसर भूखंडों का प्रारंभिक निरीक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ। यह कार्य पूर्ण होने पर ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रारंभिक निरीक्षण का परिणाम क्या हुआ ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि बतलाया है वहां प्रारंभिक निरीक्षण हुआ कि कहां-कहां कितनी ऊसर जमीन है और उसमें क्या कमी है और कैसे उसको खेती के योग्य बनाया जाय, तो जब तक उसकी पूरी एनालिसिस न हो जाय तब तक इसका जबाब नहीं दिया जा सकता।

श्री देवदत्त मिश्र—प्रारंभिक निरीक्षण कब से हो रहा है और कब तक समाप्त होगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह १९५२-५३ से शुरू हुआ है और जितनी जल्दी हो सकेगा खत्म किया जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि जिनके कारण उन्नाव में अधिक ऊसर पाया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं, उनका उत्तर है इसकी जांच हो रही है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन ऊसर भूमि खंडों को जरखेज बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि बतलाया गया, जब तक पूरे तरीके से एनालिसिस न हो जाय तब तक योजना नहीं बन सकती। उसके पूरे होने के बाद ही तय होगा कि क्या कार्यवाही की जा सकती है।

*४१-४३—श्री जोरावर वर्मा—[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ४६-४८ के अन्तर्गत स्थान्तरित किये गये।]

तहसीलों की संख्या घटाने-बढ़ाने की योजना

*४४—श्री बैजनाथप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले की बांसडीह तहसील को सरकार क्यों तोड़ने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बांसडीह तहसील को तोड़ने का सवाल सरकार के विचाराधीन नहीं है, इसलिये उसके तोड़ने का क्या कारण है, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बैजनाथप्रसाद सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बांसडीह तहसील को बलिया तहसील में विलीन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह---सरकार के विचाराधीन एक योजना यह है कि तहसीलों को तो न बढ़ाया जाय। लेकिन कुछ ऐसी तहसीलें हैं कि जहां दो तहसीलों को मिला कर एक एस० डी० ओ० रखने की योजना है। साथ ही एक ऐसी योजना पर विचार हो रहा है कि जिन जिलों में जरूरत से ज्यादा तहसील हैं वहां कुछ घटा दी जायं और जहां तहसीलों की कमी है वहां बढ़ा दी जायं, लेकिन यह तहसील घटाने-बढ़ाने का सवाल बलिया के लिये नहीं है।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांसडीह तहसील का हेडक्वार्टर बांसडीह में ही रहेगा या सरकार उस को बलिया हटाने की सोच रही है ?

श्री चरण सिंह---योजना विचाराधीन है, कहा नहीं जा सकता।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि दो तहसीलों में एक एस० डी० ओ० रखा जायगा, इसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह---इसमें इक्जामिनेशन हो रहा है, एक पहलू है ऐडमिनिस्ट्रेशन का। अभी गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं हुआ।

*४५-४७---**श्री झारखण्डे राय** (जिला आजमगढ़)---[७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८-४९---**श्री राजाराम किसान** (जिला प्रतापगढ़)---[३० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

राय सिक्ख परिवारों के आवास विषयक प्रश्न

*५०---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने इस प्रदेश में भारत विभाजन के बाद आये हुये राय सिक्ख परिवारों को बसाने के हेतु भारत सरकार के पास स्वयं एक योजना भेजी है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५१---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---[७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद के एक व्यक्ति द्वारा हवालात में अनशन

*५२---**श्री जगदीश प्रसाद** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील हसनपुर जिला मुरादाबाद में एक व्यक्ति ने जिन्हें कि कृषि आय कर के सम्बन्ध में हवालात में बन्द कर रक्खा गया है हवालात में ५,६ दिन से अनशन कर रक्खा है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, हसनपुर तहसील के एक कर-दाता को, जिन्होंने लगातार कृषि आय कर नहीं दिया था, ६ मार्च, १९५६ से १० मार्च, १९५६ तक बन्दीगृह में बन्द कर दिया गया था और उस समय में उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया था।

नोट---तारांकित प्रश्न ५० श्री रामसुभग वर्मा ने पूछा।

*५३--श्री जगदीश प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उस हवालात में पेशाब पाखाने का कोई प्रबन्ध नहीं है तथा उन्हें रात्रि में ओढ़ने के लिये कोई कपड़ा नहीं दिया गया ?

श्री चरण सिंह--बन्दीगृह में शौचालय का कोई प्रबन्ध नहीं है किन्तु उनको इसके लिये आवश्यक सुविधायें दी गई थीं और उन्हें इसके लिये बाहर ले जाया जाता था। ओढ़ने के लिये उन्हें कम्बल दिया गया था।

*५४-५५--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--[७ मई, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

एग्रीकल्चरल शिक्षण स्कूल चिरगांव, जिला झांसी

*५६--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि एग्रीकल्चर शिक्षण स्कूल चिरगांव (झांसी) के स्थायी करने का प्रश्न उसके विचाराधीन है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विचार न करने का क्या कारण है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--बात यह है कि वहां काफी तादाद में विद्यार्थी आते नहीं।

*५७-५८-श्री रामलखन मिश्र--[७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में गांव सदन खोलने की बाबत परिप्रश्न

*५९--श्री राजाराम शर्मा (जिल बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने कृपा करेगी कि बस्ती जिले में जो गोसदन खुलेगा वह बेलहर जंगल में खोला जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--जी नहीं।

*६०--श्री राजाराम शर्मा (अनुपस्थित)--आवश्यकता को देखते हुए क्या अगले आर्थिक वर्ष में इस गोसदन पर काम चालू हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह--प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिले की बंजर भूमि का सदुपयोग

*६१--श्री गंगा प्रसाद सिंह--(जिला बलिया) (अनुस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बलिया में कितने एकड़ भूमि बंजर है ?

श्री चरण सिंह--जिला बलिया में २६,५९० एकड़ भूमि सन् १३६२ फसली के अन्त तक बंजर थी।

*६२--श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--कितनी बंजर भूमि अब तक तोड़ी गयी है और कहां-कहां ?

श्री चरण सिंह--सन् १३६३ फसली में कुल १४९० एकड़ भूमि तोड़ी गयी जिसमें ८२३ एकड़ रसड़ा में, ६४२ एकड़ बांसडीह में तथा २५ एकड़ भूमि बलिया में तोड़ी गई।

रोडवेज कर्मचारियों का स्थायीकरण तथा डीजल इंजनों की मेकैनिकल ट्रेनिंग

*६३—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज में डीजल बसों के चलने से पूर्व तथा उसके बाद कितने वर्कशाप के कर्मचारियों को डीजल इंजनों की मेकेनिकल ट्रेनिंग दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—डिजिल बसों के चलने से पहले ४ कर्मचारियों को तथा उसके बाद ३० कर्मचारियों को दूसरे प्रदेशों में भेजकर ट्रेनिंग दिलाई गई।

*६४—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक रोडवेज के कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—स्थायी किये गये रोडवेज कर्मचारियों की संख्या १,५९१ है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश के अन्दर , क्योंकि बहुत सी डिजल गाड़ियां रोडवेज की तरफ से चल रही हैं, कोई ऐसा प्रबन्ध सरकार की ओर से किया जायगा कि डिजल पर काम करने वाले ड्राइवर और मैकेनिक की कोई ट्रेनिंग प्रदेश के अन्दर हो जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—डीजल गाड़ियां १५ सेंटर्स पर चल रही हैं वहां पर जो वर्कशाप्स हैं उनमें ही फोरमैन और मैकेनिक्स को ट्रेनिंग दिला दी जाती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों को बाहर भेज कर ट्रेनिंग करायी गयी हैं उन पर कितना खर्च पड़ा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसलिये नोटिस की जरूरत होगी। यह दूसरा सवाल है।

पर्वतीय पटवारियों के पदों का स्थायित्व तथा पेन्शन

*६५—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कुमायूं डिवीजन के पटवारियों को 'परमानेंट व पेंशनेबिल बनाने के विचाराधीन प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त निर्णय से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। सरकार ने पर्वतीय पटवारियों के पदों को १-४-१९५६ से परमानेन्ट व पेंशनेबिल कर देने का निश्चय कर लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि मैदानी इलाके के पटवारियों और लेखपालों को मुस्तकिल न करने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुछ मैदानी पटवारी भी मुस्तकिल हैं।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पहाड़ी इलाकों की तरह मैदानी इलाके के पटवारियों की पोस्ट्स को पेन्शनेबिल बनाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चरण सिंह—लेखपालों तथा पुराने पटवारी जो लेखपाल हो गये हैं उनकी पोस्ट्स तो पेन्शनेबिल हैं ही। यह तो पहले ही पेन्शनेबिल कर दी गयी थीं।

श्री दारकाप्रसाद मौर्य—पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल खास स्टेट के पटवारियों का ग्रेड मैदानी पटवारियों से भिन्न है ? यदि भिन्न है तो उनका ग्रेड क्या है ?

श्री चरण सिंह—दोनों का ग्रेड एक ही है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ६३-६५ श्री रामेश्वर लाल ने पूछे।

२१ नवम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न ५० से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष––माननीय कृषि मंत्री २१ नवम्बर को दिये गये एक उत्तर की दुरुस्ती करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन को सूचित करता हूं कि २१ नवम्बर, १९५५ को नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ५० से संबंधित श्री कल्याणचन्द्र मोहिले के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जो मैंने १२ कारखानों के नाम बताये थे उनमें और अधिकृत विवरण जो छपा है, उसमें अंतर है। इन १२ कारखानों के नाम इस प्रकार हैं :––

(१) मेसर्स इन्डिया ट्रेडिंग कम्पनी, ताले बनाने का कारखाना।
(२) मेसर्स लिपटन लिमिटेड, चाय के बंडल बनाने का कारखाना।
(३) मेसर्स रीचूमल भगवान दास, चूना बनाने, धान से चावल बनाने, करबी काटने का कारखाना।
(४) डा० एस० पी० धीर, दवाखाना।
(५) मेसर्स श्री राधाकृष्ण, चूना बनाने का कारखाना।
(६) श्री जी० डी० लाल, स्याही बनाने का कारखाना।
(७) श्री भगवानदास हरीचन्द्र, आटा चक्की तथा करबी काटने का कारखाना।
(८) श्री मंगलसेन, चाकू बनाने का कारखाना।
(९) श्री दीदार सिंह, लकड़ी का काम।
(१०) श्री वी० एल० धवन, आरा मशीन का कारखाना।
(११) श्री आर० पी० भाटिया, लकड़ी के बक्स बनाने का कारखाना।
(१२) श्री धर्मवीर, डेरी फार्म।

श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कारखानों में कितने आदमी काम करते हैं?

श्री अध्यक्ष––इस वक्त आप प्रश्न नहीं कर सकते, इस वक्त तो उन्होंने दुरुस्ती कर दी है अगर आप नये प्रश्नों को मुझे नोटिस देंगे तो आपको मौका मिल सकता है।

४ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न ७० से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)––अध्यक्ष महोदय, दिनांक ४ अप्रैल, १९५६ को माननीय नियोजन मंत्री ने तारांकित प्रश्न ७० के सम्बन्ध में श्री रामसुन्दर पांडेय के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि "कम से कम ११८ के बारे में मुझे जानकारी है। उनके विषय में भी आदेश जारी किए जा चुके हैं कि उनको स्थायी कर दिया जाय।" संख्या ११८ सही नहीं है। संख्या ११८ के स्थान पर सही संख्या ११३ होनी चाहिए। अतः कार्यवाही में उसे शुद्ध कर दिया जाय *।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो शुद्धि की गई है उसकी कापी हमको मिल जाय ताकि फिर से सप्लीमेंटरी करने में हमें आसानी हो जाय।

---

* ४ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में यह संख्या संशोधित रूप में ही छापी गयी है।

श्री अध्यक्ष--वह तो आप मेरे दफ्तर से ले सकते हैं।

सर्वश्री राजनारायण, नारायण दत्त तिवारी, सालिगराम जायसवाल, रामनारायण त्रिपाठी तथा गजेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास परसों और कल डिप्टी कमिश्नर लखनऊ ने जो सूचनायें भेजी उनकी सूचना में पहले सदन को दे दूं। परसों शाम को मेरे पास यह सूचना आई :

"मुझे यह सूचना देना है कि मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि दंड प्रक्रिया कृत संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों की अवहेलना के लिए श्री राजनारायण, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत आज सायंकाल लगभग ५ बजे गिरफ्तार किया जाय, उन्हें लखनऊ के जिला बन्दीगृह में रखा गया है।"

इसी तरह की दूसरी सूचना यह है कि "मुझे यह सूचना देना है कि मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों की अवहेलना के लिए श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत आज सायंकाल लगभग ५ बजे गिरफ्तार किया जाय, उन्हें लखनऊ के जिला बन्दीगृह में रखा गया है।"

एक तीसरी सूचना और भी है कि "मुझे यह सूचना देना है कि मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों की अवहेलना के लिए श्री सालिगराम जायसवाल, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को भातीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत आज सायंकाल लगभग ५ बजे गिरफ्तार किया जाय, उन्हें लखनऊ के जिला बन्दीगृह में रखा गया है।"

इसके अलावा कल शाम को २ माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसी ही सूचना और आई है। एक यह है कि "मुझे यह सूचना देना है कि मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों की अवहेलना के लिए श्री रामनारायण त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत आज सायंकाल लगभग ५ बजे गिरफ्तार किया जाय, उन्हें लखनऊ के जिला बन्दीगृह में रखा गया है।"

दूसरी यह है कि "मुझे यह सूचना देना है कि मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों की अवहेलना के लिए श्री गजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत आज सायंकाल लगभग ५ बजे गिरफ्तार किया जाय, उन्हें लखनऊ के जिला बन्दीगृह में रखा गया है।"

इसके पश्चात् सबेरे मैंने यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और मुझे जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से यह सूचना मिली कि उन माननीय सदस्यों के लिए यह कहा गया था कि वह यदि चाहें तो जमानत पर छूट सकते हैं लेकिन उन्होंने इससे इन्कार कर दिया और अभी तक वह छूटे नहीं हैं। मैंने जानना चाहा था कि वे जमानत पर छूटे हैं या नहीं, लेकिन सबेरे मुझे मालूम हुआ कि वे अभी तक नहीं छूटे हैं।

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, यह जो गिरफ्तारियां हुई हैं यह हम लोग बिल्कुल नाजायज समझते हैं और जो मौलिक अधिकार हैं उनके खिलाफ मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप चाहें तो उठा सकते हैं। आपकी ओर से नोटिस हो गई। अब इस सम्बन्ध में आप लिखित मेरे पास भेज दें। समय की कुछ देरी हो जायगी तो इसके लिये आपत्ति इस सिलसिले में नहीं उठाऊंगा।

लखनऊ शहर में सभाओं, भाषणों, और जलूसों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री गेंदासिंह जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव इस प्रकार है "उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा लखनऊ शहर में सभाओं, जलूसों, भाषणों पर रोक लगा कर जो जनता के मौलिक अधिकारों से वंचित करने का कदम उठाया है, उसके परिणाम-स्वरूप राज्य भर में बेहद असन्तोष तथा क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इन अधिकारों की रक्षा के निमित्त विधान सभा के माननीय पांच सदस्यों को भी जेल भेजा गया है। परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर ही नहीं, प्रत्युत खतरनाक हो रही है।

अतः सरकार को इस अप्रजातांत्रिक, अवैधानिक, अनुचित और अनावश्यक कार्यवाही तथा उससे उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

अब इसमें ये कामरोको प्रस्ताव के शब्द हैं "उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा भाषणों पर रोक लगा कर मैंने जो सूचना सदन को दी उससे स्पष्ट यह है कि जिलाधीश ने स्वयं १४४ की कार्यवाही की है। यह यहां पर स्थानीय शासन ने यह आज्ञा निकाली थी और उसके ऊपर कार्यवाही की गई। इस प्रस्ताव के साथ कोई भी सूचना गेंदासिंह जी ने ऐसे शब्दों में नहीं भेजी है कि सरकार का कैसे इसमें हाथ रहा और सरकार ने कौन सा हुक्म निकाला जिसके द्वारा इस सरकार ने रोक लगाई है। तो मैं उनके कथन को अनिश्चित समझता हूं यानी यह विषय ही अनिश्चित है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव उपस्थित हो।

लखनऊ में धारा १४४ लगाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रस्ताव श्री रामेश्वरलाल जी का है। वह भी धारा १४४ के बारे में है और साधारण शासन सम्बन्धी कार्यवाही के अन्तर्गत है। इसलिये वह भी काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता और उसे भी मैं अवैध करार देता हूं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---मुझे निवेदन यह करना है कि अपने कामरोको प्रस्ताव के साथ मैंने एक पत्र अटैच किया था जिसमें चर्चा की है कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हुई थी हमारे नेताओं की और इससे मैं समझता हूं कि सरकार का इससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। कृपा करके आप उसे देखें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपके बात कहने से सरकारी सम्बन्ध पैदा नहीं हो जाता है। आप यह चाहते हों कि इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई प्रकाश पड़े तो मैं सरकार को प्रकाश डालने की इजाजत दे सकता हूं और फिर माननीय गेंदा सिंह जी भी दो चार मिनट कुछ कहना चाहें तो उनको भी इजाजत दे दूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि सरकार का इस मामले से प्रत्यक्ष सम्बन्ध कैसे है। प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष तो है ही। मुझसे पूछा गया होता तो मैं आपकी सेवा में जरूर कहता कि सरकार का इससे सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष—मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं। आप खुद लिख कर भेज देते कि सरकार से क्योंकर सम्बन्ध है क्योंकि धारा १४४ का सम्बन्ध सरकार से सीधा नहीं आता।

श्री गेदा सिंह—मैं तो यह समझता हूं कि सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध है। अगर प्रमाण की आवश्यकता थी तो उसको भी मैं भेज सकता था। अगर आप इजाजत दें दें तो आज नहीं कल मैं उस प्रमाण को दे सकता हूं कि कैसे मैं सरकार का....

श्री अध्यक्ष—कामरोको प्रस्ताव के साथ आपको भेज देना चाहिये था। वैसे धारा १४४ का सम्बन्ध स्थानीय शासन से समझा जाता है, सरकार से नहीं समझा जाता है। जिलाधीश ही उसका उपयोग किया करता है और वही इत्तिला आपने भेजी भी है। सरकार का कोई सम्बन्ध कामरोको प्रस्ताव से है, इस सम्बन्ध में आपने कुछ लिखा नहीं है। मैं तो फिर यही समझूंगा कि सरकार से उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। यह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डाल सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि आपके पास माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो पत्र भेजा है उसको पढ़ कर मुझे कुछ थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसमें यह लिखा है, "इस के बाद जिला अधिकारियों से बात करने के बाद माननीय मुख्य मंत्री से भी हमारे नेताओं से बात हुई।" मुझ को बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि उनके नेताओं या किसी व्यक्ति ने मुझसे इस सम्बन्ध में कोई बात की हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी के लिए जानना चाहता था कि हमारे इस सदन के जो माननीय सदस्य जेल गये हैं उनके साथ ट्रीटमेंट का क्या हो रहा होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें कि वह किस क्लास में रखे गये हैं और क्या हो रहा है क्योंकि हम लोग इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री को जानकारी हो तो सूचना दे दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे ज्ञात है, वह लोग सुपीरियर ट्रीटमेंट पा रहे हैं।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं और वह यह कि मैं सरकार से आपके द्वारा यह जानना चाहूंगा कि इस सदन की बैठक किस तारीख तक होगी और उठने पर सदन कब बैठेगा। इसकी अगरचे सूचना मिल जाय तो अच्छा है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन निवेदन कर दिया था कि ११ तारीख तक हमारा विचार है कि सदन की बैठक चले। इसके बाद पांच दिन तक सदन की बैठक बन्द रहेगी। और फिर हम १७ तारीख से फिर मिलेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि १९ तारीख को शायद रामनवमी है। रामनवमी की छुट्टी होती ही है। सचिवालय भी बन्द रहेगा और विधान सभा भी बन्द रहेगी। तो मैं समझता हूं कि रामनवमी का चूंकि त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि १९ तारीख तक बन्द हो जाय तो ज्यादा अच्छा होता और २० तारीख को फिर बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी विचार कर लेंगे। आपका सुझाव उनके पास पहुंच गया। अगर उन्हें कोई परिवर्तन करना होगा तो जवाब दे देंगे।

श्री रामेश्वर लाल द्वारा सदन-त्याग

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं एक मिनट सिर्फ चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे उस कामरोको प्रस्ताव और उस पत्र के सबंध में कहा कि माननीय मुख्य मंत्री को याद नहीं है कि कोई इस तरह की बात हुई हो। तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि माननीय मुख्य मंत्री जी की याददाश्त कमजोर है। लेकिन मेरे सामने राजनारायण जी से बातचीत हुई थी फोन पर। चूंकि आपने जो व्यवस्था दी है मैं उससे सहमत नहीं हूं, इसलिये मैं दस मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रामेश्वरलाल सदन के बाहर चले गये।)

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--माननीय सदस्य का खयाल गलत होगा। माननीय राजनारायण जी ने मुझ से बनारस आराजी लाइन के संबंध में कहा था तो मैंने उनसे इस सम्बन्ध में बात करने को कह रखा था। मुझसे पूछा गया कि आप कब करेंगे तो मैंने कहा, मजाक में, कि आप तो बलवे की तैयारी कर रहे हैं। जब उससे छुट्टी होगी तब देखा जायेगा। उनकी यह कृपा है कि घर पर वह मुझे प्रोफेसर साहब कहा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब हम बलवा करने की तैयारी कहां कर रहे हैं, मैंने कहा कि छुट्टी होगी तब करेंगे १४४ का नाम भी बिलकुल नहीं आया।

कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५६

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखियें नत्थी 'ग आगे पृष्ठ ७४-७८ पर।)

राज्य पुनस्संगठन विधेयक पर विचार के आलेख्य तथा संविधान के संशोधन के निमित्त सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि सदन राज्यों के पुनस्संगठन से सम्बद्ध प्रस्तावों पर, जैसे कि वे राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य में तथा संविधान के संशोधन के निमित्त सम्बद्ध प्रस्तावों में उल्लिखित हैं, विचार-विनिमय करे।

श्रीमन्, आजसे कुछ दिन पहले इस माननीय सदन ने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन रिपोर्ट पर विचार-विनिमय किया था। और आज मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि उस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पार्लियामेंट के सामने जिस बिल पर विचार होने वाला है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उस बिल के ऊपर यह सदन विचार विनिमय करे। तीन चार दिन हुये जब इस विषय का यहां चर्चा हुआ था तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की थी कि यह बिल अंग्रेजी भाषा में है जिससे कि उसके संबंध में पूर्ण रूपेण विचार करने में उनको कुछ थोड़ी सी कठिनाई होगी, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जैसा कि स्वयं आपने कहा इस संबंध में हम विवश हैं। बिल अंग्रेजी भाषा में है इसी भाषा में पार्लियामेंट के सामने इस पर विचार होना है। तो हम भी जब किसी चीज पर विचार करते हैं या करना चाहें तो उसके असल रूप पर ही विचार कर सकते हैं और उसका असल रूप, दुर्भाग्य से कहिये, अंग्रेजी में ही है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ब्योरे की बातों को जाने दिया जाय लेकिन बिल की जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनसे तो सभी लोग अवगत हैं, अखबारों में चर्चा आ चुकी है और यों भी काफी बातचीत भिन्न भिन्न जगहों में इसके विषय में हो चुकी है।

थोड़े में मुख्य बातें तो यह हैं कि अब तक हमारे देश में तीन प्रकार के राज्य थे या हैं। (पार्ट 'ए' 'बी' और 'सी' स्टेट्स)। अब इस प्रकार का विभाजन न होगा बल्कि कुछ तो राज्य होंगे और कुछ यूनियन टेरीटरीज होंगी। राज्यों के नाम यह हैं :

आन्ध्र, तेलंगाना, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और जम्मू और काश्मीर।

और

यूनियन टेरीटरीज के नाम हैं:—

बम्बई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा।

जहां तक राज्यों की बात है अब उनकी सूरत उनके शासन की सूरत, उनके अधिकार वही होंगे जो कि इस समय पार्ट 'ए' स्टेट्स में हैं। यह फर्क हो सकता है कि जहां अब पार्ट 'ए' स्टेट्स में एक राज्यपाल है अब शायद एक राज्यपाल के अधीन दो या तीन स्टेट्स हों। लेकिन मुख्य फर्क नहीं होना चाहिये।

जहां तक इन ५ यूनियन टेरीटरीज की बात है इनका शासन सीधे केंद्रीय सरकार की तरफ से होगा। उसकी तरफ से कोई लेफ्टीनेंट गवर्नर या ऐसा ही उपाधि वाला कोई व्यक्ति शासन करेगा। उनमें कोई किस्म का मंत्रिमंडल नहीं होगा जैसा स्टेट्स में होगा। हो सकता है किसी किस्म की कोई परामर्शदात्री कमेटी या एडवाइजरी बाडी किसी प्रकार की रहे जो कि आवश्यकता पड़ने पर जो वहां पर लेफ्टीनेंट गवर्नर या जो भी अधिकारी होगा उन्हें सलाह दे सकें। लेकिन शासन का अधिकार वहां पर किसी मंत्रिमंडल को नहीं होगा और न इस किस्म की जैसी हमारे यहां है कोई विधान सभा होगी। जिन राज्यों और यूनियन टेरीटरीज के नाम मैंने पढ़े उनके नामों से ही कुछ बातें स्पष्ट हैं, कई ऐसी इकाइयां बन रही हैं जो कि आज तक नहीं थीं, जैसे कि महाराष्ट्र की बात है। कई इकाइयां जो पहले थीं खत्म हो रही हैं जैसे दिल्ली। कुछ राज्य जो इस समय हैं वे विलीन हो रहे हैं किसी बड़े राज्य के अंग बन जायंगे, जैसे बिन्ध्य प्रदेश या मध्य भारत। ये मध्य प्रदेश में मिलने वाले हैं। इस प्रकार के कई परिवर्तन हुये हैं।

जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, वह तो बात बड़ी सीधी सी रह गई। इस बिल में उत्तर प्रदेश की परिभाषा यह दी हुई है :—

"The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Provincek nown as the Unit.ed Provinces or were being administered as if they formed part of that Province' "

अर्थात् जो संविधान इस वक्त हमारे यहां चालू है उसके पहले भारत का वह हिस्सा जिसको संयुक्त प्रांत कहा करते थे, वह उत्तर प्रदेश हो गया।

दूसरे शब्दों में इस समय उत्तर प्रदेश जैसा है वैसा का वैसा रहा। न घटा न बढ़ा। जिस वक्त कि कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हो रहा था उस समय भी मैंने एक निवेदन किया था और वही अब भी करना चाहता हूं। हम चाहें तो दूसरे राज्यों के संबंध में अपनी राय दे सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन कम से कम मैंने उस वक्त यह कहा था कि ऐसा न करना ही अच्छा है। हम देखते हैं कि नये राज्यों के बनने के संबंध में पुराने राज्यों के टूटने के संबंध में देश में जो पर्यावरण पैदा हो गया है उसमें तर्क, रीजन का, मुख्य स्थान नहीं है। भावावेश सेंटीमेंट, इमोशन की बहुत बड़ी जगह है। हम तर्क के आधार पर कोई राय कायम कर सकते हैं लेकिन उन जगहों के जो निवासी हैं उनके हृदयों में जो भाव हैं, उनके जो सेंटीमेंट हैं, उनके, उसका ठीक-ठीक अन्दाज हमारे लिये लगाना मुश्किल है। हम केवल तर्क के आधार पर कोई बात कहें और उसका नतीजा यह हो कि उससे किसी वर्ग को हमारे कहने से कुछ ठेस लगे यह अच्छा न होगा। एक यों ही आग जल रही है। उस जलती हुई आग में हमारा कोई राय देना ईंधन का काम कर दे, इसलिये अच्छा यही है कि हम दूसरे राज्यों के बारे में बम्बई है, पंजाब है, उनके संबंध में कोई राय हम न दें तो अच्छा है। हां, उत्तर प्रदेश के संबंध में हम कह सकते हैं और यदि उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हुये किन्हीं दूसरे राज्यों की चर्चा करना अनिवार्य हमारे लिये हो जाय तो मैं समझता हूं कि वैसा करना अवैध नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा।

जैसा कि मैंने निवेदन किया, उत्तर प्रदेश के संबंध में यह निश्चय है कि केंद्रीय सरकार ने जैसा कि उनके बिल से प्रतीत होता है कि वह जैसा का तैसा रह जाय, ऐसा निश्चय किया है। जहां तक यह बात है कि इसको छिन्न-भिन्न नहीं किया जा रहा है, इसके टुकड़े नहीं किये जा रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। हम इसके लिये धन्यवाद देते हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि हमारे वह भाई जो कि किसी समय चाहे इस बात के पक्ष में ही रहे हों कि उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार का विभाजन हो, वह भी जिस प्रकार की विभाजन की लहर चली, जिस प्रकार के विभाजन के प्रश्न कमीशन की रिपोर्ट में आये और जिस प्रकार का विभाजन सामने दिखाई देता है उसको देखते हुये वह भी इस प्रकार के विभाजन के पक्ष में नहीं ही होंगे और उन सबका भी ऐसा ही खयाल होगा कि अच्छा है उत्तर प्रदेश के टुकड़े नहीं हुये। जैसा आज तक रहा है उत्तर प्रदेश, जैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते आये हैं, वैसे ही एक दूसरे के साथ मिल जुलकर रहेंगे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एकाध बातें हैं। हम इस बिल का समर्थन करते हैं। हम इसका विरोध नहीं करते। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का संबंध है, वहां भी हम इसका विरोध नहीं करते, समर्थन करते हैं। मैं फिर दुहराता हूं इस बात को लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ निवेदन करना अपनी राय उन लोगों के पास तक पहुंचा देना जिनके हाथ में कि अंतिम निर्णय है यानी पार्लियामेंट के सदस्यों के कान तक पहुंचा देना और केंद्रीय सरकार तक पहुंचा देना यह हमारे हित में होगा। जब पहले इस प्रश्न पर सदन में विचार हो रहा था उस वक्त भी मैंने यह निवेदन किया था कि हम किसी दूसरे राज्य को नष्ट करके, जबरदस्ती किसी दूसरे राज्य पर कब्जा करके अपने कलेवर को बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा कदापि ऐसा विचार नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम किसी दूसरे राज्य को जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लें। यह कोई भेड़-बकरियों की बात नहीं है, मनुष्यों की बात है। जहां के मनुष्य अपनी इच्छा से कोई कहीं जाना चाहें तो वह दूसरी बात है लेकिन जबरदस्ती किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को दूसरी जगह मिला देना यह कदापि उचित नहीं है। हमने पहले यह भी कहा था कि ऐसा कोई हिस्सा है उत्तर प्रदेश का जो कहीं जाना चाहता हो तो उसको भी हम रोकना नहीं चाहेंगे। लेकिन कोई हिस्सा हमारा विश्वास है कि यहां से छोड़कर जाना पसन्द नहीं करेगा। बहरहाल, उस बात को हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन उस बात को ध्यान में रखते हुये, उत्तर प्रदेश से मिले जुले कुछ हिस्से ऐसे हैं विन्ध्य प्रदेश के, जिनको कि उत्तर प्रदेश में मिला लिया जाय तो अच्छा होगा, उस वक्त भी ऐसी राय थी और मेरी राय अब भी वही है। और मेरा ऐसा खयाल है कि सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों का

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वही खयाल होगा। किसी हिस्से को हड़पने की दृष्टि से नहीं, किन्तु सब की सुविधा की दृष्टि से हम जब विन्ध्य प्रदेश को मिलाने की बात करते हैं तो केवल दूसरों के हित की बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें उत्तर प्रदेश के हित की भी बात है। हमने कभी इस बात को छिपाया नहीं। उदाहरण के लिये हमने कहा था कि यों तो विन्ध्य प्रदेश के और कई हिस्सों के लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन खासतौर से विन्ध्य प्रदेश का वह हिस्सा जिसे बघेलखंड कहा जाता है वहां के लोग बहुत उत्सुक हैं मिलने के लिये। क्यों उत्सुक हैं हमने इस बात को सदन के सामने रखा था और स्पष्टरूप से वह बात सामने आई है। उस हिस्से में ऐसा कहा जाता है कि कई प्रकार के खनिज पदार्थ, मिनरल्स, हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक, जहां तक हम जानते हैं मिनरल्स की कमी बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बिलकुल नहीं है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि भगवान ने यहां कोई खनिज पदार्थ दिये ही नहीं, लेकिन अब तक की जांच पड़ताल से मालूम पड़ता है कि शायद कुछ कमी है। इसलिये हमारी इकानामी कुछ लाप-साइडेड इकानामी एकांगी सी हो जाती है। क्योंकि हमारे यहां कृषि ही मुख्य उद्योग है, अगर मिनरल्स हो जायेंगे तो अन्य उद्योग भी पनप सकेंगे। अगर हमें अन्देशा होता कि कुछ मिनरल्स के भाग के यहां मिल जाने से मध्य प्रदेश जो बनने जा रहा है उसका नुक्सान होगा, तो हम कभी ऐसी बात नहीं करते, लेकिन मध्य प्रदेश के पास इस वक्त भी काफी मिनरल्स हैं। जो हिस्सा उनको मिल रहा है यदि उसका एक्सप्लायटेशन किया जाय, एक्सप्लायटेशन से तात्पर्य यहां शोषण से नहीं बल्कि जमीन में से पदार्थ निकालने में और उपयोग करने में उसे लिया जाय तो केंद्रीय सरकार से रुपये लेने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। तो इस हिस्से के आ जाने से हमारी इकानामी सर्वांगीय होगी और हमारा कल्याण होता है, दूसरे की क्षति नहीं होती।

दूसरे, ऐडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा की बात भी होती है। जो हमारा रिहंड डैम है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है ही, लेकिन इसका एक हिस्सा उस भूखंड में है जोकि इस वक्त विन्ध्य प्रदेश में था और अब फिर मध्य प्रदेश में जाने वाला है। हमारा उनसे समझौता कुछ इस प्रकार का है कि इसके बन जाने पर हम उनको कुछ बिजली उस डैम से दिया करेंगे। हमने यह कहा था कि एक बांध है, उसके ऊपर कुछ तो शासन हमारा है, कुछ एक दूसरी सरकार का रहेगा। तो इसके पीछे कहीं न कहीं फ्रिक्शन हो ही जाता है। जहां दो सरकारों की बात होती है वहां लिखा पढ़ी में कुछ बातें सामने आ ही जाती हैं। तो अगर यह हिस्सा हमारे पास आ जाता तो यह एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई भी दूर हो जाती। क्योंकि यह भी एक समस्या है कि किसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव शासन होगा, पुलिस का इन्तजाम किसका होगा, मैजिस्ट्रेट का इन्तजाम किसका होगा, जुर्म किसी ने किया तो कौन सजा देगा ? हमारे किसी अहलकार या अफसर की ओर से कोई गलती किसी की समझ में होती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही किसकी ओर से होगी। तो इस प्रकार के अनेक झगड़े होंगे जो जबकि दो किस्म के शासन जहां मिलते हैं वहां होते हैं। यह जरूर है कि वहां के लोगों का उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध है। उनके उठने बैठने, खाने पीने, लिखने-पढ़ने हर एक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के रहने वालों के साथ सांस्कृतिक संबंध है। अगर वह हिस्सा उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय तो हमारे लिये और उनके लिये दोनों के लिये अच्छा है।

जो कुछ भी अभी तक विचार हुआ है और लिखा पढ़ी हुई है उसको देखने के बाद हमारी वही राय है जो पहले थी। इस संबंध में बिल बन रहा है, लेकिन उसमें भी इस बात की संभावना रखनी है कि आगे चल कर बार्डर एडजस्टमेंट हो सकेंगे, यानी दोनों राज्य जहां मिलते हैं वहां एडजस्टमेंट होंगे। अभी बिल आने वाला है, उसमें संशोधन भी होंगे। अगर इस बहस को सुनने के बाद ऐसा संशोधन कर दिया जाय तो अच्छा है और यदि संशोधन करना संभव न हो तो जब बोर्डर एडजस्टमेंट की बात सोची जाय उस वक्त भी कम से कम इन बातों का खयाल कर लिया जाय तो हमारी भी इच्छा पूरी होगी और वहां के लोगों की इच्छा भी पूरी होगी।

वहां के लोगों की इच्छा के बारे में एक दो बातें मैं रखना चाहता हूं। अभी हाल में विन्ध्य प्रदेश की असेम्बली में इस प्रश्न पर विचार हुआ कि क्या किया जाय। जो उसकी रिपोर्ट छपी अखबारों में वह कुछ प्रमाणिक हो सकती है। इसलिये मैं कुछ थोड़े से आंकड़े उस रिपोर्ट के, वहां असेम्बली में जो कुछ हुआ, उसके संबंध में रखना चाहता हूं। विन्ध्य प्रदेश की असेम्बली में उस हिस्से के जिसको बघेलखंड कहते हैं २५ सदस्य हैं। बुन्देलखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, न पश्चिमी विन्ध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैं पूर्वी विन्ध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं जिसको बघेलखंड कहते हैं, जिसके लिये हमने कहा कि वह हमारे साथ हो। तो उस हिस्से के २५ सदस्य हैं। जिस दिन वहां की असेम्बली में इस विषय पर वाद विवाद हुआ उस दिन २५ में से ५ सदस्य गैरहाजिर थे, २० सदस्य वहां मौजूद थे। उन २० में से एक तो स्पीकर साहब थे, वे उसी हिस्से के हैं। वे कोई राय दे नहीं सकते थे लिहाजा उन्होंने कोई राय दी नहीं, बाकी बचे १९ सदस्य। १९ सदस्यों में से उस दिन ११ सदस्य तो कांग्रेस दल के थे। उनमें से १० सदस्यों ने तो इस पक्ष में अपनी राय दी कि उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिये। इसके अलावा एक सदस्य थे जन संघ के। उन्होंने राय दी कि उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिये। इस प्रकार १९ में ११ सदस्यों ने यह राय दी कि उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिये। दो सदस्यों ने यह कहा कि हमको मध्य प्रदेश में मिलना चाहिये और बाकी जो ६ सदस्य थे उन्होंने न उत्तर प्रदेश में मिलने की बात की न मध्य प्रदेश में मिलने की बात की। वे शायद रिटेन्शनिस्ट्स कहलाते हैं, अर्थात् यह कि विन्ध्य प्रदेश जैसे का तैसा रह जाय, न उत्तर प्रदेश से मिले न मध्य प्रदेश से मिले। तो जहां तक मिलने मिलाने की बात है उसमें हम देख सकते हैं कि जितने सदस्य मौजूद थे १९, उनमें से १२ की राय थी कि उत्तर-प्रदेश से मिले। और इतना ही नहीं, एक और कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे जो वहां उस दिन मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक खत भेजा स्पीकर साहब के पास। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी राय है कि बघेलखंड का हिस्सा उत्तर प्रदेश से मिला दिया जाय। वह खत हाउस में पढ़ा गया, यानी प्रोसीडिंग्स का पार्ट हो गया। यह एनालिसिस इसलिये मैं रखता हूं कि अगर विंध्य प्रदेश असेम्बली की पूरी प्रोसीडिंग्ज को पढ़ा जाय जिसमें उन लोगों की राय भी शामिल है जिनके क्षेत्र की मिलावट का कोई सवाल नहीं है तो भ्रामक हो जाता है। लेकिन बघेलखंड के सदस्यों का तो निश्चित ही यह मत है कि उत्तर प्रदेश से मिलना चाहिये। एक किताब निकली है जिसके लेखक हैं श्री गोबिन्द नारायण सिंह, जनरल सेक्रेटरी, बिन्ध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिन्ध्य प्रदेश कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। इसमें उन्होंने अपनी असेम्बली में जो उस दिन कुछ लोगों के भाषण हुये मेम्बरों के उनमें से कुछ का संग्रह किया है। मैं यो ही मिसाल के लिये सामने रखना चाहता हूं कि एक वहां सदस्य हैं श्री बलवन्त सिंह जन संघ के। उन्होंने राय दी कि "पहली बात तो यह है कि अपनी इकाई अक्षुण मैं चाहता हूं। परन्तु मजबूरन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से यदि इस सिद्धांत पर कायम न रहा जाय तो मैं राय दूंगा कि यू० पी० में शामिल होने में विन्ध्य प्रदेश का ज्यादा हित है।" इसी तरह से एक और सदस्य हैं श्री श्याम कार्तिक। ये सोशलिस्ट पार्टी के हैं। उन्होंने कहा कि "यहां की सभी चीजें उत्तर-प्रदेश से मिलती-जुलती हैं और सारे संबंध, रिश्तेदारियां भाईचारा, सब उत्तर प्रदेश से है और सरगुजा मध्य प्रदेश की सीमा पर ही है लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं है क्योंकि न तो भाषा-न रहन सहन, न सभ्यता, कुछ भी एक नहीं मिलती है।" यह उनकी राय है। इसी तरह से कई सदस्यों की राय है। एक सदस्य महोदय ने यह कहा है कि वह मुरदों का मेल हो जायगा अगर मध्य प्रदेश के साथ मिला गया। बहरहाल, सारी की सारी स्पीचें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैंने इसलिये बतलाया कि किसी पार्टी के भी लोग हों, ऐसे लोग जिन्होंने किसी वजह से यह राय दी कि हम रिटेन्शनिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा मेल-जोल उत्तर प्रदेश के साथ खाता है और मध्य प्रदेश के साथ हमारा मेल-जोल नहीं खाता है। मैं इस संबंध में भी कुछ नहीं कहना चाहता कि मध्य प्रदेश अच्छा है, बुरा है, प्रगतिशील है, नहीं प्रगतिशील है। इस संबंध में मेरे लिये

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कुछ राय देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि हमको अपनी राय को मजबूत करने में इन बातों से सहायता मिलती है। मैं मुद्दे वाली बात ढूंढ़ रहा था वह मिल गई है। सी० पी० से हमारा बिलकुल संबंध नहीं है क्योंकि वह पिछड़ा हुआ है, उसके साथ सिवाय मुद्दों का ही संगठन होगा और कुछ नहीं होगा फिर हम उसके साथ क्यों जायं? एक सदस्य ने यह कहा है, इसकी बाबत मैं कुछ राय देना नहीं चाहता हूं। लेकिन जहां तक इसका हमें स्वागत करना है दूसरे राज्यों के संबंध में कोई राय नहीं देना है, जहां हमें बधाई देना है और जिस तरह से और जगह बातें हुईं वैसी कोई बात हमारे यहां नहीं हुई। हम इस बिल का स्वागत करते हैं, वहां हम यह भी निवेदन करते हैं उन लोगों से जिनको इसमें अंतिम निर्णय लेना है विंध्य प्रदेश का कम से कम वह हिस्सा जो बाघेलखंड कहलाता है वहां बहुमत की राय देख और भी अन्य बातों को देखते हुये वह सोचें कि इस हिस्से को उत्तर प्रदेश से मिलाया जा सकता है या नहीं। अभी इसका मौका भी है और बिल में संशोधन हो सकता है। अन्तिम चीज किसी स्टेज पर एक और है जब कि बोर्डर्स के रिएडजस्टमेंट का सवाल पैदा होगा उस मौके पर यह चीज हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके रास्ते में एक छोटी सी चीज आती है और वह यह है कि ऐसा नियम बन गया है कि किसी प्रदेश की असेम्बली में ५०० से ज्यादा मेम्बर्स न हों। यदि विन्ध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया जाय तो शायद ५०० से ज्यादा मेम्बर हो जायं। जब हम कांस्टीट्यूशन को दुरुस्त करने जा रहे हैं तो उसमें यह परिवर्तन भी किया जा सकता है और ५०० हो सकते हैं, वहां पर ५३० भी हो सकते हैं। तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाधा डाले। यह तो एक बहुत ही मामूली सी चीज है।

श्रीमन्, एक चीज और है। इस बिल में आपने देखा होगा कि जोन्स बनाने की बात है। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश के साथ मिलाकर एक जोन बनाये जाने की बात है। मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई है कि इससे विशेष क्या फायदा हो सकता है क्योंकि यदि कोई विशेष मौका हो तो दोनों प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स मिल कर वैसे भी बात कर सकते हैं। जैसे कि अभी मानसिंह का मामला था तो उस सिलसिले में उत्तर प्रदेश ने मध्य भारत से बातचीत की। इस लिये इससे कोई विशेष लाभ नहीं मालूम पड़ता। इसके अलावा दोनों राज्यों की आमदनी अलग अलग है, दोनों का बजट अलग अलग है तो फिर कोई सवाल नहीं उठता है। वैसे कई बातों में हमारा जो पश्चिमी हिस्सा है जैसे दिल्ली का है उसमें काफी साम्य है। नहर कामन पड़ती है और जमुना हमारी सरहद पर है। और सेल्स टैक्स का हमारा असर उनके ऊपर पड़ता है और उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है इसलिये जो जोन्स की बनने की बात है उससे हमें कोई फायदा नहीं मालूम पड़ता है। इस जोन में एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे दूसरे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे और एक केन्द्र के मंत्री आयेंगे। इसकी एक मर्तबा मीटिंग उत्तर प्रदेश में होगी और एक मर्तबा मीटिंग मध्य प्रदेश में होगी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे और मध्य प्रदेश के भी मुख्य मंत्री होंगे तो फिर केन्द्र के मंत्री जी को तकलीफ क्यों दी जाय? जब मध्य प्रदेश में मीटिंग हो तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सभापति हो जायं और उत्तर प्रदेश में मीटिंग हो तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सभापति हो जाया करें। इसमें सिवाय इसके कि रुपया खर्च हो और कभी-कभी लोग बैठ जाया करें और कोई व्यावहारिक फायदा होने वाला नहीं है और व्यर्थ में खर्चे की बात मालूम पड़ती है। क्योंकि जब हम इस बिल पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं तो इस अंश पर भी अपनी राय जाहिर कर दें तो अच्छा हो। इस समय मुझे इतना ही निवेदन करना है और मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव रखे हैं उनको यह आदरणीय सदन स्वीकार करेगा और भाषण के बीच में जिन मुख्य बातों की ओर मैंने आप लोगों का

ध्यान आकर्षित किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि ५०० से ज्यादा मेम्बर्स किस प्रकार से हो जायंगे ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा खयाल है । बसे शायद ५०० से ज्यादा न हों ।

श्री मोहनलाल गौतम---अगर सारे मेम्बर्स वहां के मिला दिये जायं तब भी २४–२५ से ज्यादा नहीं होंगे ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर ६०० भी हो जायंगे तब भी बाधा नहीं पड़नी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---अब मैं इसको सदन के सामने रखे देता हूं, विचार कर लिया जाय। जब सदन की अनुमति मिल जायगी तब जो संशोधन होंगे उनके प्रस्तुत करने की मैं आज्ञा दूंगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अगर इस पर विचार का सवाल है तो पहले इस पर विवाद हो जाय फिर संशोधन आयें ।

श्री अध्यक्ष---सदन जब तक विचार करने की इजाजत नहीं देता तब तक इसको मैं नहीं लूंगा । मैं समझता हूं कि यह तरीका उचित होगा ।

प्रश्न यह है कि सदन राज्यों के पुनस्गठन से सम्बद्ध प्रस्तावों पर, जैसे कि वे राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य में तथा संविधान के संशोधन के निमित्त सम्बद्ध प्रस्तावों में उल्लिखित है, विचार-विनिमय करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---अब इसके ऊपर जिनके संशोधन हैं मैं उन लोगों को पहले मौका दूंगा, लेकिन तरीका यह होगा कि अगर कोई संशोधन स्वीकृत हुआ तो उसकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी जायगी । प्रश्न पर विचार-विनिमय करे यह तो तय हो गया, विचार करके निम्नलिखित और निश्चित किया जाता है, यह शकल संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर संशोधन की शकल कर दी जावेगी । लेकिन फिलहाल जैसा कि संशोधन उन्होंने पेश किया है वही वह उपस्थित कर दें या अगर चाहें तो उसे थोड़ा यों बदल भी सकते हैं कि उक्त प्रश्न पर विचार कर के सदन यह निश्चय करता है कि फलां शब्द जोड़े जायं, यह दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इतना शाब्दिक परिवर्तन संशोधन स्वीकार होने पर स्वयं कर दूंगा ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उसमें यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:---

"और केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करे कि चूंकि अब भारतवर्ष में केवल बड़े एवं सुदृढ़ राज्यों की इकाइयां रखने की बात मान्यता पा चुकी है और चूंकि विन्ध्य प्रदेश, एवं उत्तर प्रदेश विशेषकर उसके दक्षिणी भाग में भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं रीति-रिवाज की समानता है, तथा दोनों प्रदेशों के शासन एवं आर्थिक सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए उनका मिलाया जाना जनहित में ही नहीं बल्कि उनके विकास के लिये भी अनिवार्य है, अतः उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश को मिला कर एक राज्य बनाया जाय ।"

[श्री तेजप्रताप सिंह]

जिस वक्त आदरणीय मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे थे, मैं तो ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरा यह संशोधन स्वयं वे ही उपस्थित कर रहे हैं। केवल मात्र थोड़ा सा फर्क यह था कि मुख्य मंत्री जी ने केवल बघेलखंड के इलाके की ही चर्चा की और विन्ध्य प्रदेश का वह इलाका जिसको बुन्देलखंड कहते हैं, उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। मैंने पिछली बार भी बहुत ध्यान से मुख्य मंत्री जी के उन विचारों को सुना था जब कि एस० आर० सी० की रिपोर्ट पर यहां विचार हो रहा था। उसमें भी उन्होंने बघेलखंड के इलाके की ही चर्चा की थी। मैं समझता हूं कि बुन्देलखंड का वह हिस्सा जो चार जिलों में विभाजित है——टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर और पन्ना——उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से जिसको कि बुन्देलखंड कहते हैं के चारो ओर लगा हुआ है और इसीलिये जो बुन्देलखंड से आने वाले सदस्य हैं वह कुछ अधिकार इस बात का रखते हैं कि बुन्देलखंड के वे जिले जो विन्ध्यप्रदेश के हैं उनके बारे में अपने कुछ विचार यहां प्रकट कर सकें। क्योंकि जैसा मैंने संशोधन में रखा है कि भौगोलिक दृष्टि से वह सब मिले हुए हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से भी वह चार जिलों से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से एक है। इतिहास में ऐसा पाया जाता है कि वे एक ही में मिले हुए रहे हैं और यातायात के साधनों की सुलभता की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव यहां पर उपस्थित किया है। हमको अधिकार है कि हम उसके बारे में वहां की स्थिति का वर्णन यहां कर सकें और केन्द्रीय सरकार के पास यह सिफारिश पहुंचा सकें कि हमारा कितना साम्य है, हम कितने एक हैं, हमारा गिरना और उठना कैसे एक साथ सम्बद्ध है। मैं इसीलिये इस संशोधन को लाया हूं। अब सब से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं नहीं चाहता हूं कि वह गलतफहमी इस प्रस्ताव या इस संशोधन के द्वारा किसी प्रकार से उत्पन्न हो। हमारी ऐसी इच्छा नहीं है कि वह प्रदेश जो हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास लगे हुये हैं उनको जब हम मिलाने की बात कहते हैं तो हमारी यह भावना है कि हम उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा करना चाहते हैं या इसको विशाल बनाना चाहते हैं या उन प्रदेशों को इसलिये लाना चाहते हैं कि वहां के खनिज पदार्थ या वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लायट करके स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। हमारी एक्सप्लायटेशन की भावना किसी प्रकार से भी नहीं है। हम तो इस दृष्टि से उनसे मिल कर एक होना चाहते हैं कि वहां की स्थिति हमारे अनुकूल है और वहां से हमारा हर प्रकार से सम्बन्ध है और हम मिलजुल कर ही अपनी तरक्की कर सकते हैं। केवल हम उत्तर प्रदेश की ही तरक्की नहीं कर सकते हैं बल्कि उस इलाके की भी जोकि हम इस संशोधन के जरिये से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिलायें उसकी तरक्की भी इसमें सन्निहित है।

बुन्देलखंड का इलाका जो है मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। यह चार जिलों में विभाजित है। उसको भौगोलिक दृष्टि से आप देखें। जितनी भी वहां पर नदियां हैं जो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और दतिया से आती है वह सब जमुना में मिलती है, ऐसी वह करीब ५० नदियां हैं। अगर हम उन पर कोई बांध बनाना चाहें, जैसे कि कुछ बनाये गये हैं तो उनसे दोनों इलाकों को फायदा हो सकता है। वह ऐसी नदियां हैं कि उन पर २०, २० मील पर बान्ध बनाये जा सकते हैं और उससे न केवल बुन्देलखंड का वह दक्षिणी भाग ही हरा भरा किया जा सकता है बल्कि विन्ध्य प्रदेश के वह चार जिले जिनको हम बुन्देलखंड कहते हैं उनको भी हरा भरा किया जा सकता है। यह तो प्लानिंग की दृष्टि से इन दोनों क्षेत्रों को तरक्की कर सकते हैं और अपनी व उनकी परस्पर तरक्की कर सकते हैं। परस्पर दोनों की तरक्की से दोनों प्रदेशों का भला हो सकता है। तो जहां तक प्लानिंग की बात है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त कर उनके हित में और अपने हित में इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

अब आप इसको आर्थिक दृष्टि से देखें। हमारे हमीरपुर जिले में, झांसी और बांदा जिले में लाखों की तादाद में नर-नारी यहां की रबी की फसल को काटने वहां से आते हैं। लाखों की तादाद में वहां जन समुदाय उमड़ पड़ता है। वह लोग आते हैं और गेहूं और चना काटते हैं। उन लोगों को इससे बहुत फायदा होता है और वह लोग रबी की फसल काट कर उसका गल्ला ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर खेती कम होती है। अगर वह लोग यहां इस बुन्देलखंड के डिवीजन में न आयें इस चैत के महीने में फसल काटने लिये तो मैं समझता हूं कि उनको काफी दिक्कत हो। जब कंट्रोल का जमाना था तो उन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो इस कदर रस्पर हमारा और उनका सम्बन्ध है। इस चैत के महीने में जब कि फसल कट रही थी तो लाखों आदमियों के सहयोग से जो काम हो रहा था उसमें उनके सम्पर्क में आने का मुझे अवसर मिला है। वह सब यह कहते हैं कि हमारा और आपका जो यह इलाका है उसका आपस में बड़ा जबरदस्त सम्बन्ध है। अगर हम आपस में मिलते हैं तो आपस में मिल कर ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और इस एकता की भावना होने की वजह से तरक्की जल्द हो सकती है।

दूसरी बात यातायात के साधन की है। हमारे बुन्देलखंड डिवीजन से छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और दतिया बहुत नजदीक सड़कों व रेल से मिले हुये हैं। शासकीय दृष्टि से आप इसको देखें तो हमको यह महसूस करना पड़ेगा कि उससे हमारी सुरक्षा अधिक अच्छी हो सकती है। न सिर्फ हमारी ही बल्कि विन्ध्य प्रदेश की भी जहां पर डाकुओं की बहुत भरमार है क्योंकि वहां पर जंगल बहुत अधिक हैं, जहां पर वह घूमा करते हैं, उन पर वह कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वह छोटा इलाका है और उनके साधन कम हैं। उनको वह समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो इससे उनकी भी सुरक्षा हो सकेगी। इस तरह से अगर हमारा और उनका मेल बैठता है तो उनकी और हमारी दोनों की सुरक्षा होती है। अगर यह क्षेत्र अलग रहता है तो बोर्डर इन्सीडेन्टस जैसे होते रहते हैं, हमारे सीमावर्ती जिलों में डकैतियां पड़ती रहेंगी और उनका रोकना बड़ा मुश्किल हो जायगा। तो इस तरह से भी दोनों का फायदा होता है। मेरी दृष्टि सिर्फ यही है कि हमारा और उनका सम्बन्ध निकट हो जाने से सारी समस्यायें हल हो सकती हैं अन्यथा दोनों को दिक्कतें रहेंगी। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, खनिज पदार्थ बघेलखंड डिवीजन में पाये जाते हैं। वैसा कुछ प्रदेश बुन्देलखंड के उन चार जिलों में भी है जिनका जिक्र मैंने किया। तो हमारी दृष्टि केवल खनिज पदार्थ के लिये यह नहीं है कि हम उनको एक्सप्लायट करेंगे। एक्सप्लायट शब्द अंग्रेजी का होने से कुछ इसका प्रयोग व अर्थ शोषण की भावना प्रकट करने वाला होता रहा है, लेकिन हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम मिलकर व खनिजों का उपयोग कर दोनों का फायदा करेंगे। इसी तरीके पर यह मिला जुला प्रदेश व भारतवर्ष तरक्की कर सकता है। हर इकाई की कृषि की और साथ ही साथ औद्योगिक उन्नति होनी चाहिये। अगर यह हिस्सा जहां खनिज पदार्थ पाये जाते हैं और काफी मात्रा में पाये जाते हैं यदि वह उत्तर प्रदेश के साथ मिल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ उनका सम्बन्ध होने से उत्तर प्रदेश का काफी पैसा और जनसमुदाय वहां लग सकेगा और इस तरह से उनका भी जनसमुदाय उसमें लग सकेगा और उनकी भी बेरोजगारी दूर होगी। उसमें कोई एक्सप्लायटेशन या शोषण की भावना नहीं है कि हमें कोई चीज प्राप्त हो जाय। उसमें दोनों की उन्नति की भावना सन्निहित है। न हमारी यह भावना है कि हमारा उन पर कोई अहसान होगा। बल्कि हम तो यह समझते हैं कि दोनों की परस्पर तरक्की होगी और हमारा प्रदेश समृद्ध होगा और यदि भारत की इकाइयां तरक्की करती है तो देश की तरक्की होती है। जब से एस० आर० सी० की चर्चा चली तब से कुछ ऐसी भी घटनायें घटी हैं जिनका जिक्र करना अच्छा नहीं है लेकिन हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं घटी और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा, यह बड़े सन्तोष की बात है और हम इस पर गौरवान्वित हो सकते हैं।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

महाराष्ट्र और पंजाब की समस्याओं का उल्लेख करना परमावश्यक है । वहां विचारों में काफी मतभेद था लेकिन हमें परम सन्तोष है कि पंजाब की समस्या हल हो चुकी है और हमें ऐसा अन्दाजा और विश्वास है कि बम्बई का मसला भी हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही जल्दी सुलझ जायगा । यह तो ऐसा समय है जबकि सीटो और बगदाद पैक्ट की छाया हमारे एशिया पर छाई हुई है । इसको ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने अपने संशोधन में कहा है, हमारे भारतवर्ष में भी इकाइयां बड़ी बड़ी होनी चाहिये क्योंकि जब तक सुदृढ़ राज्य नहीं होता है जब तक अलगाव और पृथकता की भावना बढ़ती है हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता । हम सभी जानते हैं समय की जरूरत के साथ बंगाल और बिहार की एकता की बात चल रही है और हमें विश्वास है कि वह पूरी हो सकेगी । इसी तरह से मदरास में भी दक्षिण प्रदेश यानी बड़े यूनिट बनाने की चर्चा चल रही है । अगर विन्ध्य प्रदेश को हमारे में मिला कर बड़ा इलाका नहीं बनाया जाता है तो हमें कोई असन्तोष नहीं होने वाला है । यूनिट्स के दृढ़ होने के विचार से ही मैंने इस प्रस्ताव को रखा है । मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रस्ताव को रखते हुये हमारे प्रस्ताव अर्थात् हमारे संशोधन के प्रति सद्भावना ही प्रकट नहीं की बल्कि पष्ठपोषण हमारे संशोधन का किया है ।

जोनल कौन्सिल के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कुछ विचार प्रकट किये । मैं समझता हूं कि कुछ अच्छी भावना से ही जोनल कौन्सिल का रूप हमारे नेताओं ने विचार-पूर्वक रखा है । हो सकता है कि कोई अधिक कार्य या अधिक अच्छा कार्य वे काउन्सिल न कर सकें लेकिन इसमें भावना तो अच्छी है कि बड़े बड़े यूनिट्स हों और उनमें भी एकता व समन्वय हम किसी तरह से ला सकें । यही भावना हम समझते हैं, जोनल कौन्सिल के सुझाव में है । साथ ही साथ मेरा यह भी सुझाव है कि डिवीजनल कौन्सिल्स की भी व्यवस्था होना चाहिये क्योंकि प्लानिंग में जब कि हम योजना के साथ चल रहें हों तो जिन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एक सी हो और जिनकी समस्यायें एक विशेष प्रकार की हों क्योंकि एक ही राज्य के भिन्न-भिन्न डिवीजनों में वहां की समस्यायें कुछ भिन्न होती हैं तो इस प्रकार की डिवीजनल कौन्सिल अवश्य होनी चाहिये । मगर यह बात सही है कि उनको एडवाइजरी कैपेसिटी में ही काम करना चाहिये । लेकिन प्लानिंग के युग में डिवीजनल अर्थात् क्षेत्रों की भी काउन्सिल होनी चाहिये । वे डिवीजन के एम० एल० एज की हो सकती हैं जो अपने विचार गवर्नमेंट के पास भेजा करें । उस डिवीजन की जनता की मनोकांक्षायें भी उससे पूरी हो सकती हैं क्यों-कि बड़े यूनिट में सारी छोटी-छोटी लोकल समस्यायें सामने नहीं आती हैं । इसमें किसी की योग्यता या ईमानदारी के बारे में कोई आक्षेप नहीं है । बल्कि किस तरीके से फन्डस का एलोकेशन व वितरण होना चाहिये और किन चीजों को प्रायरिटी देनी चाहिये ये बातें उस डिवीजन के लोग ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। संविधान की धारा १५३ में संशोधन किया गया है कि ऐसा भी अब हो सकेगा कि एक राज्य के अलावा २,३ राज्यों का भी एक ही गवर्नर हो । मैं समझता हूं कि यह भी बहुत अच्छा प्राविजन है उससे खर्चा कम हो सकेगा और एक गवर्नर अगर २,३ राज्यों का होगा तो राज्यों के आपसी सम्बन्ध अच्छे हो जावेंगे और समन्वय भी हो सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं और मुझे विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार सदन के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं और उसके साथ ही अपने उत्तर प्रदेश की जो हितकर

बातें हैं उनको भी यहां प्रकट कर देना आवश्यक समझता हूं। इस पर मेरा जो संशोधन है वह इस प्रकार है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"परन्तु सदन का यह मत है कि जनतंत्र राज्य में वर्तमान दशा को देखते हुए यह परमावश्यक है कि जनता का अधिक से अधिक हित, उनके कम से कम व्यय से उसकी सुविधानुकूल राज्य तथा जनता का आपसी सुप्रबन्ध, दृढ़ता, संगठन तथा आर्थिक उन्नति हो। अतः कुछ वर्ष के लिये देश की स्थिति अनुकूल यह करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में उससे मिला हुआ हिन्दी भाषी अर्थात् बिहार से शाहाबाद, सारन, आरा, और चम्पारन, मध्यभारत से शिवपुरी, भिंड, मुरैना ग्वालियर और गुन्त, राजस्थान से भरतपुर, धौलपुर और अलवर, विन्ध्य प्रदेश से दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवां, मिर्धा, सहडौल और सतना, पंजाब से अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव और करनाल, पेप्सू से महेन्द्रगढ़, जींदव नरनावा तहसीलें, पुरानी दिल्ली और उसके आस-पास का देहाती क्षेत्र को मिलाकर एक विशाल राज्य बना दिया जाय और सुप्रबन्ध के लिये इस नये बड़े प्रदेश की तीन प्रदेशीय कमेटियां (Regional Committees) बना दी जायं। इस विधेयक के पृष्ठ ७५ पर संविधान के प्रस्तावित परिच्छेद ३७१ की तीसरी पंक्ति में "or" के स्थान पर "Uttar Pradesh and" जोड़ दिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये यह संशोधन सदन के सामने रखता हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा भारी हित है और जैसा कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने यह विधेयक हमारे सामने रक्खा है, इसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ज्यों का त्यों रक्खा है। यह ठीक है कि किसी प्रदेश की जनता की बिना इच्छा के बर्बरतापूर्वक उस क्षेत्र को लेना उसके लिये अन्याय है। परन्तु हम देख रहे हैं कि जितने क्षेत्र उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं वे सभी इस बात के उत्सुक हैं कि उत्तर प्रदेश में मिल जायं। बिहार के चार जिले हैं—शाहाबाद, सारन, आरा और चंपारन। १२५ साल से अधिक से इन जिलों की बाउन्ड्री का झगड़ा चल रहा है और स्थायी रूप से सीमा-निर्धारण करने में दोनों सरकारों को परेशानी हो रही है और उसकी वजह से आपस में मेल भी नहीं रहता है। इसलिये आवश्यक है कि ये चार जिले उत्तर प्रदेश में सम्मिलित कर दिये जायं। इसके अतिरिक्त इनके निवासियों की ओर से कान्फ्रेन्सेज और सम्मेलन होते रहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। यह इसलिये भी आवश्यक है कि वहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है जब कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भोजपुरी ही बोली जाती है इसलिये उन जिलों को यहां मिलाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार से विन्ध्य प्रदेश के दो भाग बुन्देलखंड और बघेलखंड के आठ जिले भी इसी प्रकार से हैं। इन आठ जिलों में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। यदि ये मध्य प्रदेश में ही सम्मिलित रहते हैं तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र की उन्नति नहीं हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य से मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पास जो संशोधन भेजा है उसमें इन ८ जिलों का कहीं जिक्र नहीं है। आपने बीच में कुछ और जोड़ दिया है, आपने अपने संशोधन में भी सशोधन कर दिया, यह आपने कहां पर मिलाया है?

श्री श्री चन्द्र—विन्ध्य प्रदेश से आठ जिले।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके दुरुस्त किया हुआ भाग मेरे पास भेज दें।

श्री श्रीचन्द्र—मैंने सशोधन दिया है विन्ध्य प्रदेश में बुन्देलखंड और बघेलखंड दोनों आ जाते हैं जिनमें ८ जिले हैं। इन ८ जिलों में हम जहां भी देखते हैं वहां खनिज पदार्थ बहुत अधिक संख्या में हैं। मैं समझता हूं कि यह जिले हमारे प्रदेश का उद्धार करने में समर्थ होंगे, यदि वे इस सूबे में मिला दिये जायं तो यहां काफी खनिज पदार्थ हो जायंगे

[श्री श्रीचन्द्र]

और यहां भी फैक्टरी आदि काफी चल सकेंगी और उससे उस भाग का और इस प्रदेश का भी लाभ होगा। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल २३,६०३ वर्गमील है और ३६ लाख के करीब (३५,७४,६९०) जन संख्या है।

इसी प्रकार मध्य भारत के जो शिवपुरी, पुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना आदि भी मिलाए जा सकते हैं और जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बताया कि यह क्षेत्र भी हमारे प्रदेश में मिलने को तैयार हैं। इसमें हमारे प्रदेश की भी कोई ज्यादती न होगी क्योंकि वह खुद ही मिलने को तैयार हैं। हम प्रस्ताव पास करें तो उनको भी आसानी होगी और हम भी इच्छुक हैं ही और सब की सुविधा इसी में हो सकती है यहां का क्षेत्रफल १४,४३९ वर्गमील के लगभग है और जनसंख्या २१,१६,४६१ है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र पंजाब का भी है वहां के ५ जिले अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार और गुड़गांव; अम्बाला की २ तहसीलें खरड और रूपड़ को छोड़ कर इस इलाके का हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिलों से हर बात में बड़ा गहरा सम्बन्ध है और वहां के रिवाज और संस्कृति, भाषा आदि बहुत मिलती जुलती है। वह जिले और वहां के लोग भी इस प्रदेश में मिलना चाहते हैं। यहां का क्षेत्रफल १४,५३१ वर्गमील है और जनसंख्या ४८ लाख, ४६ हजार के करीब है। इसके अलावा पेप्सू की भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे महेन्द्रगढ़, जींद और नखाना आदि वह भी इस प्रदेश में मिलायें जा सकते हैं और वहां की जनता भी इसके लिए उत्सुक है, वहां का क्षेत्रफल २,५०५ वर्गमील है और जनसंख्या ८ लाख १५ हजार के करीब है। इसके अलावा राजस्थान के भी धौलपुर, भरतपुर और अलवर आदि क्षेत्र अगर हमारे प्रदेश में आ जायं तो उचित होगा। यह भी ऐसा ही इलाका है जहां से हमारे यहां की भाषा और रिवाज मिलते हैं। वह भी अगर इधर मिल जायं तो उनके और हमारे दोनों के लिए सुविधानुकूल होगा। इनका क्षेत्रफल ६,३७८ वर्गमील है और जनसंख्या १७ लाख ६९ हजार के करीब है।

इसी तरह से दिल्ली राज्य भी है उसमें से नई दिल्ली को छोड़कर पुरानी दिल्ली और इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वह सब इसमें मिला दिया जाय। यह भी सुना जाता है कि गाजियाबाद और शाहदारा भी शायद उत्तर प्रदेश में मिल जाय और यदि पंजाब का भी कुछ हिस्सा शायद इस प्रदेश में आ जाय तो यह अनुचित न होगा। अगर वह छोड़ दिया जाता है तो वह जरा बेतुका सा हो जायगा। दिल्ली राज्य का रकबा ५७८ वर्गमील है और जनसंख्या १७ लाख ४४ हजार है। इस प्रदेश का गहरा सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से है। बिहार के सम्बन्ध में मैंने पहले निवेदन कर दिया कि यदि इस प्रकार से कुल जोड़ा जाय तो १८,१९,०९३ वर्गमील क्षेत्रफल होता है और ८,२८,४१,००० जनसंख्या होती है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसा कि नया प्रदेश बन रहा है उसका क्षेत्रफल लगभग इस क्षेत्रफल के बराबर ही होता है परन्तु उसकी जनसंख्या २ करोड़ ६१ लाख के लगभग अर्थात् एक चौथाई के करीब है। इसमें सवा ८ करोड़ के लगभग होती है और मध्य प्रदेश की ढाई करोड़ के करीब है। यदि यह कहा जाय कि यह बहुत बड़ी स्टेट बन जायगी जिसका प्रबन्ध होना बड़ा कठिन है—इसके लिए मैं सुझाव यह देता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब से हम देख रहे हैं यहां एक चीज बड़े झगड़े की चलती रही है—चाहे कोई भी हालत इस सदन में हो यहां तीन बातों का अवश्य जिक्र आता है —पूर्वी जिलों का, पश्चिमी जिलों का और पहाड़ी क्षेत्र का। मेरे खयाल से इन बातों को मिटा देना चाहिये और हमारे उत्तर प्रदेश में इन बातों का जिक्र न होना चाहिये। सन् ५२ में मैंने यह कहा था कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्व, पश्चिम और पहाड़ों का जिक्र होता है तो ऐसा न हो कि ज्वालामुखी पहाड़ की तरह से कोई विपत्ति पैदा हो जाय। मेरे ये शब्द इसी सदन के कहे हुए हैं। जिसका फल आज यह है कि यह चीज कम नहीं हो रही है— पहाड़ में कोई उन्नति नहीं हुई, पश्चिम में कुछ नहीं हुआ और पूर्व में भी कुछ नहीं हुआ, इत्यादि।

साथ ही साथ मेरा विचार यह है कि जहां ये जोनल कौंसिलें बनाई जा रही हैं वहां उसी तरह से रीजनल कमेटियां या प्रदेशीय समितियां भी बनाई जायं। इसमें सुविधा यह होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्रों का यह विचार हो कि पहले तो छोटा राज्य बनाने के लिये कह रहे थे और अब बड़ा बनाने के लिये कह रहे हैं लेकिन मेरा विचार वही है जो पहिले था। मैं चाहता हूं कि सुप्रबन्ध हो, अच्छा संगठन हो और हमारी शक्ति बढ़े---इसलिये शक्ति बढ़ाने के लिये आवश्यक है जिस प्रकार से डेवलपमेंट के लिये जिले में सब जगह पर प्लानिंग कमेटीज बना रक्खी हैं---उसी तरह से क्षेत्र के अनुसार कौन्सिलें बनें तो बड़ी सुविधा होगी और इसमें मेरा सुझाव तो यह है कि एक प्रदेशीय कमेटी तो पूर्वी जिलों की हो, एक पहाड़ी क्षेत्र की और एक पश्चिमी क्षेत्र की, यह मेरा सुझाव है। यह मेरे मित्र न समझें कि इस तरह के टुकड़े हम नहीं चाहते। जो लाभ की चीज है वह होनी चाहिये। ये तीन कमेटियां जो मैंने बताईं उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। जिस प्रकार से सुविधा हो उस प्रकार से किया जाय। इसमें लाभ यह होगा कि जिस क्षेत्र का जहां डेवलपमेंट हो रहा है उसके डेवलपमेंट के लिये यहां हमारे सदन में प्रत्येक माननीय सदस्यों को कहने की आवश्यकता तथा कठिनाई नहीं होगी। जो कुछ उन्नति आवश्यक है वहां के लिये वह की जायगी और उसे वे स्वयं ही करेंगे और उनकी बातें माननीय भी होंगी। अब तक काफी इस पर वाद विवाद हुए, उत्तर प्रदेश के पुनसंगठन के सम्बन्ध में। मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता लेकिन केवल एक बात मैं यहां रख देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में यह सौभाग्य की बात है और प्रदेशों की तरह यहां कभी कटुता नहीं आयी, न कभी वैमनस्य अथवा द्वेष उत्पन्न हुआ और न किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। यहां मेरे कुछ मित्रों ने उस समय उपद्रव मचाना चाहा लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने भरसक प्रयत्न किया कि हमारे प्रदेश में इस किस्म की बातें, कटुता या बदगुमानी पैदा नहीं होनी चाहिये और इसके सम्बन्ध में जैसा भी निर्णय दिया है हम उस पर सहमत हैं। लेकिन मेरा सुझाव कथित है और यदि इन सुझावों को मान लिया जाय तो अच्छा है।

जो जोनल कौन्सिल्स बनाई जा रही हैं उनके बारे में मेरा कुछ मतभेद है। जोनल कौन्सिल जो विचाराधीन है, इसमें कई प्रदेशों को मिला कर एक-एक कौन्सिल बनाई जायगी। लेकिन कौंसिल से कोई ज्यादा सम्बन्ध नहीं होगा, क्योंकि हर प्रदेश के अलग-अलग कानून हैं, अलग-अलग खर्चा है, बजट इत्यादि सब अलग हैं और इससे कोई अधिक हित नहीं होगा। केवल इसमें खर्च अधिक बढ़ जायगा इससे हित जरूर हो सकता है यदि कोई समय ऐसा आये कि तमाम भारतवर्ष को एक राज्य बना दिया जाय, तमाम प्रदेश एक साथ मिला दिया जाय। यह तभी हो सकता है, जब हमारे प्रदेश इस योग्य हो जायं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझने लगे तभी यह सम्भव है। तो यह जोनल कौन्सिल जो बनाई जा रही है इसके द्वारा केन्द्र में एक मिला जुला संगठन होगा इसलिये ये हितकर हो सकती हैं। इस संशोधन के बारे में मैं कह देना चाहता हूं। जैसा कि ३७१ परिच्छेद, संविधान का है उसमें आंध्र, तैलंगाना और पंजाब का जिक्र है वहां पर उत्तर प्रदेश भी शामिल कर दिया जाय क्योंकि उनमें राजनल कौंसिलें बनायी जा रही हैं जैसा कि ज्ञात होता है। इसी प्रकार यह शब्द (Uttar Pradesh and) बढ़ा दिये जायं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी प्रदेशीय समितियां होना चाहिएं।

(इसके बाद श्री अध्यक्ष ने श्री सत्य सिंह राणा का नाम पुकारा।)

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---जनाबवाला, मैंने एक संशोधन पर संशोधन रखा है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन मैं संशोधन पर संशोधन नहीं लूंगा। जिस वक्त आपको बोलने का मौका आये, उस वक्त आप जो कहना चाहें कह दें क्योंकि अगर मैं इस तरह से जाजत दे दूं तो बहुत से संशोधन और भी आ जायेंगे।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--अब तक जो आ चुके हैं.....

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है। लेकिन समय कम होने की वजह से पहले ही मैंने कह दिया था।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--बहरहाल, यह उम्मीद तो करनी चाहिए कि जिन लोगों ने संशोधन दिया है.....

श्री अध्यक्ष--उनको मौका दे दिया जायगा। इसके बाद अगर अब कोई संशोधन आयेंगे, इस उम्मीद से, तो मैं उन संशोधनों को अब नहीं लूंगा।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--ग्यारह बजे तक जो कुछ हो गया वह हो गया।

श्री अध्यक्ष--आपको मौका मिल जायगा।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष--मैं पहले स्वतन्त्र संशोधन ले लूं। जो एक दूसरे से मिले हुए संशोधन हैं उनको बाद में लूंगा। आपको मौका भी मिल जायगा।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:--

"और केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करें कि देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तरी सीमा पर, स्थित पर्वतीय क्षेत्रों की(strategje) महत्ता को समझते हुए तथा उनकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समान परिस्थितियों को जो मैदानी से क्षेत्रों से सर्वथा भिन्न है, दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान हिमाचल प्रदेश को केन्द्र शासित इकाई (union territory) के रूप में न रखा जाय अपितु हिमाचल प्रदेश और इस प्रदेश के देहरादून, टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल के जिलों को मिला कर एक राज्य बनाया जाय।"

श्रीमन्, मैं जब यह प्रस्ताव रखना चाहता था तो मैं एक परेशानी में था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी परेशानी बहुत हद तक दूर कर दी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में इस बात पर प्रकाश डाला कि जो ठोस प्रमाणों के आधार पर इस राज्य से अलग भी होना चाहते हैं वह हो सकते हैं। दूसरे उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि असेम्बली के सारे मेम्बरों के वोट पर यह बात मुन्हसर नहीं होती बल्कि जो जिस हिस्से के रहने वाले प्रतिनिधि हैं, अगर उनकी आवाज उस पक्ष में है तो वह मान्य होगी। इस तरह से बघेलखंड के सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार प्रगट किये। जब कि आज विचार बड़े-बड़े राज्यों के बनाने के बारे में है, जैसा कि विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में शामिल करना है या जैसा माननीय श्री चन्द्र जी ने हिन्दी भाषी विशाल उत्तर प्रदेश को बनाने का प्रस्ताव रखा है; उस वक्त सचमुच यह कुछ आश्चर्य की सी बात मालूम होती है कि पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके एक पर्वतीय प्रदेश बनाने का प्रस्ताव किया जाय। लेकिन, श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण सदन के सामने रखना चाहता हूं और अर्ज करना चाहता हूं कि सदस्य अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके उस पर विचार करें, और पार्टी मेन्डेट को सामने न रख करके हमारी इस मांग के ऊपर निर्णय दें। मैं एक यह प्रश्न पूंछना चाहता हूं कि राज्यों के पुनर्संगठन करने की क्या जरूरत पड़ी। इसलिये कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस प्रकार के राज्य बनाये जो उसके शासन, राजनीतिक दृष्टिकोण से

ठीक बैठे। उसने लोगों को सुविधा, देश की उन्नति, सुरक्षा और लोगों की भावना को कोई स्थान नहीं दिया। श्रीमन्, इन्हीं सब बातों के आधार पर कांग्रेस ने एक मापदंड रखा जिसमें भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में समान परिस्थितियों के होने पर उसने अलग-अलग राज्यों को बनाने के लिये आवाहन किया। अगर इस मापदंड के सामने मेरे विचार ठीक उतरते हैं तो मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो मांग रखी है वह ठीक है। जहां तक लोगों की भावना का सवाल है वह सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश से यह मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि पुरानी है। हिमालय प्रदेश ने आज भी अपनी असेम्बली में इसी बिल पर बहस करते हुए एक रिजोल्यूशन इस प्रकार का ऐडाप्ट किया है कि उसको यूनियन टेरीटरी न रख करके, उसको अन्त में पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव न रखा जाय बल्कि उसके साथ जो कन्टीगुअस हिल एरियाज हैं उनको मिला करके एक प्रदेश बनाया जाय। हमारे यहां के इस सदन के कुछ एम० एल० एज० ने इस प्रकार का एक मेमोरेन्डम आयोग के पास भेजा था और जब पिछली दफा आयोग की रिपोर्ट पर बहस हो रही थी तो बहुत सारे पर्वतीय जिलों के एम०एल० एज० में से मेजोरिटी ने इसका समर्थन किया था। देहरादून के हमारे वयोवृद्ध एम० एल० ए० श्री नरदेव शास्त्री और टिहरी तथा गढ़वाल के कांग्रेस तथा विरोधी सज्जनों ने इसका समर्थन किया था।

इसके अलावा एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक जनता की राय का सवाल है वह स्पष्ट है, उसकी हमेशा इस बात की मांग रही कि इस प्रकार का एक प्रदेश बनाया जाय जिसको उन्होंने स्थानीय पत्रों में जोर शोर से व्यक्त किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य माननीय वक्ता को बीच में टोकें नहीं।

श्री सत्य सिंह राणा—श्रीमन्, देहरादून में करीब-करीब हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के सभी लोग बसते हैं उनकी एक सभा है जिसने हमेशा यह मांग की है। जहां तक मेरा खयाल है कम्यूनिस्ट पार्टी ने इस देश की जो प्रान्तों के नवनिर्माण के बारे में राय दी उन्होंने भी यही कहा। यही नहीं, पी० एस० पी० पार्टी ने भी, जहां तक मेरी जानकारी है, यही कहा कि अगर इस प्रदेश का विभाजन होना है तो एक पर्वतीय प्रदेश का होना एक साइन्टिफिफ डिवीजन होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जनता ने इसके लिये पूरी तौर से मांग की है और उसका समर्थन होना चाहिये।

अब, श्रीमन्, जहां तक इन क्षेत्रों की समानता का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यह एक कन्टीगुअस एरिया है। जहां तक ऐतिहासिक बात का ताल्लुक है, पुराण इस बात के साक्षी हैं कि हिमालय के क्षेत्र हमेशा मैदानी इलाके से अलग रहे। स्वराज्य आन्दोलन के दौरान में हिमालियन रीजनल स्टेट्स पीपुल्स काउसिल बनी थी उसने इस आशय का प्रस्ताव किया था कि एक पर्वतीय प्रान्त बने। इस प्रकार के प्रान्त बनने का सुझाव कांग्रेस ने भी सन् १९४७ में किया था मैंने अल्मोड़ा और नैनीताल को इसमें इसलिये नहीं रखा क्योंकि किन्हीं कारणों से वहां के सदस्य लोगों ने अपने विचार इसके प्रतिकूल प्रकट किये यद्यपि इसकी भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जबकि यह प्रश्न किसी के सामने भी नहीं था उस वक्त भी साइमन कमीशन के सामने अल्मोड़ा और नैनीताल के लोगों ने इस बात की मांग की थी कि एक इस प्रकार का अलग प्रदेश उनका बनाया जाय, इसलिये आज भी वहां के प्रतिनिधि साहबान इस बात पर पूरे तौर से गौर करें कि जहां हमारा सबसे अधिक हित हो उसी के साथ जाना हमारे लिए सर्वथा रक्षित होगा। जब आप संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं तो जितने ये हमारे जिले हैं और हिमाचल प्रदेश है इनमें

[श्री सत्य सिंह राणा]

सांस्कृतिक एकता है । हमारा रहन-सहन, हमारे रीतिरिवाज, हमारे लोक गीत, नृत्य, हमारे त्यौहार, देवी-देवता वगैरह सब एक से हैं । हमारी चित्रकला और कला भी एक सी है । भाषा में भी कोई विशेष फर्क नहीं है । वहां पर पहाड़ी भाषा सब जगह बोली जाती है । थोड़ा बहुत ऐक्सैन्ट में डिफरेंस जरूर है लेकिन श्रीमन्, यह जो भाषा है वह हिन्दी का ही विकृत रूप है । हिन्दी ही वहां स्कूलों में पढ़ाई जाती है और देवनागरी स्क्रिप्ट है ।

इसी प्रकार जब हम आर्थिक स्तर पर विचार करते हैं तो हमारे इन जिलों में आर्थिक समानता भी है । यहां के सभी लोग गरीब हैं, निर्धन हैं । जमीन पर मुनहसर रहने वाले हैं । वहां पर न तो कोई पूंजीपति है न कोई वहां लैंडलार्ड है । वहां के लोग बड़े सरल, बड़े शान्त और हत्याओं, चोरियों और डकैतियों से अनभिज्ञ हैं । कम्यूनल झगड़े का जहां तक सवाल है जिसके नाम पर देश में बड़े बड़े उपद्रव खड़े होते रहते हैं । वह कम्यूनल फीलिंग भी वहां पर बिलकुल नहीं है । अब देखना यह है कि इन सब बातों के साथ साथ, इन सब समानताओं के होते हुए भी क्या यह सम्भव नहीं हो सकता कि हम उत्तर प्रदेश के साथ रहें । श्रीमन्, यह सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए कि हमारे पर्वतीय इलाकों की सब बातें मैदानी इलाकों से भिन्न हैं । उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में माननीय पाणिक्कर साहब ने भी अपने नोट में कहा है कि :—

"On the other hand, there is plenty of evidence that nothing has happened during these hundred years to alter the basic fact that this area has but little unity. There is or can be very little unity between the still nomadic inhabitants of the Garhwal and Kumaun Himalayas or of the hilly area of Bundelkhand on one hand and the inhabitants of the fertile Gangetic Valley on the other."

श्रीमन्, यही नहीं, प्रदेश की योजनाओं को भी देखें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि यहां पर जितनी योजनायें बनाई गईं उनसे हमारे जिलों की तरक्की होना सम्भव नहीं । श्रीमन्, हम देखते हैं कि जितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं वह मैदानी इलाकों के दृष्टिकोण से बनाई जा रही हैं । यह सरकार पापुलेशन बेसिस पर योजनायें बनाती हैं जो पहाड़ों पर दूर दूर बसे हुये गांवों के लिये कतई उपयोगी नहीं है । ऐडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, उसके सम्बन्ध में जितना कम कहा जाय उतना ही अच्छा है । मैं नहीं जनता कि वहां के निरीह और गरीब लोग जिनके साथ अन्याय होता है उनके पास कहां से इतने साधन आयेंगे कि पांच–छः सौ मील आकर यहां पर मुख्य मंत्री या सरकार से अपनी बात कह सकें या जिनको वहां इन्साफ नहीं मिलता है वह इलाहाबाद आकर हाई कोर्ट से इन्साफ प्राप्त करें ।

सर्विसेज में जहां संविधान में समान अवसर देने को कहा गया है, मैं यह कहता हूं कि यह अवसर हमारे जिले के लोगों के लिए नहीं है । आफिसर लोग पक्षपात और मनमाना जो चाहते हैं करते हैं । सर्विसेज के देने में कितनी धांधली होती है इसका बयान नहीं किया जा सकता । उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती । जो वहां पर अधिकारी के "Probation Promotion" या Punishment पर भेजे जाते हैं उनका कोई कन्टेक्ट जनता से नहीं रहता । श्रीमन्, और तो और; हमारे यहां इम्प्लायमेंट एक्सचेंज तक नहीं और इस प्रकार जब हमारे यहां कोई पढ़ा लिखा नौकरी चाहता है तो उसके पास कोई जरिया कोई पहुंच नहीं कि वह कुछ फायदा उठा सके या पबलिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद आ सके ।

अब मैं एक बात की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह कि क्या कारण है, क्या जस्टिफिकेशन है इस बात का कि हिमांचल प्रदेश जो कि हमारे समान ही है, जिसकी समस्यायें हमारी समस्याओं से भिन्न नहीं है जहां पर इन दिनों में हमसे

ज्यादा प्रगति और तरक्की हुई है, उसको सेपरेट रखा जाय और उसके समकक्ष जो और हिली प्रान्त है उनसे वैसा बर्ताव न किया जाय। मैं श्रीमन्, आज इस सदन में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश एक अलग यूनिट रहा सकता है और केन्द्र उसकी जिम्मेदारी ले सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी भी जिम्मेदारी लें। हां, मैं इस सम्बन्ध में एक बात यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने इतने साल तक डिमोक्रैटिक गवर्नमेंट के राज्य का स्टेटस एंजाय किया है इस लिए उसको खत्म न किया जाय बल्कि सारे पर्वतीय क्षेत्रों को मिला कर एक राज्य बनाया जाय जिससे लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार रहे जहां वे अपने किस्म की योजनाएं बना सकें।

श्रीमन्, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन के नेता श्री फजल अली ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने से जिन खतरों का कंटेम्पलेशन किया है वह बातें आज स्पष्ट रूप से हमारे सामने हैं और उन्हीं को मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया। सबसे बड़ी बात जो हिल प्रान्त के महत्व को प्रकट करती है वह यह है कि वह एक बोर्डर एरिया है, सीमान्त प्रदेश है और वहां जिस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत रहती है उसको ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है कि सीमान्त पर एक मजबूत, कम्पोजिट, होमीजिनस यूनिट रहे। सैनिक लोग वहां रहते हैं, लेकिन अंग्रेजों की इस नीति को न अपनाया जाय कि वक्त जरूरत उनको कैनन फौडर की तरह इस्तेमाल किया और फिर उनसे कोई मतलब नहीं। उनको सेल्फ डिटरमेशन का अधिकार हो जिससे वह देश की रक्षा के लिए हिमालय की तरह रहे। आर्थिक क्षेत्र में जो शंका की जाती है वह भी निर्मूल है। अगर वन विभाग के मंत्री की आपने स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि पर्वतीय प्रदेश किसी प्रकार से डेफिसिट नहीं है। उनके पास जंगलों बहुत बड़ी निधि है। विन्ध्य प्रदेश के बघेलखंड एरिया के मिनरल रिर्सेसेज का जिक्र किया गया, मैं बताना चाहता हूं कि मिनरल रिर्सोसेज पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत अधिक है लेकिन उनको देखने वाला और खोज करने वाला कौन है। साथ ही नदियों में बिजली की शक्ति भी बहुत है। और वहां के रिसोर्सेज को कार्यान्वित किया जाय तो हम प्रस्तावित पर्वतीय प्रदेश को ही नहीं अपितु उससे सारे देश को हम महान लाभ पहुंचा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री ब्रजबिहारी मिश्र, आप बाद में भाषण देंगे। आप को मैंने बुला लिया है। आप अपना संशोधन तो उपस्थित कर सकेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अन्तर आपके संशोधन में और तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन में है। लेकिन श्री राधामोहन सिंह और भृगुनाथ चतुर्वेदी का जो संशोधन है वह श्री तेज प्रताप सिंह के संशोधन में ही शामिल हो जाता है, इस लिए वे उसे संशोधन के रूप में प्रस्तुत न करें, लेकिन भाषण देना चाहें तो भाषण देने का उनको मौका मिलेगा।

अब ब्रजबिहारी मिश्र जी का संशोधन सामने आ रहा है। उनके बाद जिन लोगों ने संशोधन और दिये हैं बाद में, उनको सिर्फ बोलने का ही मौका दे दूंगा, संशोधन उपस्थित करने का मौका नहीं दूंगा। अब एक बजे तक जिनके संशोधन आ चुके हैं उनको भाषण देने का मौका दे दूंगा और वह अपने भाषण में जिक्र कर सकते हैं, लेकिन संशोधन उपस्थित और कोई नहीं हो सकते।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय —

"परन्तु उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश के निवासियों की इच्छा को दृष्टि में रखते हुये यह सदन भारतीय सरकार से अनुरोध करता है कि पूरा विन्ध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिला

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

दिया जावे । यदि किसी प्रकार से ऐसा न हो सके तो कम से कम विन्ध्य प्रदेश के वे जिले जो उत्तर प्रदेश से लगे हुये हैं (माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंनेएक संशोधन दिया है अपने इस प्रस्ताव में। उसके बाद यह प्रस्ताव इस प्रकार हो जायगा।) अर्थात् बघेलखंड के वे जिले जिनके प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में शामिल होने के लिये राय प्रकट कर दी है, इस प्रदेश में अवश्य मिला दिये जायं।"

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखने से साफ प्रकट होगा कि करीब ८ जिले जो इस समय विन्ध्य प्रदेश के जिले कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश से मिले हुये हैं। बुन्देलखंड पहले जैसा था उसमें ८ जिले थे। उसमें से चार जिले, झांसी, हमीरपुर, बांदा और जालौन उत्तर प्रदेश में मिला दिये गये थे और बकिया चार जिले टीकमगढ़, दतिया, पन्ना और छतरपुर, इनकी एक स्टेट बन गयी थी जो बाद में जब राज्यों का पुनर्संगठन हुआ रियासतें समाप्त की गयीं तो वे जिले विन्ध्य प्रदेश में मिला दिये गये। इस प्रकार जो ये चार जिले बुन्देलखंड और चार जिले बघेलखंड के थे इनको मिला कर ८ जिलों का यह विन्ध्य प्रदेश बन गया। प्रथमतः भारतीय सरकार से इस सदन के द्वारा मेरा यह अनुरोध है कि इन आठों जिलों को, अर्थात् पूरे विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिला दे। अगर किसी कारण से ऐसा सम्भव न हो तो उस दशा में मेरा यह अनुरोध है कि वे चार जिले जिनके प्रतिनिधियों ने स्पष्ट यह मत प्रकट कर दिया है कि बघेलखंड के ये जिले उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं वे अवश्य उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं। इसके अन्य कारण भी हैं। एक पुस्तिका हम लोगों को मिली है जिसका शीर्षक है "Baghelkhand favours uttar Pradesh" उसके पढ़ने से साफ प्रकट होता है कि वहां के जन प्रतिनिधियों ने जो वहां की विधान सभा में भाषण दिये उनमें विशाल बहुमत ने इस पक्ष का समर्थन किया कि उत्तर प्रदेश से ही मिलने के कारण उनका कल्याण है। जब इस सदन में राज्य पुनसंगठन के प्रश्न पर पहले पहल विचार हुआ था हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने ऐसा ही विचार प्रकट किया था। उन्होंने यह हमारी कभी मन्शा नहीं है कि हम देश के किसी भाग को वहां के निवासियों के राय की विरुद्ध इस प्रदेश में मिलाने का प्रस्ताव करें परन्तु अगर देश का कोई भाग यह चाहता है कि वह इस प्रदेश में शामिल हो तो उस दशा में हम अपना यह कर्त्तव्य समझते हैं कि हम हाथ बढ़ा कर उनके साथ सहयोग प्रदान करें तथा उनका स्वागत करें। बघेलखंड के निवासियों की यह राय है कि मध्य प्रदेश में मिलने से उनकी कोई भलाई नहीं हो सकती है। बघेलखंड के जो चार जिले हैं उनमें खनिज पदार्थ भी हैं और कुछ ऐसे कार्य भी वहां पर किये जा सकते हैं जिससे वहां की उन्नति हो सकती है क्योंकि वह भाग पिछड़ा हुआ है। जो पुस्तिका हम लोगोंको मिली है उसके अवलोकन से साफ प्रकट होता है कि वहां के सम्मानित सदस्यों ने वहां की विधान सभा में भाषण करते हुये अपना साफ मत प्रकट किया कि मध्य प्रदेश में शामिल होने से उन की भलाई नहीं हो सकती है। करीब करीब सभी पार्टियों के सदस्यों ने, जैसी कि आखिर में जो तालिका दी हुई है उससे प्रकट होता है कि रीवां, सीधी और सतना के २५ सदस्य थे, इनमें से एक तो माननीय स्पीकर हैं और दो मंत्री हैं, चार उस दिन अनुपस्थित थे, जिस दिन इस प्रस्ताव पर राय ली गयी थी उसको भी देखने से प्रकट होता है कि कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने भी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सात के सातों सदस्यों ने यह राय प्रकट की थी कि अगर विन्ध्य प्रदेश अलग रह सके तो उस दशा में यह बात स्वीकार की जाय कि विन्ध्य प्रदेश अलग रहे उन सदस्यों ने यह भी कहा था कि अगर इस प्रदेश को अलग नहीं रखना है उस दशा में जो ७ आदमी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं उन सब का यही मत था कि उत्तर प्रदेश में उसको मिलाया जाय। यही उनकी राय थी। इसी तरह से विरोधी पक्ष के नेता की भी यही राय थी जो इस पुस्तिका से मालूम होती है। जन संघ के एक सदस्य राम राज्य परिषद के हैं उन सब की राय भी यही थी और करीब करीब सभी सदस्यों ने यही कहा है--कि यदि इसको कहीं सम्मिलित करना है तो उत्तर प्रदेश में ही इसे मिलाया जाय। ऐसी दशा में मैं तो यही कहूंगा कि सर्व समिति

से बघेलखंड के निवासियों ने निर्णय किया है कि उनकी भलाई इसी में है कि जो जिले हमारे प्रांत से मिले हुये हैं वे उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं। यह उनकी मांग है जो उन्होंने प्रस्ताव के रूप में प्रकट की है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था और मुख्य मंत्री जी ने भी पहले कहा था कि हम जबर्दस्ती किसी प्रदेश की राय के विरुद्ध नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के साथ वह प्रदेश मिला दिया जाय; यदि उस प्रदेश के निवासियों की इच्छा है कि वह प्रदेश इस प्रदेश में मिलाया जावे तो हम अवश्य स्वीकार करेंगे कि वह भाग हमारे साथ मिला दिया जाय। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने साधन हैं कि हम उस पिछड़े प्रदेश का विस्तार कर सकते हैं और इस प्रदेश की भलाई भी कर सकते हैं और साथ ही अपने प्रदेश की भी भलाई कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि जो बघेलखंड और बुन्देलखंड के निवासी हैं और जो झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा के रहने वाले हैं उन सब की यही इच्छा है कि ये भाग उत्तर प्रदेश में मिला दिए जायं। उनसे हमें भी बातें करने का अवसर मिला है वह सब चाहते हैं और उन सबका भाईचारा है और सबकी इच्छा है कि वह हिस्सा हमारे प्रदेश के साथ मिला दिया जाय। जो भाषण वहां हुये हैं उनको इस सदन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसकी ओर संकेत करना मैं आवश्यक समझता हूं कि उन भाषणों में यह संकेत किया गया है कि उन लोगों में आपस में भाई चारे का संबंध है और एक दूसरे के यहां खान पान इत्यादि में वे शामिल होते हैं और रीति रिवाज तथा शादी व्याह आदि में भी वे एक हैं। ऐसी दशा में जो ज्योग्रेफीकली डिवीजन किया गया है वह ठीक नहीं है। बल्कि जैसे कि उनकी मांगे हैं और जिसका हम भी समर्थन करते हैं और जैसा कि हमने प्रस्ताव में भी कहा है कि हमें भारतीय सरकार से प्रार्थना करनी है कि जब आप राज्यों का बंटवारा करने जा रहे हैं और वह जो होने जा रहा है वह हमेशा के लिये हो रहा है तो ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि हमारे सदन का भी मत प्रकट कर दिया जाय। बघेलखंड और बुन्देलखंड के लोग सभी चाहते हैं कि यह हिस्सा उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। इन भागों में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर दृष्टि से समानता है और हमारी मांग है। हम समझते हैं उस पर केन्द्र अवश्य विचार करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, और भी बड़ा हो जायगा। यह तर्क कोई तर्क नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे प्रान्त से भी बड़ा प्रान्त मध्य प्रदेश का बनने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक प्रश्न और केन्द्र में विचारणीय है, और वह यह है कि रीजनल कौन्सिल्स बना दी जायं। फिर तो बड़े बड़े प्रान्तों का होना हम समझते हैं कि और आवश्यक है। राज्यों का बंटवारा किया जा रहा है तो बड़े-बड़े प्रदेशों का बनाया जाना हर दृष्टि से उत्तम है। हमारे देश के वयोवृद्ध नेता माननीय राजगोपालाचारी जी ने अभी अपना मत प्रकट किया है अखबारों में, और कौन्सिल में भी जो प्रश्न आया था उसमें भी उन्होंने यही मत प्रकट किया था। वह चाहते हैं कि दक्षिण भारत का एक विशाल राज्य बना दिया जाय। अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। उसका जो मतलब लोगों ने लगाया था उसका उन्होंने खंडन किया है कि मैंने मतभेद के कारण इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि मैं कौन्सिल का मेम्बर नहीं रहना चाहता हूं इसलिये कांग्रेस पार्टी से भी मैंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे बहुत से राजनीतिज्ञों का कहना है और वे इस विश्वास के हैं और मैं समझता हूं कि उनका विश्वास ठीक है कि देश को छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित करना उत्तम न होगा। जब हमारे राजनीतिज्ञों की ऐसी राय है, देश के बड़े नेताओं की ऐसी राय है कि राज्यों के छोटे-छोटे टुकड़े न किये जायं, वरन् बड़े बड़े टुकड़े रहें तो ऐसी दशा में बुन्देलखंड का वह भाग जिसके बारे में मैंने प्रस्ताव किया है, आवश्यक है कि

[श्री ब्रजबिहारी मिश्र]

उस उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा। इसमें हमारी भलाई के साथ-साथ उस प्रदेश की भी भलाई है जो हमसे मिलना चाहता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

*श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ श्री तेजप्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका भी समर्थन करता हूं। मैंने श्री तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन में एक संशोधन पेश किया था लेकिन वह देर की वजह से स्वीकार नहीं हो सका। लेकिन उसका आशय मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने उस संशोधन में कहा था कि विन्ध्य प्रदेश के अतिरिक्त मध्य भारत के चार जिले मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी भी उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिये जायं। श्रीमन्, जिस वक्त एस० आर० सी० की रिपोर्ट निकली थी उस वक्त हम कुछ अदब में आ गये थे। श्रीमन्, पणिक्कर साहब ने यह सिद्धान्त रखा था कि अगर एक प्रान्त बहुत बड़ा रह गया तो उसकी वजह से और भागों को खतरा पैदा हो जायगा, लेकिन स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश में जो स्थिति पैदा हुई और जो बातें हुईं उससे विचारों में परिवर्तन हुआ और उसके बाद यह कहा गया कि अच्छा होता कि बजाय छोटे-छोटे राज्यों के अगर पांच या छः बड़े-बड़े राज्य बन जाते। ऐसा होना शासन और रक्षा की दृष्टि से अच्छा होता। उसके बाद ही बंगाल और बिहार को मिलाने का प्रश्न सामने आया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य को बड़ा करने के विरुद्ध जो बातें पणिक्कर साहब ने रखी थीं और जो दलीलें पेश की थीं वह आज की स्थिति में उपयुक्त नहीं हैं। पणिक्कर साहब की दलीलों की वजह से जैसा कि मैंने निवेदन किया हम अदब में आ गये थे। अदब से श्रीमन्, मतलब यह है कि जो हम कहना चाहते थे कि कुछ और करीब के हिस्सों को हमारे साथ शामिल किया जाय, उसको कहने में हमें कुछ संकोच होता था क्योंकि कहा जाता था कि यह तो यूंही बड़ा है और अगर हम वैसा कहते तो कहा जाता कि इतना बड़ा होते हुए भी यह दूसरों को खाने के लिये तैयार हैं।

इस वास्ते हम खामोश रहे लेकिन उस वक्त भी सदन में कहा गया था कि अगर कुछ विन्ध्य प्रदेश के जिले हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो हमको उसकी प्रसन्नता होगी और हम उसका विरोध नहीं करेंगे। आज जिस प्रकार की परिस्थिति है और जो स्थिति बदल गयी है उसको देखते हुये देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुये यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि उत्तर प्रदेश एक सुदृढ़ और मजबूत प्रान्त बने क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाते हैं और उत्तर प्रदेश को शासन और विस्तार की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं तो उससे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे देश की रक्षा भी होती है। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि जैसा तेज प्रताप सिंह जी ने कहा और जैसा उनका संशोधन है कि विन्ध्य प्रदेश अगर हमारे प्रान्त के अन्दर मिल जायगा तो उचित होगा। वह हमारे प्रान्त से मिला हुआ है उससे हमारा बड़ा निकट का सम्बन्ध है। विन्ध्य प्रदेश के जिलों के लोगों का रहन-सहन और लोगों का आपस में मिलना यह संकेत करता है कि वह इन शासन के अन्दर आना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल बघेलखंड का जिक्र किया है। मैं निवेदन करूंगा कि बघेलखंड के साथ-साथ बुन्देलखंड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के भी जो ऐसे जिले हैं जहां के बारे में वहां के लोगों की मांग है कि वह उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिये जायं और मैं निवेदन करूंगा कि जैसा तेज प्रताप सिंह जी ने कहा है कि समस्त बुन्देलखंड और बघेलखंड के भूभाग को जैसा कि वहां के लोगों की मांग है उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाय।

इसके अतिरिक्त मध्य भारत के जिले भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी और मुरेना के ऐसे जिले हैं जो कि हमारे प्रान्त के बहुत निकट हैं और हमारे प्रान्त से उनका बहुत सम्बन्ध है और इन जिलों के लोगों ने अपनी यह मांग रखी थी कि उनको उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि अगर वहां के लोगों की यह मांग है और वहां के लोग यह चाहते हैं कि यह जिले भी उत्तर प्रदेश में आ जायं तो केन्द्रीय सरकार को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह जिले श्रीमन् ऐसे हैं, जहां पर कई वर्षों से डकैतों और डाकुओं का बहुत दिनों से केन्द्र रहा है और शासन की दृष्टि से यह बहुत मुनासिब होगा कि वे एक राज्य के शासन के अन्दर आ जायं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दो राज्यों की सीमा के अलग-अलग होने के कारण ही डाकुओं को अपना कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है जिसकी वजह से पुलिस को भी अड़चन का सामना करना पड़ता है। यह जिले अगर हमारे प्रान्त में मिल जायेंगे तो यहां का शासन भी बहुत माकूल हो जायगा। जैसा मैंने निवेदन किया यह सामयिक बात है, क्योंकि यहां के लोगों की मांग का कारण यह है कि उनका उत्तर प्रदेश से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है कि उनको उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाय। यह उचित ही उनकी मांग है। जिस वक्त यह एस० आर० सी० रिपोर्ट आयी तो उसमें भी श्री पणिक्कर साहब ने इन जिलों की बाबत संकेत किया था और उसमें बताया था कि इन जिलों को आगरा प्रान्त से जो इनके बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट का सम्बन्ध है। इनको मध्य भारत के अन्दर एक सामयिक दृष्टि से मिलाया गया। पहले यह सिन्धिया का एक राज्य अलग था। जब राज्य का मर्जर हुआ तो एक कोई खास सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं बल्कि कन्विनियन्स को देखते हुये उनको मध्य भारत के अन्दर मिला दिया गया। इस सदन को यह भी मालूम है कि ग्वालियर और इन्दौर में भी कशमकश चला करती है। यह जिले भी अगर हमारे सूबे में आ जायंगे तो इन जिलों के लोगों को भी संतोष होगा तथा उनका भी इसमें हित होगा और शासन सुदृढ़ हो जायगा। मैं फिर से यह निवेदन करूंगा कि आज कल की ऐसी जैसी परिस्थिति आ रही है, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में काफी उलझन पैदा हो गयी है, उन सब बातों को देखते हुये यह जरूरी है कि हमारे देश में ऐसे सुदृढ़ राज्य हों जो कि देश की रक्षा करने में केन्द्र को काफी सहायता दे सकें। मैं निवेदन करूंगा कि मध्य भारत और राजस्थान का शासन यदि देखा जाय, मैं उन पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, जब से लोक शासन कायम हुआ है, वहां कई मिनिस्टरियां बदली हैं। साल भर में १८ महीने में रद्दोबदल होती रही है और यह कहा जा सकता है कि इन प्रान्तों का शासन सुदृढ़ नहीं रहा है। उसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि हमारे प्रान्त का जो शासन रहा है वह सारे देश के लिये एक नमूना रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश को और भी मजबूत करने के लिये यह आवश्यक है कि मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश के वे जिले उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं। इससे न सिर्फ इन राज्य जिलों को ही लाभ होगा बल्कि सारे देश को ही लाभ होगा। इससे हमारा राज्य और सुदृढ़ हो जायगा और आड़े तिरछे वक्त पर अपने ही राज्य को नहीं बल्कि सारे देश को अच्छी तरह से सहायता कर सकेंगे।

श्रीमन्, मुझे सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है तथा जो माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शायद संकोच के वश या इस ख्याल से कि देश

[श्री शिवनाथ काटजू]

वाले यह न कहें कि उत्तर प्रदेश ने मुंह फाड़ना शुरू कर दिया, जब उत्तर प्रदेश वैसा का वैसा ही रह गया तो वह अपनी आंखें आसपास के जिलों की तरफ नचाने लगा, उन्होंने केवल बघेलखंड का ही जिक्र किया लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया केवल बघेलखंड ही नहीं बल्कि बुन्देलखंड और मध्य भारत के चार जिले भी उत्तर प्रदेश में मिला दिये जायं। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरा यह कहना स्वीकार करेगा।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सदन के अन्दर इस प्रश्न पर दुबारा विचार करने का हमें मौका मिला है। सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछली बार जब राज्य पुनस्संगठन आयोग का प्रतिवेदन यहां उपस्थित किया गया था उस समय हमारे देश में दूसरी ही प्रतिक्रिया की भावना फैली हुई थी। हर एक जगह लोग अपनी-अपनी भाषा को लेकर छोटे-छोटे प्रान्तों को बनाने के फेर में पड़े हुए थे। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तमाम राज्यों में बहस हुई और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रतिक्रिया भी हमको देखने को मिली। कहीं-कहीं उपद्रव भी हुए, लूट मार और हत्याएं भी हुईं। इस लूटमार में हमने सत्य को पहचाना। हमने जाना कि राज्यों और हमारे भारत की भलाई राज्यों के छोटे-छोटे होने में नहीं है बल्कि सुदृढ़ और बलशाली राज्यों के संगठन में है। हमने अपनी नीति को बदला और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस अवस्था में हमें आज फिर अपनी राय प्रकट करने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त हमने यह भी देखा कि उस समय जो हमारी आशंका थी कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा था कि इस प्रदेश का विभाजन किया जाय और एक पश्चिमी राज्य अलग बनाया जाय और हमारी वह आशंका और भी बढ़ गई थी जब कि आयोग के एक माननीय सदस्य ने भी उस आवाज का समर्थन किया था। लेकिन जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है, मैं उस वक्त भी इस राय का था और आज भी हूं और मैंने उस वक्त भी सदन के सामने अपनी बात रखी थी कि इस समय इस बात की आवश्यकता नहीं है कि देश में छोटे-छोटे राज्य स्थापित किए जायं बल्कि हम उत्तर प्रदेश को एक बलशाली और सुदृढ़ और विशाल राज्य बनायें और मैंने उस समय भी सदन में कहा था कि राष्ट्र का हित इसी में है कि हम उत्तर प्रदेश को बड़ा बनायें और मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश को मिला कर एक ऐसा राज्य संगठित किया जाय जो राष्ट्र के किसी भी स्थिति में बड़े बड़े मसले हल कर सके और किसी भी देश का मुकाबला कर सके। आज हम उस भय से भी दूर हैं और उस आशंका से छुटटी पा चुके हैं, अब हम बिल्कुल एकमत हैं और कोई भी अब विभाजन नहीं चाहता है और हम यही नहीं चाहते हैं कि बड़े-बड़े राज्य बनाये जायं बल्कि जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब तो समस्त दक्षिण प्रदेश को एक राज्य बनाने की बात हो रही है और बिहार और बंगाल जहां कि पहले बहुत मतभेद था उनको भी एक में मिलाने की बात हो रही है। मैं चाहता हूं कि आज इस अवसर पर सदन में यह बात स्पष्ट कह दूं कि आज की परिवर्तित अवस्था में हम विचार करें और संकोच को छोड़ें और विचार से देखें कि राष्ट्र की सुदृढ़ता और उन्नति किस प्रकार हो सकती है और उसके लिए हम क्या योग दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में इस प्रश्न को इस दृष्टकोण से विशेषकर देखा जाय। हमको देखना चाहिए और जैसा कि मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तीनों दृष्टिकोणों से हमें इस मसले पर विचार करना होगा और उसके बाद उन क्षेत्रों को जिन्हें हम अपने प्रदेश में मिलाना चाहते हैं ख्याल करना होगा कि वहां के जो रहने वाले हैं उनकी राय क्या है। इन तमाम चीजों को जब हम देखते हैं तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रीय हित इसी में है कि हम देखें कि किस तरह से एक ऐसा विशाल राज्य बन सके जिससे राष्ट्र सुदृढ़ और बलशाली हो।

इस समय यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विस्तार हो, यहां का क्षेत्र कितना बड़ा है, इस बात को हमें अपने सामने रखना नहीं है, हमें देखना यह है कि भारत के बीच में एक सुदृढ़ और समुन्नत राज्य ऐतिहासिक और राजनैतिक दृष्टि से कैसे बन सकता है। इस प्रदेश की यह विशेषता है कि गंगा नदी हिमालय से निकल कर दक्षिण की ओर बढ़ती है और पूर्व को बहती है और मैंने पहले भी कहा था कि एक विन्ध्य प्रदेश की नदियां भी आकर गंगा नदी में मिलती हैं और इस तरह से भी यह हमारा एक भू-खंड बन जाता है और इन नदियों के बीच का जो भाग है वह बहुत ही दुरूह और पहाड़ी क्षेत्र है, जाना-आना और यातायात वहां पर बहुत कठिन है। यातायात के साधनों का भी विस्तार उसी समय हो सकता है जब विन्ध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सभी बातों में एक समानता हो और इनको मिला कर ही एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित राज्य बन सकता है।

इसके अलावा मुझे इस बात की भी आज बहुत प्रसन्नता है कि जो माननीय सदस्य इस प्रदेश के टुकड़े करना चाहते थे उन्होंने भी जो प्रस्ताव आज रखा है उसमें वह विभाजन तो क्या और पुनःसंगठन की बात करते हैं। सूबा छोटा है और वह चाहते हैं कि आसपास के जिले इसमें और मिलने चाहिये। जहां हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या विन्ध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात करते हैं हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि बिहार के जो सीमा के आरा, चम्पारन और सारन आदि जिले हैं और जहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है उनका पूर्ण संबंध हमारे यहां के पूर्वी जिलों से है। बनारस और गोरखपुर कमिश्नरी के जो जिले हैं उनकी भाषा संस्कृति और रहन-सहन बिहार के इन तीन जिलों से मिलती जुलती है। मैं नहीं चाहता कि इन बातों पर विचार किया जाय। जिस समय बंगाल और बिहार का विषय हो उस समय यह प्रश्न बड़ी अच्छी तरह से उत्पन्न हो सकता है कि जहां भोजपुरी भाषाभाषी बसते हैं, आरा, चम्पारन और सारन उनका संबंध वहां के लोगों से उतना नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जो लोग बसते हैं उनसे है। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है। यदि इस प्रश्न को इस तरह से रक्खा जाय कि गंगा के उस छोर तक जहां पर सोन नदी दक्षिण से और गंडक नदी उत्तर से आकर मिलती है उत्तर से लेकर पूर्व तक उत्तर प्रदेश की हद रक्खी जाय। भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो इस तरह से बहुत ही सुदृढ़ राज्य स्थापित हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। विन्ध्य प्रदेश के लोगों की राय भी मालूम हो गई है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि वहां २८ सदस्यों में माननीय अध्यक्ष को छोड़ने के बाद सिर्फ दो सदस्य ऐसे बचते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में विलय के पक्ष में राय दी। बकिया २२ में कुछ की राय थी कि जैसी अवस्था आज है वह न रहे, किसी राज्य में मिलना निश्चित हो तो उस वक्त वे यह पसन्द करेंगे कि मध्य प्रदेश में मिलने के बजाय उत्तर प्रदेश में मिलाया जाय और बकिया की राय उत्तर प्रदेश में मिलने की थी। इन बातों को सामने रखते हुये मैं समझता कि हमको दूरदर्शिता के साथ अपना मत प्रकट करना चाहिये और संघी शासन को इसे रखना पड़ेगा। देश के हित में, राज्यों के हित में यह आवश्यक है कि इसका विलय जैसा हम चाहते हैं वैसा हो।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने आरम्भ में कहा क्योंकि मेरे चाहने से या न चाहने से नहीं होगा लेकिन मैं यह दृष्टिकोण रखना चाहता हूं कि यह राज्य के हित में है कि आजकल अव्वलन विकास का प्रश्न उठता है और हर एक क्षेत्र अपना विकास चाहता है। हमको सब प्रश्नों में सर्वोपरि विकास के प्रश्न को देखना है। जो विन्ध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर बहुत से ऐसे साधन हैं, मिनरल्स हैं जिनकी उन्नति की जा सकती है और दुर्भाग्यवश हमारे इस प्रांत में इन चीजों की कमी है। हम ऐसा क्षेत्र चाहते हैं। अगर हमारे में वह विलय हो जाय तो हम उस की उन्नति करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश

[श्री राधामोहन सिंह]
के पास बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं, जंगल वहां खड़े हुये हैं और उनको किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर मध्य भारत को बिन्ध्य प्रदेश में मिला दिया जाय तो यह संभव नहीं है कि जल्दी से जल्दी उसके उत्थान की तरफ उनका ध्यान जाय, लेकिन इसके विपरीत अगर विन्ध्य प्रदेश का विलय उत्तर प्रदेश में कर दिया जाय, हमको ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्रों की हम उन्नति करें। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विन्ध्य प्रदेश अगर आज मिलता है तो जो हम विकास शुरू करने जा रहे हैं उसमें विन्ध्य प्रदेश का विकास मिला हुआ है और यह चाहे विलय न भी हो तो किसी हद तक उनके विकास में हाथ बटाने वाले हैं ही और अगर यह हो जाता है तो उनका विकास अपना एक स्वयं का कार्य हो जाता है। ऐसी हालत में विन्ध्य प्रदेश का विलय मध्य भारत में होता है तो उनको कोई विशेष लाभ नहीं होता है क्योंकि उनके पास ऐसे क्षेत्र बहुत से हैं। तो यह देखते हुये कि किस अवस्था में विन्ध्य प्रदेश की उन्नति जल्दी से जल्दी हो सकती है, किस अवस्था में विन्ध्य प्रदेश का विकास का कार्य जल्दी से हाथ में लिया जा सकता है इन बातों को ध्यान में रख कर कदम उठायें तो राष्ट्र के हित में, उस क्षेत्र के हित में और हमारे हित में भी यह आवश्यक होगा कि विन्ध्य प्रदेश का विलय हमारे प्रदेश के अन्दर किया जाय।

मध्य भारत में जो एक बड़ा भारी भाग ऐसा है जहाँ बड़ी उथल-पुथल मची हुई है, जहां डाकुओं का बड़ा खतरा है। उस मसले को मध्य भारत हल नहीं कर सकता। अगर उसका भी विलय उत्तर प्रदेश में होता है तो यह भाग जो आगरे से मिला हुआ है अपनी ताकत के साथ हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मैंने खुद कहा था अगर हम इस आधुनिक इतिहास की तरफ जायं तो मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में एक सीमावर्ती राज्य है। इसको एक विशाल और सुदृढ़ प्रांत में परिवर्तित करना हमारे राष्ट्र और प्रांत के हित में है। इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा हमारे प्रांत का क्षेत्र हो, इस बड़े क्षेत्र की परवाह न करते हुए हम को यह देखना है कि राष्ट्र हित में क्या जरूरी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे पहाड़ी क्षेत्र के भाई यह चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाय। मैं इसको उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहां काफी बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। उसमें कुमायूं, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि के जिले हैं। उनको अगर हम देहरादून जिले से अलग करते हैं तो शायद वह हित में न हो। वह स्वयं विचार करें कि इस विशाल राज्य से अलग होकर वह अपना क्या हित साधन कर सकते हैं। हमारा हित और राष्ट्र का हित इसी में है कि उत्तर प्रदेश जितना ही विशाल हो, सुदृढ़ हो, संगठित हो उतना ही अच्छा होगा और हम अपने राष्ट्र के हित को जल्दी आगे बढ़ा सकेंगे।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे कुछ भाई जो बहुत अरसे से हमारे इस प्रान्त से बहुत नाराज थे और यहां तक नाराज थे कि हमारे इस प्रान्त के दो टुकड़े कर देना चाहते थे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि वह इस प्रांत के टुकड़े न करके बड़ा एक विशाल प्रांत बनाना चाहते हैं और उन्होंने एंगिल आफ विजन इतना बड़ा रखा है कि आसपास के जो और दूसरे प्रांत हैं उनमें से भी टुकड़े काट-काट कर के अपने ही प्रांत में और अपने ही क्षेत्र में शामिल कर देना चाहते हैं। यह एक बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, रात दिन हम अपने विचारों को बदलते हैं और अच्छी बातें नजर पड़ती हैं उनको हम ले ही लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रान्त का अहोभाग्य है और हमारे प्रान्त के नेताओं की कार्यकुशलता है कि वह ऐसे लोग जो उनके विचारों से भिन्नता रखते हैं उनको अपने साथ में मिला लेते हैं। और यह एक बड़ी अच्छी निशानी है। इसके साथ ही सथा में जैसा कि अभी बहुत से भाइयों ने बतलाया हमें इस बात की कोशिश बिलकुल नहीं करनी चाहिये कि जो प्रान्त अपनी इच्छा

नहीं रखते उनको हम मिलाने की कोशिश करें। जैसा कि अभी बिहार के कुछ इलाकों के संबंध में कहा गया। मैं यह नहीं उचित समझता कि अगर उन इलाकों की उन जिलों की इच्छा नहीं है कि उनको हम अपने साथ में मिलाने का प्रयत्न करें, क्योंकि अगर इच्छा है तो इसमें कोई शुबहा नहीं कि वह मिलने की स्वयं कोशिश करेंगे ही। हम बड़ी-बड़ी खुशी के साथ में उनको अपने साथ में मिलाना चाहेंगे। मगर जो प्रांत ऐसे हैं जैसा मान लीजिये कि थोड़े देर के लिये पंजाब की एक कमिश्नरी अम्बाला है। उसको अगर हम अपने प्रांत में मिलाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें यह भी सोच लेना चाहिये कि पंजाब प्रांत का क्या हाल होने वाला है। पंजाब प्रांत की जो दशा है वह पहले से ही ऐसी बिगड़ी हुई है कि उस प्रांत में रात दिन झगड़े होने की संभावना रहती है। उस प्रान्त को एक सुदृढ़ प्रांत बनाना है जो कि हमारी सीमा का प्रान्त है। वह एक मजबूत प्रांत होना चाहिये। उस मजबूत प्रांत के अगर हम टुकड़े करेंगे और उसको हम इस ढंग से बनाना चाहें जो वहां वहां पर आपस का वैमनस्य है उसको हम और ज्यादा बढ़ा देंगे, अगर उसमें से हम कोई भी हिस्सा लेते हैं। इसलिये जब हम अपने कोई सुझाव रखें तो हमें इन बातों को सुझाव अपने सामने रखना चाहिये। हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि हमारा प्रांत जो सबसे बड़ा है उसको और बड़ा बनाने की कोशिश करें। बल्कि हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे जितने भी आसपास के इलाके हैं, हमारे देश के अन्दर जितने प्रांत हैं वे सब प्रांत ऐसी अच्छी उम्दा इकाई हो जायं जिससे उनकी शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चलती रहे। क्योंकि जिसका पड़ोसी बुरी दशा में होता है उसका छींटा कुछ न कुछ पड़ोस के प्रांत के रहने वालों पर भी पड़ता ही है। इसलिये मैं अपने सभी साथियों को सुझाव दूंगा कि हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि जितने हमारे आसपास के प्रांत हैं हमें उनको ऐसा जरूर करना चाहिये जिससे उनकी शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो और वहां के लोगों की संख्या भी इतनी काफी हो कि जो हमारे लिये एक अच्छा प्रांत बन जाय। इसके साथ-साथ जो अभी विन्ध्य प्रदेश की मांग हमारे साथियों ने की मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं और इस कारण से कि वहां के लोगों की इच्छा है। अगर उनकी इच्छा नहो तो मैं हरगिज भी इस बात को नहीं चाहूंगा और यही बात हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी हमारे सामने रखी। हमारी यह नीति नहीं है कि हम किसी को अपने साथ में हड़प कर जाना चाहें। हम तो यह चाहते हैं कि जो हमारे साथ में खुशी से मिले वह आये। हम उसकी तरक्की करना चाहते हैं और उसके साथ-साथ उसके रिसोर्सेज से अपनी भी तरक्की करना चाहते हैं।

एक बात जो हमारे बिल में रखी हुई है वह कौंसिलों की बात है; मैं उसके संबंध में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह कौंसिलें मैं यह समझता हूं कि आगे चल कर ऐडवाइजरी कौंसिल नहीं रह जायंगी बल्कि मेरा ख्याल है यह कौंसिल एक और विस्तीर्ण रूप लेने वाली हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि अभी से इनका ऐसा संगठन होना चाहिये कि जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था में सहायक बन सकें। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि बजाय ५ के जैसा इस बिल में दिया हुआ है उनको न रख कर ४ कौंसिलें बनाना चाहिये और मेरा यह सुझाव है कि एक कौंसिल जो कि हमने रखी है इसमें मेरा सुझाव है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश, काश्मीर इसके साथ में राजस्थान और राजस्थान के साथ में हमें गुजरात, मिला देना चाहिये जिससे कि मेरा सुझाव यह है कि हर कौंसिल जो भी हैं उसको समुद्र के ऊपर भी पूरे यातायात के साधन हो जायं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आज जो हमारे साथ में दिक्कतें पड़ रही हैं कि हमारे यहां जो पोर्ट्स हैं वे बहुत से ऐसे हैं कि वे एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। महाराष्ट्र है, गुजराज है इसको मैं यह चाहता हूं यह दो टुकड़े में तकसीम किया जाय। एक हिस्सा महाराष्ट्र का जिसमें बम्बई का पार्ट हो और मध्य प्रदेश और यू० पी० यह तीन प्राविन्स मिला करके एक रीजनल कौंसिल बन जाय। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हर एक प्रांत को एक-एक पोर्ट हो जायगा जिससे आज जो हमें बिक्री कर वगैरह

[श्री बलवन्त सिंह]

के झगड़े हैं उससे बच जायंगे । मैं यह समझता हूं कि शायद, जैसा अभी पाकिस्तान में यह बात आयी है उन्होंने बिगर यूनिट्स बनाई । राज्य की व्यवस्था की दृष्टि से यह ठीक है कि हमें बिगर यूनिट्स बनाना चाहिये । क्योंकि बिगर यूनिट्स में खर्चा कम होता है और साथ-साथ जो हमारी इकोनामिक कंडीशन्स हैं वह भी ठीक बन जाती हैं । इस तरह से जो टैक्स वगैरह लगाने की बात है वह ठीक हो जाती है । क्योंकि अगर बाम्बे से कोई सामान चलता है और वह यू० पी० में आये तो उसके कारण अगर हम एक ही कौंसिल में हैं तो हमारी उसके ऊपर टैक्स की व्यवस्था भी ठीक तरह से हो जायगी । इसी तरह से जो आपकी पूरब की कौंसिल होगी जिसके अन्दर कि आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल और बिहार और उड़ीसा शामिल होंगे । उनका पोर्ट एक कलकत्ते का पोर्ट होगा जिससे कि वहां टैक्सेशन की बात चले तो वह उसकी व्यवस्था कर सकते हैं । इसी तरह से जो हमारी चौथी यूनिट बनायी जायगी जिसके अन्दर तेलंगाना, आन्ध्र, मद्रास और मैसूर वगैरह शामिल हैं, उनको मद्रास का पोर्ट मिल जायगा और इस तरह वह लोग भी उसको अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर सकेंगे ।

मैंने यह चार कौंसिलें आपके सामने रखीं । इन चार में आप यह देखेंगे कि जहां चार बड़े बड़े भाग इनमें आ जाते हैं वहां हर एक जोन को एक-एक पोर्ट मिल जाता है । गुजरात का पोर्ट आपके राजस्थान वाले जोन को मिल जाता है और जैसा कि इस बिल में है अगर गुजरात उसको मिल जाता है तो सूरत का पोर्ट उसके साथ अटैच हो जाता है । तो इस तरह से इसमें जो रीजनल कौंसिलों की बात है उसको हमें ध्यान से देखना चाहिये । आज हमारी दृष्टि यह है कि जो आज लोगों में एक वैमनस्य पैदा हो गया है वह हटाया जाय । मैं यह समझता हूं कि इसको भी ध्यान में रखना ही चाहिये मगर हमें आर्थिक व्यवस्था को भी सामने रखना चाहिये । आगे चलकर हम यह जानते हैं कि अपने देश के अन्दर एक ही भाषा होने जा रही है । आहिस्ता आहिस्ता एक ही भाषा सबकी हो जायगी । इसलिये भाषा के आधार पर प्राविंसेज का डिवीजन आज कर देना मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित बात नहीं है । हां, जिस प्रकार से हमारे देश की रक्षा व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सके वही उपाय हमें करना चाहिये और मैं समझता हूं कि जब यह विचारधारा हमने अपने सामने रख ली है, कौंसिल्स की बातें सामने रखी हैं तो इस पर भी हमको पूरा जोर देना चाहिये कि हम अपनी कौंसिल ऐसे ढंग से बनायें कि जिससे हमारे प्रांत को लाभ हो और हमारे देश को भी लाभ हो ।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उस प्रस्ताव की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले इस सदन के सामने पेश किया था । यह दूसरा मौका है कि हमें स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करने का मौका मिला । हमें याद है कि जब पिछले साल स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आई थी और उसके ऊपर इस सदन के अन्दर बहस हुई थी तो उसके बाद इस मुल्क में बहुत से वाकयात पेश आये और उन वाकयात के पेश आने के बाद कि जिनकी चरचा करना कुछ ज्यादा अच्छा और दिल खुश करने वाली बात नहीं है एक बात और भी हुई और वह यह है कि मुल्क के अन्दर एक नयी भावना पैदा हुई और बढ़ने लगी । वह यह भावना थी कि आखीरकार हमारे मुल्क ने इस बात को महसूस किया कि झगड़े लड़ाई एजीटेशन और फिसाद करने के बजाय अगर मुल्क के अन्दर मुहब्बत से एक ऐसी भावना चलायी जाय कि हम सब लोग जो अलाहिदा अलाहिदा हैं वह एक जगह जमा हो जायं और मिल कर यूनिटी और यूनिफिकेशन से काम करें तो इससे मुल्क की तरक्की हो सकती है । यही वजह थी कि कई एक मुकामात पर हमने इस बात को देखा और सबसे पहले बिहार और बंगाल के अन्दर यह भावना पैदा हुई कि हम दोनों एक हो जायं मिलकर और इसके बाद और जगह भी इस किस्म की बातें शुरू हुईं । जहां पहले लोग झगड़े और फिसाद में पड़े हुये थे और एक बहुत ही लिमिटेड स्फ़ियर में एक बहुत ही नजदीकी ऐनक से देखा करते थे वहां अब वह उसको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बड़ी ऐनक से देखने लगे। यह मुल्क की बड़ी ही खुशनसीबी है। यह बात सही है कि आज दुनिया के अन्दर यह एक भावना काम कर रही है कि छोटी छोटी यूनिट्स दुनिया में कामयाबी के साथ नहीं चलायी जा सकतीं। हम दुनियां के दूसरे मुल्कों पर भी नजर डालें तो वहां यह चीज देखेंगे कि छोटी-छोटी यूनिट्स कोई बहुत फायदेमन्द नहीं साबित हुई हैं। खुद अगर हम दूर न जायं, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ नजर डालें जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन से कमतर दरजे का है, लेकिन फिर भी उस मुल्क के अन्दर हम यह देखते हैं कि ऐसी एक भावना पैदा हुई कि पाकिस्तान की स्टेट एक कर दी गयी और चाहे कोई माने या न माने वह चीज उस मुल्क के लिये बहुत कामयाब हुई और कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुये हमारी केंद्रीय सरकार ने और हमारे उन लोगों ने कि जिनके हाथ में इन्तजाम की बागडोर है, इस तरफ तवज्जह की कि मुल्क का यूनिफिकेशन होना चाहिये और यह भावना ही थी जिसके असर से यह बिल आज हमारे सामने पेश हुआ और उसके ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं। अगर सच पूछिये तो इस बिल के अन्दर जो चीज रखी गयी है और जिसके आधार पर यह बिल बनाया गया है उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां तक हो सके हम एक कदम और आगे बढ़ें कि हमारे मुल्क का यनिफिकेशन हो।

इसके अलावा दूसरी स्कीम, जो मुझे महसूस होता है इसके अन्दर एम्बाडी है वह यह है कि मुल्क के ऐडमिनिस्ट्रेशन को सस्ते से सस्ता बनाया जाय। अगर यह चीज नहीं होती तो यह प्रावीजन इसमें नहीं होता कि बजाय बजाय एक सूबे के कई सूबे का भी हो सकता है और हाईकोर्ट भी दो तीन सूबों में जूरिस्डिक्शन रख सकता है और पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक के बजाय कई सूबों का एक बनाया जा सकता है। यह चीज हमारे लिये देखने के काबिल है कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन चीप हो और हमारे मुल्क के बाज नेता तो यहां तक गये हैं, हममें से बहुत लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा कि राजगोपालाचारी साहब जो हमारे मुल्क के बहुत ही मुदब्बिर नेता हैं उन्होंने यह कहा कि अगर इस मुल्क को सही तौर से चलाना है तो एक सेंट्रल हुकूमत कायम रहे और वह डिस्ट्रिक्ट्स के यूनिट्स हों, ज्यादा से ज्यादा यह किया जा सकता है दस पांच जिलों में मिलाकर एक यूनिट कमिश्नरी बनायी जा सकती है और यहां एक कमिश्नर रह सकता है, और मुल्क के अन्दर किसी स्टेट की जरूरत नहीं है। अगर मुल्क तैयार हो जाय और उनकी स्कीम को मान ले तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क का एडमिनस्ट्रेशन और भी आसान हो सकता है। मगर मैं यह भी समझता हूं कि आज जो मुल्क के हालात हैं उनमें इस स्कीम के ऊपर गौर करने के लिए मुल्क तैयार नहीं हो सकता।

इस बिल में जो हमारे सामने रखा गया है, एक तजवीज जो रखी गयी है उस यूनिफिकेशन की स्कीम को कामयाब करने के लिये, वह जोनल कौंसिल का कार्य करना है। अगर उसके मुताल्लिक कुछ कनफ्यूजन हो जाय या सही तौर पर उसकी पिक्चर सामने न हो इस तरीके पर अगर जोनल कौंसिल बना दी जायंगी तो शायद कामयाबी से वह नहीं चल सकेंगी; मैं समझता हूं कि वह एक एक्सपेरिमेंट है जो हम करने जा रहे हैं और वह तजुरबा एक ऐसा तजुरबा है जो इस बिल की स्कीम है उसके ऐन मुताबिक है, उसके इरादों से अलहदा नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसी के साथ यह भी है उसमें कि जोनल कौंसिल बनायी जाय और उसमें यह कहा गया है कि यह हो सकता है कि कई सूबों के दरमियान में इख्तलाफात पैदा हों। ऐडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशयल, कल्चुरल और उनको हल करने के लिये सिर्फ यही सूरत हो सकती है कि वह अपनी अपनी जगह पर पूरी पूरी अटोनोमी रखें, अपनी जगह पर बिल्कुल इकनामिक हों, लेकिन अगर ऐसे मौके आ जायं तो जोनल कौंसिल के जरिये उनको तय किया जा सके।

बाज लोगों के दिल में यह ख्याल है कि अगर ये जोनल कौंसिल जो ऐडवाइजरी है, कल चलकर ऐसी हो जाय कि पूरा शासन का इन्तजाम उनके हाथ में आ जाय तो मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि अगर कनवेंशंस के जरिये या, अगर ट्रेडीशंस के जरिये से कहीं

[श्री सुल्तान आलम खां]

बढ़ कर हमारी जोनल कौंसिल ऐसी मजबूत हो जायं कि उनमें बजाय ऐडवाइजरी कौंसिल के ऐडमिनिस्ट्रेटिव कूव्वत हो तो मुल्क के लिये वह ज्यादा मुबारक और अच्छा दिन होगा।

हमारे बहुत से नेता और बहुत बुजुर्ग यह समझते हैं कि बजाय इसके कि दो चार १०–१५ यूनिट्स मुल्क में हों, कमसे कम यूनिट्स मुल्क में बनाये जायं, इसलिए कि इस बिल की तजवीज पर अमल करने के बाद मुल्क के अन्दर कम से कम १५ युनिट होंगे और तीन चार ऐसी टेरिटरीज भी होंगी जिनको यूनियन टेरिटरीज कहा जा सकता है। मुल्क का नफा इसी में है कि एक मुल्क को पांच हिस्सों में तक्सीम किया जाय, वेस्टर्न नदर्न और सदर्न और सेंट्रल इस किस्म के सूबे बनाये जायं और उसके बाद एक सेंटर हो और उसके जरिये से हुकूमत की जाय। मैं अर्ज यह कर रहा था कि सब से ज्यादा मुनासिब तो यह बात हो कि एक सूबे के स्टेट्स खत्म करने के बाद एक सूबा रहे और उसमें डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स रहें और कमिश्नरी रहें जैसा कि राज गोपालाचारी जी कहते हैं, लेकिन शायद यह चीज मुमकिन न हो। तो दूसरी चीज यही हो सकती है कि हम इस बिल की स्कीम को मंजूर करके बड़े-बड़े यूनिट्स छांट लें और उनकी भी आपस में इत्तहाद चलाने के लिये हम जोनल कौंसिल की स्कीम को कबूल करें। और इस जोनल कौंसिल को एक्सपेरीमेंट के तौर पर चलायें और एक्सपेरीमेंट के साथ-साथ ऐसे कन्वेन्शन बनायें जिसके मातहत यह कामयाब हो और उसके जरिये से वे तमाम हमारी दिक्कतें और दुश्वारियां, वे झगड़े कि जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाये जायं, तय हो सकें और इसके साथ-साथ हमारी ऐडमिनस्ट्रेटिव मशीनरी और हमारी सर्विसेज एफिशेंट बन सकें।

जनाब वाला, एक बात इस भवन के अन्दर और भी कही गयी है कि हमारे सूबे के अन्दर विन्ध्य प्रदेश और अगर यह मुमकिन न हो सके तो बघेलखंड के इलाके को शामिल कर दिया जाय। मैं समझता हूं जहां तक इस सदन के अन्दर राय का इजहार हुआ है इसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि विन्ध्य प्रदेश के उस इलाके को यू० पी० के अन्दर मिलाये जाने में कोई हर्ज नहीं बल्कि वह इस बात का मुस्तहक है कि इसके अन्दर उसको शामिल किया जाय। और मुझे इस बात की खुशी है जैसा कि मुझसे पहले एक मेरे दोस्त ने कहा कि इससे पहले जब स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर इस भवन में बहस हुई तो हमारे बहुत से साथी जो इस बात के ख्वाहिशमन्द थे कि हमारे सूबे को दो हिस्सों में बांट दिया जाय वे भी आज इस बात से मुत्तफिक हैं कि बघेलखंड को यू० पी० के अन्दर मिला दिया जाय। यह बड़ी दिल खुशकुन बात है और मैं समझता हूं कि यह इस बात का पता देता है कि सूबे के अन्दर एक नयी भावना उठ खड़ी हुई है। जहां तक बघेलखंड का ताल्लुक है मैं तो यह कहूंगा कि उसको यू० पी० में मिलाने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है और वह यह है कि वहां के लोगों की यह राय है, वहां के नुमाइन्दे यह चाहते हैं कि वह यू० पी० में शामिल कर लिया जाय। अगर हम इस हाउस के अन्दर बैठ कर सिर्फ इस बात की मांग करते कि बघेलखंड का इलाका हमारे सूबे में मिला दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इतना फोर्स उसका नहीं होता जितना कि आज इस वजह से है कि वहां के लोग खुद चाहते हैं और वहां की ओवरव्हेल्मिंग मैजारिटी इस बात की ख्वाहिशमन्द है कि वह इलाका इस सूबे में शामिल हो जाय और इस वजह से कि जाग्राफिकल, कल्चरल और इकोनामिक इन तीनों हैसियत से उस सूबे का वह हिस्सा अगर यू० पी० के अन्दर आ जाय तो ज्यादा तरक्की कर सकता है बनिस्बत इसके कि वह मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाय।

जनाबवाला, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो बिल हमारे सामने है वह बिल्कुल एक नया तजुर्बा है, उसके जरिये से एफिशेंसी को बढ़ाना, उसके जरिये ऐडमिनिस्ट्रेशन को सस्ता करना, उसके जरिये से मुल्क के अन्दर इत्तफाक को पैदा करना, इस सब की जो भावना लायी गयी है सब लोग उसकी ताईद करते हैं, हम उसका खैरमकदम करते हैं और मुझे उम्मीद है

कि जैसी ही कोशिश है हिन्दुस्तान का नया नक्शा पहली अक्तूबर को बन जायगा, और पुराना नक्शा खत्म हो जायगा । अगर हम सब लोगों ने अपनी-अपनी जगह पर इस प्रोग्राम पर अमलदरामद करने की कोशिश की और इस बात की कोशिश की कि यह नया एन्टरप्राइज कामयाबी के बाद बढ़े तो इसमें हर आदमी के सहयोग की जरूरत है । यह मुश्किल से कोई शख्श कह सकता है कि यह पार्टी का सवाल है । यह कौमी सवाल है और इसके मुतालिक भी दो रायें नहीं हो सकतीं कि चाहे किसी सूबे का कुछ नुकसान हो, चाहे किसी सूबे का कुछ फायदा हो लेकिन जिस वक्त हमारे सामने कौम का इन्टरेस्ट हो, मुल्क इन्टरेस्ट हो तो उस इन्टरेस्ट के सामने हमें मुकामी इन्टरेस्ट को सूबे के इन्टरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा । इसी सूरत से हम मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे । मुझे इस बात की खुशी है कि यह भावना हमारे यहां खास तौर से झलकती है क्योंकि हमारे हाउस के सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बघेलखंड का इलाका यू० पी० को दिया जाय और इससे इस बात का और भी पता चलता है कि हमारे सूबे के अन्दर, हमारे मुल्क के अन्दर जो नयी भावना पैदा हुई है वह तरक्की कर रही है और वह दिन दूर नहीं है कि जब हमारा नया हिन्दुस्तान जन्म लेगा और नया हिन्दुस्तान जो बनेगा वह तरक्की के रास्ते पर कदम उठायेगा और सबकी मुत्तफिका कोशिशों से तरक्की करता हुआ जल्द ऐसी मंजिल पर पहुंचेगा कि दुनियां के दूसरे देशों में अच्छी जगह हासिल कर लेगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं पहले भी इस राय का था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिये, आज भी मेरा यही मत है कि इसका विभाजन होना चाहिये और अगर मुझे उचित दलील नहीं मिलती है तब तक मेरा यही मत रहेगा कि इसका विभाजन होना चाहिये । किन्तु इसके साथ ही मैं यह जानता हूं कि सदन ने इस पर विचार किया है और अनुशासन के मानने वाले को इसे स्वीकार करना चाहिये । मुझे अचरज हुआ जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया । अगर विचार विनिमय के लिये प्रस्ताव पेश किया जाता तब तो मैं समझता कि ठीक था और सदन को विचार में सुविधा मिलती और स्वतंत्रता मिलती लेकिन जो उन्होंने प्रस्ताव के साथ साथ विचार प्रगट किये हैं मेरी समझ में मुख्य मंत्री जी को विचार विनिमय करने के लिये यह पेश नहीं करना चाहिये । क्योंकि मैं यह समझता हूं जब कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी ने निर्णय किया है उसके अनुसार जैसा कि विचार विनिमय का प्रस्ताव रखा है उसमें प्रपोजल नहीं आने चाहिये थे । शायद इसी लिये प्रपोजल्स नहीं रखे । मुझे अचरज हुआ कि व्हिप ने कैसे संशोधनों की इजाजत दी और अगर इजाजत दे दी है तो मैं चाहूंगा कि वर्किंग कमेटी के निश्चय के अनुसार वह वोट करने का अधिकार न दें । इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के भाषण को सुनकर मुझे अचरज हुआ । मैंने और भी भाषण सुने लेकिन मुख्य मंत्री जी के भाषण के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को उनका भक्त मानता हूं और मुझे उनकी निष्ठिकता और विद्वत्ता पर भरोसा है और मैं उनके जीवन को जैसा कि है अपने लिये आदर्श मानता हूं, लेकिन बघेलखंड को उत्तर प्रदेश में मिलाने के लिये उन्होंने तीन दलीलें दी, मैं चाहूंगा कि उन पर मैं भी कुछ कहूं । पहली दलील तो उन्होंने यह दी कि बघेलखंड इसलिये उत्तर प्रदेश में मिलाया जाना चाहिये कि उसमें हमारे यहां लोगों की रिश्तेदारियां हैं । हो सकता है कि इलाहाबाद और बनारस की रिश्तेदारियां बघेलखंड में हों तो अम्बाला डिवीजन की सारी रिश्तेदारियां मेरठ, आगरा वगैरा में फैली हुई हैं । रिश्तेदारियां ही केवल कसौटी हैं तो मेरा कहना यह है कि अम्बाला डिवीजन को भी उत्तर प्रदेश में मिलाया जाना चाहिये । यहां बैठे हुये कई सदस्यों की वहां

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

रिश्तेदारियां हैं और कई मंत्रियों की भी वहां रिश्तेदारियां हैं। इसलिये यदि केवल रिश्तेदारियां ही इसकी कसौटी हैं तो अम्बाला कश्मनरी भी मिलायी जानी चाहिये।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि वहां खनिज पदार्थ हैं इसलिये हम में मिलाया जाय। यदि यही बात है तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि भाखरा का जो आयोजन किया जा रहा है वह इस प्रदेश में होना चाहिये, वहां भी हिन्दी बोली जाती है। अगर आप यही कसौटी समझते हैं तो भाखरा प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिलाये जाने की मांग क्यों नहीं करते ?

तीसरी बात उन्होंने यह कही कि विन्ध्य प्रदेश की असेम्बली के सदस्यों में से बहुत से लोगों का जो बघेलखंड के रहने वाले हैं, वोट उनके पक्ष में है। मुझे अचरज के साथ यह बात सुनने को मिली यद्यपि विन्ध्य प्रदेश असेम्बली के बहुमत ने इसका स्वागत किया है कि हमें मध्य प्रदेश ही बने रहना चाहिये। अब प्रश्न यह रह जाता है कि विन्ध्य प्रदेश के केवल एक हिस्सा के लोग यद्यपि २५ में से १४ उनके साथ हैं यदि यही कसौटी मान ली जाय तो जो एक टुकड़े का बहुमत उनके साथ है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अगर दूसरे तरीके न बरते गये होते तो ६७ मेम्बर्स जिनके उत्तर प्रदेश के विभाजन के पक्ष में हस्ताक्षर थे तो क्या वह बहुमत नहीं था कि पश्चिमी इलाका इस प्रदेश से अलग किया जाय। सच्चाई और उसे उसी दृष्टि से देखना चाहिये। यह नहीं कि हमारे पक्ष की बात हो तो उसको हम अपने पक्ष में कह लें और हमारे पक्ष की बात न हो तो हम उसको दूसरे रूप में देखें। मैं कहना चाहता हूं कि और साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि विभाजन के पक्ष में उत्तर प्रदेश के जिले थे और आज भी हैं बशर्ते कि उन्हें वोट करने की, बोलने की स्वतंत्रता दी जाय। नवम्बर की असेम्बली में वोट की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन हमारी वर्किंग कमेटी ने यह समझा कि जब बिल बन गया है तो उस पर वोट करने की इजाजत दे दें और इसीलिये विन्ध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लिये थोड़ा बहुत वोट पड़ सका इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तीन दलीलें दीं विभाजन के पक्ष में कि वह हमारे साथ मिलें वह इस पक्ष में नहीं हैं। मैं विभाजन के पक्ष में था ऐसा मैंने कहा था, लेकिन मैं उन कारणों से विभाजन के पक्ष में नहीं था जिसको लोग देते हैं। मैं शासन की सुविधा को कारण नहीं मानता, मैं बड़े, छोटे यूनिट को विभाजन का कारण नहीं मानता, मैं तो यह मानता हूं और जैसा कि हमारी वर्किंग कमेटी ने कहा है और रियासतों के बिल में लिखा है, उन्होंने प्रत्येक यूनिट ऐसा बनाया है कि जो भाषा के आधार पर है। चाहे वह कहें साफ तौर पर या न कहें क्योंकि हिन्दी प्रदेश को कई विभागों में उन्होंने विभक्त कर रखा है और अन्य सभी भाषाओं की इकाइयों को उन्होंने एकत्र कर दिया तो दो ही हालतें हो सकती थीं हिन्दी प्रदेश के लिये—या तो समूचा हिन्दी प्रदेश एक कर दिया जाय या उसको सुविधा के अनुसार भिन्न-भिन्न भागों में रखा जाय। मेरा कहना यह है कि सदा अगर इकट्ठा हो जाता हो तो बहुत अच्छा था, लेकिन हो नहीं सकता तो फिर सुविधा के अनुसार टुकड़े किये जाने चाहिये और अम्बाला कमिश्नरी, जिसके कि लोग आज पंजाब के साथ मिल कर परेशान हैं, जिनको कि जबरदस्ती गुरुमुखी पढ़नी पड़ती है, उनको हम क्यों उनके फंदे में डालते हैं। पंजाब के साथ रहने की अम्बला डिवीजन के लोगों की इच्छा नहीं है।

यह ठीक है कि वर्किंग कमेटी ने एक फैसला लिया है और उसके अनुसार उसने पंजाब के दो इलाके बना दिये हैं पंजाबी और हिन्दी बोलने वाले। मैं आपसे कहूंगा कि यहां बैठने वाले जो हिन्दी के पोषक हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मैं पंजाब का रहने वाला था, आज भी हूं, क्योंकि हमारी रिश्तेदारियां वहां है, उनको सोचना चाहिये कि जलन्धर कमिश्नरी की आधी आबादी जो कि पंजाबी नहीं पढ़ती, गुरुमुखी नहीं पढ़ती, हमारे फार्मूले

के अनुसार उनको गुरुमुखी पढ़ने को बाध्य होना पड़ेगा। यह कहां का सिद्धांत है ? यह कहां का उसूल है ? इसलिये मेरा ख्याल यह है कि चाहिये यह था कि हम हिन्दी प्रदेश को अलहिदा करके यू० पी० में मिला लेते और पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्रों का एक पंजाबी सूबा बना देते और वहां पंजाबी को गुरुमुखी और हिन्दी दोनों में लिखने की इजाजत दे देते। इससे अच्छा समाधान हम नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने यह सोचा नहीं, किया नहीं और चाहे आज हमने कह दिया हो कि पंजाबी भाषा का एक राज्य बन रहा है, लेकिन वह दिन आने वाला है कि जब हम पंजाब को दो टुकड़ों में बंटा हुआ देखें उसी तरह पर जैसे कि हमने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को देखा है।

मुझे यह भी कहने की इजाजत दीजिये कि मैं उस नक्शे को जो कि हिन्दुस्तान का बना है, उस दृष्टि से नहीं देखता जिससे कि और कांग्रेस वाले देखते हैं। मैं समझता हूं कि हमें भाषा के आधार पर वैसे ही क्षेत्र बनाने चाहिये जैसे कि सोवियट रूस ने अपने यहां बनाये हैं। उसमें शक्ति आती है, उसमें ताकत आती है, क्यों कि हर एक भाषा और संस्कृत का एक-एक इलाका बन जाता है और वह अपने में एक लगाव रखता है और उसके साथी क्षेत्र सब आपस में मिल कर एक विशाल राज्य की स्थापना करते हैं और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने या भारत सरकार ने गलती की है बंबई को महाराष्ट्र से अलग करके और कच्छ को गुजरात के साथ मिला कर। हमारी सरकार ने गलती की है। कच्छ में, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि गुजराती नहीं बोली जाती है। वहां की भाषा राजस्थानी से अधिक मेल खाती है और इसीलिये इसको राजस्थान से मिलाया जाना चाहिये था। अगर ऐसा होता तो राजस्थान को एक बड़ा बंदरगाह मिलता। तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम यहां बैठ कर यह समझते हैं कि हमें बुन्देलखंड मिल जाय क्योंकि वह इलाहाबाद और बनारस के करीब है तो हमें इस छोटी दृष्टि को छोड़ना चाहिये। मैं चाहता था कि विभाजन हो लेकिन कमेटी में तय हुआ कि विभाजन न हो। ठीक है, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिये कि औरों के इलाके को, और प्रदेश को हम उनकी इच्छा से लें या उनकी इच्छा के विरुद्ध भी लें, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये।

(इस समय ३ बज कर ३३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जब हम यह कहते हैं कि बघेलखंड ले लें और उसके चारों जिले हमको मिलने चाहिये तो उसके लिये यह मेरे ख्याल में दलील नहीं है। जैसा कि काटजू साहब ने कहा कि भिन्ड शिवपुरी वगैरः हमको मिलनी चाहिये और हमारे प्रान्त में उनको मिलाया जाना चाहिये तो फिर मैं निवेदन करता हूं कि मालवा और इन्दौर को क्यों नहीं मिलना चाहिये। हम तो इस प्रयत्न में रहते रहें कि अपने प्रान्त का विस्तार करते चले जायं और हम उसको सोच न सकें कि विस्तार का आधार क्या है तो उससे विशेष लाभ होने वाला नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हम हिन्दी प्रदेशों को मिला कर एक राज्य कर लेते तो उचित था और अगर नहीं कर सके तो उनको छोटे ही रूप में रखा जाय, उनको संक्षिप्त प्रदेश ही रखना चाहिये जिसमें कि शासन की सुविधा हो सके और शासन का सुधार हो सके। हम छोटी यूनिट में अगर प्रदेशों को रख सकें तो उससे भी कोई हानि नहीं होने वाली है। स्विट्जरलैन्ड में भी चार भाषा बोली जाती हैं। उसके १२ जिलों में जर्मन बोली जाती है। ७ जिलों में फ्रैन्च बोली जाती है और २,३ में इटालियन बोली जाती है। वहां पर अगर झगड़ा नहीं हो सकता है और वहां एक देश कायम रहते हुये ३,४ भाषा बोली जा सकती है तो हम अगर हिन्दी प्रदेशों को ३,४ यूनिट में रखते हैं तो इससे हमारा क्या नुकसान है ? मेरे ख्याल में यह जो तरीका चल रहा है कि ज्यादा बड़े प्रदेश होने चाहिये मेरे ख्याल में वह सही नहीं है। अगर होना चाहिये तो फिर हिन्दी प्रदेशों का एक बहुत बड़ा प्रदेश होना चाहिये। लेकिन अगर नहीं होना चाहिये तो शासन की दृष्टि से अच्छा

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

हैं कि वह छोटे-छोटे टुकड़ों मे होना चाहिये । इसी दृष्टि से सत्ये राणा जी ने जो यह कहा कि हिमाचल को अलग रहना चाहिये मैं उसका स्वागत करता हूं । मैं समझता कि टेहरी-गढ़वाल का हिमाचल से ज्यादा ताल्लुक है । इसी प्रकार से देहरादून के कुछ इलाके का हिमाचल से अधिक ताल्लुक है और अगर भाषा की दृष्टि से सवाल किया जाता है तो फिर हमको इस दृष्टि से सोचने की जरूरत है कि उनको एक इकाई में मिलाया जाय । मैं समझता हूं हमारे देश का नक्शा भाषा की और संस्कृति की दृष्टि से ज्यादा अच्छा बन सकता है और मौजूदा नक्शे से अच्छा बन सकता है । इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करता हूं और यह आशा करता हूं कि इन बातों पर इसी प्रकार से सोचा जायगा जैसे कि मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं और इस तरीके से नहीं सोचा जायगा कि हमको यह हिस्सा मिलना चाहिये और वह मिलना चाहिये । हमको तो हमेशा यह सोचना चाहिये कि हमारे देश का नक्शा ठीक तौर पर कैसे रह सकता है और वह तभी रह सकता है जब कि हम भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हर एक प्रदेश का यूनिट बनाकर स्थापित करने की कोशिश करें । अगर यह दृष्टि नहीं रखते हैं और यह सोचते चलते हैं कि उस हिस्से को लेना चाहिये तो यह दृष्टि हमेशा नुकसानदेह हो सकती है । जर्मनी में ऐसा हो था । उनको बतलाया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिये । अगर हमारा देश भी उसी तरह से सोचता चलता है तो यह दृष्टि ठीक नहीं है । हो सकता है कि राजनैतिक दृष्टि से यह इकाई सही हो लेकिन संस्कृति और भाषा की दृष्टि से अगर हम अपनी इकाई रखते हैं तो हमारा देश स्वस्थ सुन्दर और संगठित रह सकता है ।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमान् जी, जो प्रस्ताव माननीय तेज-प्रताप सिंह जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि उत्तर प्रदेश में विन्ध्य प्रदेश को मिलाया जाय । श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो रिपोर्ट अभी हमारे सामने है और जो तमाम बहस होने के बाद हमारे सामने आयी है उसमें इस सिद्धान्त को मान लिया गया है कि स्टेट बड़ी होनी चाहिये । जैसा कि अभी पूर्व के वक्ता श्री दीन दयालु शास्त्री ने कहा मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि स्टेट छोटी बनायी जानी चाहिये । यह सिद्धान्त सारे देश ने माना है कि स्टेट की इकाई बड़ी होनी चाहिये । इस बात को सब जानते हैं कि इसी वजह से बिहार और बंगाल का एक यूनिट होने जा रहा है । पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है कि एक इकाई रहने से देश मजबूत और हर एक को लाभ हो सकता है । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है मैं उसको मानता हूं कि वह हिस्सा भी हमारे में आना चाहिये । तो जहां तक संस्कृति, भाषा और वहां के रहन-सहन का और आपसी मेल का सवाल है वह बिलकुल वहां के एक और अनुकूल है । विन्ध्य प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वह हिन्दी है और हमारे यहां भी हिन्दी है । वहां का रहन-सहन बिलकुल यहां जैसा ही है । जैसा मुख्य मंत्री जी ने बघेलखंड के बारे में बतलाया मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि जो चार जिले बघेलखंड के हैं वहां पर सब लोगों की इच्छा है और ख्वाहिश है कि वे हमारे साथ आ जायं । पहले मुगल राज्य में यह चार जिले हमारे बुन्देलखंड के साथ ही रहते थे और उससे मिले हुये थे । अब अगर भाषा और संस्कृति के आधार पर वह हमारे साथ आ जायं तो अच्छा हो जाय । इसके लिये हमको यह देखना है कि किस टुकड़े के मिलने से वहां की जनता वहां के रहने वालों का और साथ-साथ जो भी योजनायें हैं उन सबको लाभ होता है या नहीं । इन सब बातों का विचार करके ही हमको कार्य करना है । मैं यह जानता हूं कि बहुत सी जगह ऐसी भी मिलाई गई हैं जहां के लोगों की इच्छा नहीं थी लेकिन देश के हित में वह था । उसका उदाहरण बम्बई है । हम जानते हैं कि बम्बई का बहुमत महाराष्ट्र के पक्ष में है लेकिन देश के हित में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसे अलहदा रखा गया है। हम जानते हैं कि हमारा प्रान्त बड़ा है और इसमें और आबादी मिल जाने से हमें इन्तजाम में कठिनाई होगी और हम अच्छा इन्तजाम नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमें देखना है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यह चीज ठीक बैठती है या नहीं, विकास के कार्यों में वह उचित है या नहीं, और वहां के लोगों के आपसी रहन-सहन हमारे जैसे हैं या नहीं। जब हमारे यहां फसल काटी जाती है तो लाखों की संख्या में वहां के लोग, बुन्देलखंड की गरीब जनता, हमारे चारों जिले में आती है और उनसे हमारा सम्पर्क रहता है। वे इसके लिये खुश होते हैं कि बगैर लड़ाई लड़े या हमला हुये वे हमारे साथ मिलने के लिये आ रहे हैं। मैं तो यहां तक भी तैयार हूं कि रेफरैन्डम करा लिया जाय वहां, तो बुन्देलखंड के लोग उत्तर प्रदेश में मिलने के लिये तैयार हो जावेंगे। जैसे, श्रीमान्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इन्तजाम के लिहाज से वहां का कुछ हिस्सा चाहे मध्य प्रदेश में चला जाय वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से हमारी कितनी ही योजनायें हैं जैसे माताटीला डैम है। बुन्देलखंड में जिसका बहुत सा हिस्सा पानी का और बिजली की दतिया और टीकमगढ़ में जायगा। तो उसके नियंत्रण के लिए जरूरी है कि उसे एक प्रान्त में रखा जाय।

श्रीमन्, इन्तजाम के लिये मैं कहूंगा कि आपने सुना होगा एक मशहूर डाकू देवी सिंह जी के नाम से विन्ध्य प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का नक्शा देखा जाय तो अगर अकेला बघेलखंड आया तो झांसी से होकर वह बीच में आ जायगा। उसके बीच में से जाना होगा लेकिन पूरा विन्ध्य प्रदेश आने से एक सीधी लाइन हो जाती है और बीच में कोई दूसरा टुकड़ा नहीं आता। तो इसीलिये हम लोगों को निष्पक्षता के साथ सोचना चाहिये। हम यह नहीं चाहते कि विन्ध्य प्रदेश को लेना हमारे लिये जरूरी है लेकिन जब वह किसी न किसी जगह जा ही रहा है तो उसे ऐसी जगह मिलाना चाहिये जिससे दोनों की जनता का लाभ हो। इसमें दोनों का कल्याण होगा।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--मान्यवर, मैं श्री तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन पर संशोधन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें से बहुत से हिस्सों का मैं समर्थन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी भी प्रान्त के किसी हिस्से को अगर हम दूसरे राज्य में मिलाना चाहते हैं तो हमें वहां के लोगों की राय की कद्र करनी चाहिये और उनकी इच्छा की पूर्ति में सहायता करनी चाहिये। यह सचमुच ही एक आदर्श विचार है। अगर हमारी केन्द्रीय सरकार ने या हमारे गण्यमान्य नेताओं ने इसे अपनाया होता तो मैं कह सकता हूं कि आज जो १५ हजार आदमी जेलों में इस आन्दोलन के सिलसिले बन्द हैं और ३०० आदमी ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिन्दगी गवां दी हैं यह नौबत नहीं आती।

जहां तक मेरा अपना निजी विचार है इस सम्बन्ध में, यह बिल्कुल मैं कहने के लिये तैयार हूं कि किसी भी राजनैतिक पार्टी का, उसके दिमागी दीवालियेपन का छीछालेदर जितना भी हो सकता है, जितना भी उसे उसके दिमागी दीवालियेपन के छीछालेदर के लिये कोसा जाय, उतना इस राज्य पुनस्संगठन के प्रश्न को लेकर दिमागी दीवालियापन कांग्रेस सरकार में है। मैं कहता हूं कि एक नीति होनी चाहिये और यह कार्य एक नीति को आधार बना कर किया गया है, अगर इसमें एकरूपता दी गई होती तो शायद आज यह प्रश्न पैदा नहीं होता जो हमारे सामने उपस्थित है। कहा जाता है कि बंगाल और बिहार को मिलाकर एक बृहत्तर राज्य बनाने का समर्थन हो रहा है और सम्भावना भी है कि यह राज्य बन जाय, इसका समर्थन बड़े से बड़े नेताओं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरलाल]

ने किया है। बड़ी अच्छी बात है। कल्पना सुन्दर है। लेकिन मैं देखता हूं कि सभी जगह एकरूपता नहीं है, कुछ जगहों के लिये दूसरी नीति बरती जा रही है। जहां बंगाल-बिहार का समर्थन किया जा रहा है दूसरी ओर गुजरात, महाराष्ट्र और बम्बई को मिलाकर एक प्रान्त नहीं बनाया जा रहा है। तो फिर जब इस प्रकार के विभिन्न विचार और विभिन्न स्वार्थों का समावेश हम पाते हैं तो जनता प्रेरित होती है, राज्य के नेता प्रेरित होते हैं, स्वार्थ टक्कर खाते हैं और आन्दोलन होता है और आज की परिस्थिति उपस्थित होती है। जब प्रारम्भ में एस० आर० सी० की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी तो, श्रीमन्, आपने देखा होगा कि देश के बड़े बड़े नेताओं ने कहा और स्वयं पंडित जवाहरलाल जी ने कहा कि यह रिपोर्ट इस प्रकार से मानी जायगी जैसे कि किसी न्यायाधीश का निर्णय माना जाता है और जब आन्दोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस की सरकार के खून के भूखे सिपाहियों ने निहत्थे लोगों पर गोलीवर्षा की और जब देश के कुछ राज्य स्वार्थों के वश में होकर इसका विरोध करने लगे तो फिर दूसरी आवाज निकली और माननीय नेहरू जी तक की दूसरी आवाज निकली कि यह न्यायाधीश का निर्णय नहीं है और इसमें परिस्थिति विशेष का समावेश किया जायगा। तब दूसरा ही रूप हमारे सामने इस रिपोर्ट का हो जाता है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आज से ३०, ४० वर्ष पहले कांग्रेस ने यह नीति घोषित की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनस्संगठन होगा और, कांग्रेस पार्टी का जो प्रान्तीयकरण है, उसके प्रान्तों के जो नाम हैं, वे आज भी भाषा के आधार पर हैं। तो फिर यह नीति क्यों अपनाई जा रही है और भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्संगठन क्यों नहीं हो रहा है? आज अगर बम्बई को केन्द्र के हाथ में रखना है, मणिपुर पर अगर केन्द्र का शासन हो सकता है, तो फिर आवश्यक है कि यहां के लोगों के विचारों का आदर होना चाहिये और उनकी इच्छा के अनुकूल राज्य बनाना चाहिये। जो संशोधन पहले इस प्रश्न पर विचार करते हुये हमने सुने थे और जो आज हम देख रहे हैं उनमें अन्तर केवल यह है कि पहले साफ तरीके से प्रान्त के बटवारे को मांगा गया था और अब अप्रत्यक्ष तरीके से प्रान्त के बटवारे को मांगा गया है। वह संशोधित प्रस्ताव एक ही झलक में पाया जाता है, यानी इस प्रान्त को दो रीजन्स में विभाजित कर दिया जाय। बिहार के हिस्सों को मिलाकर, अम्बाला डिवीजन को मिला कर और विन्ध्य प्रदेश को मिला कर इस प्रान्त को दो रीजन्स में बांट दिया जाय और उन रीजन्स की कौन्सिल हो जो रीजन्स को चलाये। अगर मैं उसको स्पष्ट करूं तो यही कह सकता हूं कि यह केवल सत्ता हाथ में लेने की सत्तातुर लोगों की एक कल्पना है।

जहां तक अम्बाले की बात है या उस भाग की बात है जिसको उत्तर प्रदेश में मिलाने के लिये माननीय तेज प्रताप सिंह ने संशोधन रक्खा है, और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिसकी पुष्टि की है, यह बिल्कुल सही बात है कि वहां के लोग उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहते हैं। किसी भी तरह से मैं तो यह कह सकता हूं कि यदि प्लेबीसाइट भी हो तो वहां के लोगों की यही राय होगी कि हमको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय। यदि इस बहुमत पक्ष पर केन्द्रीय सरकार विचार करे और ध्यान दे तो २४ सदस्यों में १४ या १३ सदस्यों का यह कहना कि हम यू० पी० के साथ मिलना चाहते हैं, कुछ वजन रखता है। दीनदयालु जी ने यह कहा कि पूरी विधान सभा का बहुमत विरोध में है लेकिन अगर उस हिस्से की राय देखी जाय जिसको दूसरे प्रदेश में मिलना है तो आपको मालूम होगा कि उन लोगों की क्या राय है। अगर वहां के लोगों की यह राय हो कि वे उत्तर प्रदेश के साथ मिल जाना चाहते हैं तो यह न्याय संगत होगा कि उन्हें यह अवसर दिया जाय कि वे अपनी इच्छानुसार दूसरे प्रान्तों के साथ रह सकें।

जहां तक यू० पी० के डिवीजन का सवाल है, जो लोग ऐसी कल्पना करते हैं वे अपने प्रदेश और अपने देश की भलाई को सामने रख कर विचार नहीं करते। आज जो

एशिया का वातावरण है और खास कर एशिया में हमारे देश की परिस्थिति है और जो दुनियां में झगड़े चल रहे हैं उनसे हममें से हर एक आदमी यह मानने के लिये तैयार होगा कि बहुत बड़ा आशंका वाह्य आक्रमण की है, या तृतीय महायुद्ध की है। आज कोई भी राज्य आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से पीछे रहना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश इस देश का विशाल अंग है, वह देश के बोर्डर का इलाका है। इन सब चीजों को देखने के बाद हमारे संगठन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं आनी चाहिये। इस सम्बन्ध में हमारा दृढ़ विचार होना चाहिये। लेकिन अगर हम विभाजन की बात को मानने वाले नहीं हैं, झगड़े की बात नहीं चाहते हैं तो मैं तो आज इस राय का हूं कि उस हिस्से को उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहिये जो उसके साथ मिलना चाहता है और सरकार की जेलों में जो लोग १५ हजार की संख्या में बन्द हैं उनको रिलीज करना चाहिये। इसके अतिरिक्त देश को भाषा के आधार पर पुनर्संगठित करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद केन्द्रीय सरकार ने जिस बहुत बड़ी समस्या को श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सुलझाने की कोशिश की, उसका संबंध राज्यों के पुनर्विभाजन से है। यह सर्वथा विदित है कि हमारे देश में भाषावार राज्यों के बटवारे की बात कांग्रेस ने बहुत पहले कही थी और यह भी सत्य है कि आज जब इस प्रश्न को हल करने का समय आया तो हमारे विचारों में, हमारे दृष्टिकोण में, कुछ वाकयात में असलियत कुछ ऐसी सामने आयी कि उसमें कुछ थोड़ा सा दृष्टिकोण में अन्तर आया। बुनियादी तौर से आज केन्द्रीय सरकार ने जो कुछ भी कहा है वह किसी माने में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाषावार प्रान्तों के बटवारे के विरुद्ध कोई नई दलील या नई बात पेश करके उस सारे सिद्धान्त को ही ठुकरा दिया है और न ऐसी बात मानना न्यायसंगत ही होगा, न्याय की बुद्धि के विरुद्ध होगा कि भाषावार प्रान्तों के बटवारे की बात को इतनी दूर तक ले जाया जाय जहां से भाषावार प्रान्तों के बटवारे का विचार एक राक्षस के रूप में बन कर खड़ा हो जाय और वह देश में झगड़े, वैमनस्य, घृणा और नफरत का वातावरण पैदा कर दे। किसी स्थान का नाम लेना यहां इस सदन के लिए शोभा की बात न होगी, लेकिन वह हमारी आप की सब की जानी हुई, समझी हुई और देखी हुई बात है कि किस सूबे में भाषावार प्रान्तों के बटवारे के राक्षस ने खड़े होकर मानवता के प्रति कैसी बर्बरता के साथ नंगा नाच करने की कोशिश की परन्तु यह हमारे इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में हमारे गण्यमान्य नेता पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुष के नेतृत्व में उस परिस्थिति को उस भयानक स्थिति को रोका जो वहां पर अन्यथा पैदा होने वाली थी। आज जब यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत है तो हमें यह भी विचार करना होगा कि पुनः विभाजन के सिलसिले में उस आयोग की क्या राय थी यूनिट और साइज के सम्बन्ध में जिसके जिम्मे यह कार्य किया गया था और उस पर फिर लोगों की क्या राय है। यह खुशी की बात है कि जब उस आयोग की सिफारिश निकली तो उसने स्वयं मंजूर किया कि इस समय देश में आवश्यक है कि ऐसे यूनिट्स बनाये जायं जो हर दृष्टिकोण से चल सकने वाले हों, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण हो, भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो।

हमारे माननीय दीनदयालु शास्त्री की नजर में यह प्रदेश जर्मनी का रवैया अख्तियार कर रहा है, लेकिन हमें अपने प्रदेश में आज से पहले से और आज के बाद भी ऐसी परम्परा और विशेषता दिखाई देती रही है कि आर्थिक दृष्टिकोण से ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पर्सनल के दृष्टिकोण से, अपने राज्य में लोगों के जीवन स्तर को उठाने के दृष्टिकोण से, सामाजिक रीति रिवाजों के दृष्टिकोण से देश को एक इकाई

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

के रूप में प्रस्तुत करने में इस प्रदेश का बड़ा हाथ रहा है और यह सम्भव हुआ है, क्योंकि भौगोलिक कारणों से और दूसरे कारणों से उत्तर प्रदेश देश का एक महान् अंग रहा है। हमारे देश के सामने जो यह मसला है उसको लेकर और बटवारे के मामले को लेकर बहुत भिन्न प्रकार की दलीलें दी गईं। पर मैं उन मित्रों को जो इस प्रदेश के बटवारे की बात करते हैं उनके सम्मुख केवल दो तीन बातें ही रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे प्रदेश का जो ऐडमिनिस्टेटिव सर्विसेज और दूसरी सर्विसेज हैं वह हमेशा से देश भर में सब से अधिक कम्पिटेंट रही हैं और उनकी मान्यता है और हमारे देश पर जिस प्रकार स्वराज्य के बाद में जो परिस्थितियां आईं, चाहे वह शरणार्थियों के कारण से आई हों या खाने कपड़े की कमी से आई हों, चाहे वह पाकिस्तान के बनने से उन इलाकों की वजह से आई हों जो हमारे देश को प्रेसराज और शक्कर आदि के इलाके उधर चले गये, उन सब परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ हमारे प्रदेश ने मुकाबला किया और उस समय हमारे यहां ऐसे इलाके थे जिनका काम और बोझ सहारा दिये चल नहीं सकता था। हमारे सूबे का जो साइज है और जो साधन हैं वह ऐसे हैं कि हम पास के इलाकों को वक्त पड़ने पर सहारा दे सकते हैं। यही तो आयोग ने स्वयं भी माना है। जब कि मध्य प्रदेश को जो उन्होंने इतना बड़ा बनाया उससे सिद्ध होता है कि जो उस प्रदेश को इतना बड़ा बनाने के लिये आयोग ने दलील दी वह दलील उत्तर प्रदेश के विभाजन की दलील को—जो दलील कि स्वयं आयोग के एक सदस्य ने भी दी स्वयं रद्द करती है। माननीय पणिक्कर साहब आयोग के एक सदस्य थे और आयोग की दलील थी कि अगर प्रदेशों का साइज बड़ा नहीं हुआ, अगर आर्थिक इकाई नहीं हुई और आर्थिक इकाई का स्पष्ट मतलब है कि उसमें कितने खनिज पदार्थ हैं, उस प्रदेश में कितनी फैक्टरीज के लगने की गुंजाइश है, उसमें कितनी बिजली के बनने की बात है, इस तरह से वह प्रदेश अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कितना कारामद हो सकता है उन सब बातों को देख कर मध्य प्रदेश को बनाते वक्त भूल गये, कुछ माननीय सदस्य, कि एक तरफ जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की दलीलों को स्वीकार किया लेकिन उन दलीलों को जब उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात हुई तो भूल गये, हालांकि वह बात चली नहीं और केन्द्रीय सरकार ने भी उसको इस बिल के द्वारा जैसा स्पष्ट है अस्वीकार किया है।

अब यह प्रश्न रह जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश और बढ़ना चाहिये? हमारे दीनदयालु शास्त्री जी को दिक्कत हुई। शायद माननीय सम्पूर्णानन्द जी के भाषण को सुनकर उन्होंने कहा कि हमारी रिश्तेदारियां वहां हैं। मैं नहीं जानता कि केवल इसी वजन पर उन्होंने यह बात कही क्योंकि जितने पहले बयान निकले हैं उसमें किसी ने यह बयान नहीं दिया कि हमारी वहां रिश्तेदारी है। यह तो ऐसी बात होगी कि आपने सारे घोड़े का शरीर न देख कर सिर्फ उसके एक कान को देख कर कहा कि घोड़ा कहां है, यह तो कान है। इस तरह की दलील देना और बातों का तोड़ मरोड़ कर कहना न्यायोचित नहीं है।

बघेलखंड का इलाका हममें मिलना चाहता है तो हम क्या करें? हम मना कर दें? हम उनके पड़ोसी हैं। हम उनकी तबियत रखना चाहते हैं और उनके भावों का आदर करते हैं और यह देखते हैं कि सोना उत्तर प्रदेश है तो बघेलखंड सुहागा मिल कर उसको चार चांद लगा सकता है। तो दोनों की एकता में किसको आपत्ति हो सकती है? हां, यह जरूर है कि बघेलखंड के इलाके के लोगों की गरीबी, भुखमरी और बेकारी जिस स्थिति में है आज है उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश का आर्थिक जीवन अधिक ऊंचा है और जब अधिक ऊंचा है तो वे गलत आदमी के साथ गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं और न गलत लोग उनको अपने यहां आने की दावत दे रहे हैं। हमारे दोस्त को उज्र है कि यह प्रान्त इतना बड़ा प्रदेश हो जायगा। हमारे प्रदेश के

गुमाइन्दे, हमारे देश के बड़े नेता पं० गोविन्द वल्लभ पन्त ने इस सिलसिले में कहा गया था जब यह आयोग का काम चल रहा था किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है तो पंत जी ने कहा कि मैं भी बहुत लम्बा हूं, घुटनों से मेरे पैर काट दिये जायं तो छोटा हो जाऊंगा। पन्त जी के यह भाव उत्तर प्रदेश के हर उस इन्सान के भाव होंगे जिसके दिल में प्रदेश का हित है, जिसके दिल में इस प्रदेश की तरक्की के लिये भाव है।

मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहूंगा कि वह इलाका विन्ध्य प्रदेश का जो हममें मिलना चाहता है उसको आर्थिक दृष्टिकोण से ले लिया जाय तब भाषा की दृष्टि से देख लिया जाय तब, अगर उसकी आवश्कताओं की दृष्टि से ले लिया जाय तब, व्यापार और यातायात के जो साधन हैं--सड़कें, रेल की पटरियां जो आने जाने के साधन हैं उस दृष्टिकोण से देख लिया जाय--अगर वह इलाका हममें नहीं मिलाया जाता तो उसमें प्राकृतिक साधनों के होने के बावजूद भी आने वाले २५, ५० सालों तक उनका कम्प्लीट एक्सपलायटेशन नहीं हो सकता और लोगों के आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाने की बात स्वप्ना रहने वाली है और यही कारण है कि वहां के लोग उत्तर प्रदेश में आकर मिलना चाहते हैं और इस कारण को उस आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है जिस आयोग की सिफारिश पर यह विधेयक विचार विनिमय के लिये हमारे सामने प्रस्तुत है।

श्रीमन्, कहा गया कि अगर भाषावार प्रान्त बनने की बात है तो उत्तर प्रदेश अम्बाला तक हो जाय। शास्त्री जी ने एक दलील का जवाब दे दिया। एक तरफ यह कहना है कि छोटे छोटे यूनिट्स हों तो अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन चलेगा और दूसरी तरह अम्बाला तथा यू० पी० चला जाय तो भी अच्छा है यह बात जुड़ती नहीं, लेकिन हमारी बात बनती है। हम जितने बड़े हो जायं तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। यातायात के साधन ऐसे हैं कि हममें उनको मिलाया जाय, उनकी बातचीत हमारी ऐसी बनने वाली है कि जो कुछ हम उनको दे सकें और वह हमारे प्रदेश को दे सकें ऐसा है या नहीं। यही फर्क है जो हमें देखना है, और इन्हीं बातों को मद्देनजर रख कर हम अपने प्रदेश में कुछ लोगों को स्वीकार करने की बात करते हैं। मिलाने की बात नहीं करते। किसी को मिलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उनकी भावनाओं का और उनकी इच्छाओं का आदर हो।

श्रीमन्, एक आध बात और कही गयी। और वह यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में यदि आज वोट लिया जाय तो शायद इसका बटवारा हो जायगा। हमारे कुछ साथियों का यह कहना है कि जहां तक मैं समझता हूं विभाजन की मांग की बात है यह जनता की मांग नहीं है। गंगा, यमुना के इस प्रदेश में, आरम्भ से लेकर आज तक यह प्रदेश 'एक हो इकाई के रूप में रहा है और एक हो इकाई के रूप में रहने वाला है जिससे भारत को शक्ति हो नहीं, बल्कि भारत के लिए हमेशा हमेशा के लिए विपत्ति के मौके पर एक साधन और सहारा बनने की बात है। इसलिए जो भाई इसमें टूट-फूट का नाम किसी भी प्रकार लेना चाहते हैं, यह उन परम्पराओं के विरुद्ध है, जो जिन परम्पराओं के इस प्रदेश में जन्म लिया, और प्रश्न पाया है। सदैव हमारा प्रदेश, एक मार्ग दर्शक, पथ-प्रदर्शक के रूप में चला आया है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारे भावों को केन्द्रीय सरकार मानते हुए उन क्षेत्रों को इस प्रदेश में मिलाने की कोशिश करेगी जिसकी बातचीत यहां हुई है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं अपनी कांग्रेस सरकार को बधाई देना चाहता हूं जो ऐसी समस्याओं को सामने किया करती है और जो छिपी हुई समस्याएं हैं उनको उभार करके सामने लाती

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

हैं और उनका निराकरण करती हैं। इतिहास बताता है कि ५५ वर्ष पूर्व इस देश में बंगभंग हुआ था और उसमें जो उत्तेजना फैली, उससे अंग्रेजी सरकार के पैर लड़खड़ा उठे थे। तो राज्यों के पुनर्संगठन का एक इतना व्यापक और बड़ा सवाल था, जिसको उभार देने से इतना बड़ा तूफान उठ सकता था, जिसका मुकाबला करना कठिन होता और मैं समझता हूं कि सारे देश में उसका कुछ अनुभव करना भी पड़ा। बड़े झगड़े हुए। प्रान्तीयता की भावनाएं उभरी। लेकिन एक न एक दिन तो इस समस्या को हल करना ही था। इस वास्ते उससे विमुख होना, टाल रखना, या उससे भाग जाना यह मुनासिब नहीं था। इस वास्ते हमारी सरकार ने इसको उभारा और इसका सामना किया और हम सामना कर भी चुके हैं। माननीय रामेश्वर लाल जी ने इसको हमारी बुद्धि का दिवालियापन कहा। लेकिन उनका दृष्टिकोण दूसरा है। यह हमारी बुद्धि का दिवालियापन नहीं है। उनको तो हमारे साहस की सराहना करनी चाहिये। भगवान की कृपा से हम उस आंधी का मुकाबला कर चुके हैं। उसके बाद मैं माननीय श्रीचन्द्र जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने पिछली मर्तबा जो खंडीकरण का प्रस्ताव रखा था और आज उन्होंने दूसरा ही प्रस्ताव रखा जो एक बहुत बड़ा सूबा बनाने की ओर ले जाने वाला था। मैं समझता हूं कि उनका प्रस्ताव उस समय श्री बैतौल का था और आज भी जो प्रस्ताव उन्होंने किया वह भी अपनी जगह पर बैतौल का है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो विभाजन की भावना को दूर किया इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। श्री दानदयालु शास्त्री जी ने यह कहा कि रिश्तेदारी के आधार पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बघेलखंड और बुन्देलखंड की मांग की है। तो अम्बाला क्यों नहीं लिया जाता है? मैं समझता हूं कि ऐसी बात जैसा कि बहुगुणा जी ने कहा माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं कही थी। लेकिन रिश्तेदारियां हैं। जो सरहदी इलाके हैं, सब जगह ऐसी समानतायें हैं। चारों तरफ आप घूम आइये, जहां सरहद है वहां एक दूसरे से सम्बन्ध है, चाहे इस प्रदेश के हों या उस प्रदेश के हों। इसलिए यह बात तो ऐसी नहीं है। लेकिन उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा हो, जिसके आधार पर वह अम्बाला को मांगते हों, तो मैं समझता हूं कि वह कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वैयक्तिक बात नहीं करनी चाहिए।

श्री व्रजभूषण मिश्र—अब मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कुछ उस मांग के समर्थन में कहना चाहता हूं जो हमारे माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने पेश की है। यहां पर कुछ उद्धरण दिये गये विन्ध्य प्रदेश के माननीय एम० एल० एज० के, जिनकी भावनायें और राय आज यहां बतायी गयी गई। तो जहां तक वह जनता की जबान है उनकी बात तो सही है। लेकिन एक साक्षी के तौर पर और वहां पर स्वयं जाकर देने के नाते मैं बता सकता हूं कि कम से कम बघेलखंड की जनता जो हमारे मिर्जापुर जिले से मिली जुली है वह अवश्य हमसे मिलना चाहती है। हम जो मिलने की बात कहते हैं इसका कोई बुरा अर्थ न लगाया जाय और कोई भ्रम न हो जाय। यह न समझा जाय, जैसा शास्त्री जी ने कहा कि हम जर्मनी का रूप धारण कर रहे हैं और हममें साम्राज्य की लिप्सा उत्पन्न हो गई है, यह बात कदापि नहीं है। बल्कि यह है कि हमारा पड़ोसी प्रदेश जो हमसे मिलना चाहे उसका हम स्वागत कर कर रहें हैं मिलने को जब वह हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिये इसमें कोई लोभ लालच की बात नहीं है। मैं बताऊं अध्यक्ष जी, कि वहां माझी, खेरवार, चेरो, पनिका कोरवा बैगा, पठारी, भुइया, बुइहार, अगरिया, बसवार कोरू यह सब जातियां जितनी हैं जंगली हैं और हमारे मिर्जापुर में भी या बुन्देलखंड और बघेलखंड में भी बसती हैं तथा रीति रिवाज, बोलचाल, रहन-सहन एक ही है।

एक बात और देखें कि हमारे प्रदेश का नक्शा खड़े सिंह की तरह है। लेकिन जिन पैरों पर वह खड़ा है वह कमजोर मालूम पड़ते हैं। एक तरफ मिर्जापुर की और दूसरी तरफ झांसी की। इसी से जाहिर होता है कि हमारी बुनियाद कमजोर है और अगर इन हिस्सों को मिला करके सब समान कर दी जाय तो अच्छी बुनियाद हो सकती है। प्रान्तों का जो पुनस्संगठन हो रहा है यह कोई रोज २ की बात तो है नहीं। आज जब हम संगठन कर रहे हैं तो हमें सब समस्याओं को देखना होगा कि जहां तक सम्भव है एक भाव से, एक भाषा के बोलने वाले, एक रहन सहन के लोग इकट्ठे हो जायं उससे एक ताकत पैदा होती है और इसके अलावा अगर इकोनोमिक दृष्टि से किसी बात की एक इकाई में कमी पड़ती है तो वह कमी भी पूरी की जाय। यह जाहिर है कि हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थों की कमी है और हम अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ढूंढने पर क्या पावेंगे या निश्चय नहीं और विन्ध्य प्रदेश में जाहिर है कि वहां पर खनिज पदार्थ की बहुलता है तो यदि वह एक तरफ मध्य प्रदेश में मिलाया जाता है तो वह बात हो जाती है जैसे अजीर्ण को और खिला दिया जाय और जहां जिसको जरूरत है उसको न मिले। तो यह कोई बिलगाव की भावना से नहीं कहता बल्कि जो इकाई बनाई गई है उनको सम्पन्न और परिपूर्ण होना चाहिये। हमारे प्रदेश में खेती पर इतना बोझ है कि बिना उद्योग का विकास किये जितनी हमारी जन संख्या है उसकी अच्छी तरह से परवरिश या उन्नति नहीं की जा सकती तथा आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। इसलिये आर्थिक स्थिति के सुधार के लिये आवश्यक है कि खेती के साथ उद्योग के साधन मिलें। खास कर वह लोग जब मिलना चाहते हैं तो मुझे कोई अड़चन नहीं मालूम होती इस मिलावट के खिलाफ कोई बात नहीं पैदा हो सकती है। वास्तव में इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करते हुए पहले तो जैसा मैंने कहा मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन हारे दर्जे अगर वह नहीं होता तो माननीय ब्रज विहारी मिश्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है कम से कम उसका वह हिस्सा जो सीधी, सहडोल, सतना और रीवा यह ४ जिले जो मिर्जापुर और इलाहाबाद से सटे हुए हैं, अवश्य मिल जाने चाहिये। अगर ऐसा हुआ तो जो रिहान्ड डैम वाली समस्या है वह दूर हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक सिरसी बान्ध बना हुआ है। उस सिरसी बन्धा से नहर निकल कर आती है तो वह नहर कहीं विन्ध्य प्रदेश में चली जाती है तो कहीं इलाहाबाद जिले में जाती है फिर घूमकर कहीं मिर्जापुर जिले में आती है, तो इस तरह से बड़ा टेढ़ा मेढ़ा उसका रास्ता है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में वह नहर टेढ़े मेढ़े घूमती है। तो इस तरह से अगर यह हमारी बात मान ली जाती है तो उसकी जो यह टेढ़े मेढ़े जाने की समस्या है वह भी हल हो जाती है। रिहैंड डैम का जहां तक सम्बन्ध है, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि उसका एक जुज विन्ध्य प्रदेश में पड़ जाता है इसलिए भी उसके शासकीय व्यवस्था की दृष्टिकोण से भी अगर वह हमें मिल जाता है तो उसमें हमें सुविधा होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जो यह प्रस्ताव रखा गया है उसमें कोई अप्रसांगिक बात नहीं दिखाई पड़ती। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि जोनल कौंसिल में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को मिला कर बनाने की बात है। तो जब दोनों एक तरह से एक जोनल कौंसिल में आते ही हैं तो अगर एक का एक टुकड़ा दूसरे के पास आ जाता है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए कि इसको न माना जाय। तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से भी हमारी मांग का समर्थन ही होता है।

माननीय सत्य सिंह राणा जी ने जो प्रस्ताव किया है कि हमारे प्रदेश के कुछ हिस्से को निकाल करके और उसे हिमाचल प्रदेश में मिलाकर के दूसरा एक सूबा बनाया जाय मैं समझता हूं कि यह हमारे उस सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है जो कि हम एक बार पास कर चुके हैं, जिसको कि हमने स्वीकार किया था। इसलिए इसमें कोई दम नहीं है इसका समर्थन नहीं करता।

***श्री मदनमोहन उपाध्याय**—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जो ने रखा है इस एस० आर० सी० ड्राफ्ट बिल पर, मैं उसका समर्थन करन के लिए खड़ा हुआ हूं और जो कुछ भावनायें उन्होंने इस सदन के सामने विन्ध्य प्रदेश के उस हिस्से के बारे में व्यक्त की हैं उस पर मैं भी चाहूंगा कि अपनी कुछ राय इस सदन के सामने प्रकट करूं। अध्यक्ष महोदय, जब स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट पर इस सदन में बहस हो रही थी उस समय भी इस बात की चर्चा हुई थी कि विन्ध्य प्रदेश का वह हिस्सा जिसका कि हमारे साथ सम्पर्क है जिनके रीति रिवाज, जिनका आना जाना सब हमारे उत्तर प्रदेश के साथ है अगर वह लोग हमारे उत्तर प्रदेश के साथ मिल जाते तो अच्छा था। ऐसी भावना इस सदन के अन्दर उस वक्त प्रदर्शित की गई। मैं कभी भी यह नहीं चाहूंगा कि और न हमारी पार्टी इस बात को चाहेगी कि हम लोग किसी प्रदेश का टुकड़ा अपने प्रदेश में मिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहें और उस इलाके के लोग यह न चाहें कि हम उत्तर प्रदेश के साथ मिलें। आज की जो परिस्थिति हमारे सामने है उसमें हमने यह देखा है कि जो उत्तर प्रदेश का मामला इस बिल में है वह तो यह है कि उत्तर प्रदेश जैसा था वैसा ही रह जाय पर साथ ही साथ जब हम विन्ध्य प्रदेश में वहां की विधान सभा के अन्दर की बहस सुनते हैं हम, यह भी सुन रहे हैं कि विन्ध्य प्रदेश को कहीं न कहीं से मिलाया जायगा। हम यह चाहते थे कि विन्ध्य प्रदेश की जनता की जो राय थी कि उनको एक अलग जैसे कि वह पहले थे, इसी प्रकार से उनको रखा जाय, अगर उनकी यह इच्छा पूर्ति हो जाती तो मैं समझता हूं कि उसमें हम किसी को भी कोई एतराज नहीं होता। हम भी चाहते हैं कि उनका विन्ध्य प्रदेश जैसा बना हुआ है आज, इस तरह से वह बना है और वह किसी के साथ न मिलाया जाय, पर हमारे सामने जो बिल आया है, ड्राफ्ट बिल उसमें यह साथ कर दिया गया है कि विन्ध्य प्रदेश को तो कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा। फिर हमारे सामने एक प्रश्न आता है, वह यह कि विन्ध्य प्रदेश की विधान सभा के लोग जब जाना चाहते हैं और उन्हें कहीं जाना ही है तो फिर उनकी राय क्या है, वह कहां जाना चाहते हैं? वह मध्य प्रदेश के साथ मिलना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहते हैं? वहां के बहुत से लोगों ने राय यह दी कि पहले तो सब यह चाहते हैं कि विन्ध्य प्रदेश जैसा था वैसा ही बना रहे और अगर विन्ध्य प्रदेश को किसी के साथ मिलना ही है तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ मिलाया जाय और कुछ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ मिलाया जाय। अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ आज यह कहने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं कि विन्ध्य प्रदेश का जो बघेलखंड नाम का एरिया है वहां के रहने वाले हैं, सिर्फ इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपने अपनी मर्जी जाहिर की है कि अगर आपको कहीं मिलाया जाय तो उत्तर प्रदेश के साथ मिलाया जाय, हम आपकी इस भावनाओं का स्वागत करते हैं और आपको हर हालत में मिलाने के लिये तैयार हैं। हमें इस बात का विचार करना होता है अध्यक्ष महोदय, जब कोई हमारे परिवार और घर में आता है कि हम यह देखते हैं कि उसके हमारे घर में आ जाने से कोई खराबी तो नहीं होती। इसलिए जब एक प्रश्न हमारे सामने है आज विन्ध्य प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या राय है तो सदन के सभी लोगों की यही राय है कि अगर बघेलखंड का जो इलाका है, जो चाहता है कि उत्तर प्रदेश के साथ उसको मिलाया जाय, अगर वह आना चाहता है तो हम सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग उनका हृदय से स्वागत करेंगे और हम, जहां तक उनके मिनरल्स हैं इसलिए वह हमारे पास आ जायं, इसलिए उन्हें लेना चाहते हैं, ऐसी भावनाएं भी हममें नहीं हैं।

एक दलील जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने दी वह थोड़ी सी मेरी समझ में नहीं आ सकी। अपना-अपना दृष्टिकोण है। उन्होंने यह कहा कि कुछ बघेलखंड के इलाके में २० मेम्बरान थे, अगर उनकी राय ले ली जाय तो वह लोग तो उत्तर प्रदेश के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। मैं उस सिद्धान्त को मानने के लिए आज तैयार नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से हम लोग जो विधान सभा के अन्दर आज चुनकर आये हुए हैं, हमारी कुछ राय यहां पर आ कर अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर अगर हमारे इलाके से पूछा जाय कि उनकी इस सिलसिले में क्या राय है तो हमारी और उनकी राय में काफी फर्क हो सकता है । यह मैं जानता हूं कि हमारे बघेलखंड के इलाके के उन लोगों के अलावा और भी थोड़े से इलाके के आस पास लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के साथ चले जायं और उन लोगों के कुछ तार भी हमारे पास आये हैं । वह कहते हैं कि हमको रोका जाय और हमारे लिए कोशिश होनी चाहिये कि हम ऐसे ही बने रहें लेकिन अगर हम ऐसे नहीं बने रह सकते, हमें अगर जाना ही है तो हमें उत्तर प्रदेश के साथ मिलाने की कोशिश होनी चाहिये । इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर विधान सभा के एम० एल० एज० की राय जरूर ऐसी हो, अगर वहां की जनता भी यह चाहती हो, चाहें उसके लिए प्लेबिसाइट या रिफरेंडम करें या कोई और तरीका किया जाय और अगर उस इलाके के लोग उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को कोई भी एतराज इस बात का नहीं होना चाहिये और उन्हें उस इलाके को हमारे साथ मिला देना चाहिये । हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनका हम स्वागत करेंगे और उनको यहां के लोगों की तरह अच्छी दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे ।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास तार कहां से आये, जो आपने कहा कि तार आये ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय---रींवा वगैरह से आ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने कहा कि वहां की जनता का यह राय है कि वह हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनकी राय होनी चाहिये, उनसे पूछ लिया जाय और अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं किसी की नियत पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि मध्य प्रदेश तो एक नया और बहुत बड़ा प्रदेश बन रहा है, उसमें हो सकता है कि इधर-उधर के टुकड़े मिलाये जायं तो कुछ हिस्सा हमको भी मिल जायगा, कुछ नयी चीजें भी मिल जायंगी, बहुत से लोग ऐसी आशा भी लगाये बैठे हों और उन्होंने प्रेस में शायद इसलिए कह दिया हो कि हमें मध्यप्रदेश में मिला दिया जाय । क्योंकि उत्तर प्रदेश तो संगठित प्रदेश है, एक जमा हुआ प्रदेश है । यह हो सकता है कि कुछ लोगों के दिल की इच्छा पूरी न हो सके । लेकिन उस इलाके के लोगों की ख्वाहिश का सवाल अगर है तो उत्तर प्रदेश में आने से ही उनका भी हित है और हम लोगों का भी हित है । हम उनका स्वागत करने के लिये तैयार हैं ।

हमारे भाई माननीय सत्यसिंह राणा जी पर्वतीय प्रदेश का अलग इलाका बनाने की बात कही है । जैसा उन्होंने कहा, न तो उनकी हमारी भाषा एक है, न उनका हमारा रहन सहन एक है । अल्मोड़ा, नैनीताल वगैरह चार जिले तो एक हैं लेकिन बदकिस्मती यह है कि वह हमको अपने में शरीक नहीं करते हैं और फिर भी यह कहते हैं कि एक पर्वतीय प्रदेश के रुप पर कोई चीज बनायी जाय । उन्होंने कह दिया कि उनका हमारा सब कुछ मिलता है और उसकी ताईद कर रहे हैं हमारे दानी दयालु शास्त्री जी । यह बात मेरी समझ में नहीं आयी । यह हो सकता है कि हमारी रीजनल डेवलपमेंट कौंसिल्स बनें । हमारे यहां की प्राब्लेम्स अलग हैं । उनके लिये गवर्नमेंट खास तौर से खयाल करे लेकिन उनको एक बिलकुल इंडिपेंडेंट स्टेट बनायी जाय मैं इसके पक्ष में नहीं हूं ।

एक बात और है और वह यह है कि एक जोनल कौंसिल की बात इस विधेयक में रख दी गयी है । मेरी समझ में तो यह बात नहीं आयी । सम्भवतः हिन्दुस्तान में एक ऐसा वातावरण पैदा हो रहा था कि कोई लिंग्युस्टिक स्टेट की बात करता था, कोई संयुक्त महाराष्ट्र की बात करता था और उसको साइड ट्रैक करने के लिये हमारे प्रधान मंत्री ने जोनल कौंसिल की बात रख दी हो, लेकिन ये जोनल कौंसिल्स हमारी स्टैंडिंग

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कमेटीज से ज्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। बिलकुल जैसे उत्तर प्रदेश की स्टैंडिंग कमेटीज वैसे जोनल कौंसिल्स। उन पर खर्च करना बिलकुल बेकार है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स से हमको शिकायत है। हम उनको अपने बीच में लेकर नहीं बैठना चाहते हैं। उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये उचित रूपया नहीं दिया है। वे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स किस प्रकार हमारे और मध्य प्रदेश के बीच के झगड़ों का निबटारा करेंगे। ये जोनल कौंसिल्स किसी काम की नहीं हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस संकल्प को आपके सम्मुख उपस्थित किया है उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करते हुये मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा जो इस सदन में इस विवाद में भाग ले रहे हैं कि इस समस्या पर कई पहलुओं से विचार करें। श्रीमन्, विन्ध्य प्रदेश या बघेलखंड के मिलाने के बारे में, दो तीन बातें सोच लेनी होंगी। केवल यह उत्तर प्रदेश के स्वार्थ का विषय नहीं है, केवल विन्ध्य प्रदेश के स्वार्थ का विषय नहीं है किन्तु हमारी भौगोलिक और ऐतिहासिक पुनस्संगठन की नीति का एक अध्याय मात्र है।

श्रीमन्, यह विन्ध्य प्रदेश कितना बड़ा है। जो लोग सोचते हैं कि इसको अलग रहने की इजाजत दे दी जाय वह वास्तव में इसके साथ अन्याय करेंगे। इसकी ३५ लाख की आबादी है और ३४ हजार वर्ग मील का क्षेत्र है। यह कैसे अपना काम चला सकता है। इसमें श्रीमन्, यदि आबादी के औसत को ले लिया जाय तो यहां प्रतिवर्ग मील १५१ आदमी रहते हैं इतनी आबादी में कैसे इसकी उन्नति होगी। यहां २२ खनिज पदार्थ हैं। आज इतने दिनों के बाद भी केवल ८ खनिज पदार्थों का मिलना सम्भव हो सका है। आखिर इसको अलग रखने से क्या लाभ है। जब इसकी ऐसी पिछड़ी हुई हालत है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि वहां के रहने वालों के लिये और उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिये ऐसी क्या जरूरत है जो कि इसको एक साथ मिला दिया जाय। उत्तर प्रदेश के रहने वालों की जो जन संख्या है उसका औसत प्रति वर्ग मील ५५७ है, मध्य भारत का केवल १७१ है और मध्य प्रदेश का १६३ है तो फिर ऐसे कम घने बसे मध्य प्रदेश के साथ विन्ध्य प्रदेश को मिला दिया जाय तो दोनों को क्या लाभ होगा। मध्य प्रदेश की समूची जमीन का ४० फीसदी जंगल है और जिसमें विन्ध्य प्रदेश की जमीन का कुल का ३३ फीसदी जंगल है तो उन दोनों को मिलाने से उनकी उन्नति कैसे होगी? इस लिये आवश्यकता है कि विन्ध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया जाय जहां की आबादी बहुत घनी है। दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान के साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री जी को शिकायत है कि हमारे यहां केवल १३, १४ फीसदी भूमि में ही जंगल है और जंगल की कमी के कारण ही हम पिछड़े हुये हैं और उधर दूसरा प्रदेश यानी विन्ध्य प्रदेश अधिक वनभूमि होने के कारण पिछड़ा हुआ है।

श्रीमन्, एक बात यह है कि हमारे प्रदेश में बहुत सी जंगली चीजें ऐसी हैं जिनको मंगाने की हमें पड़ोसी प्रदेशों से जरूरत पड़ती है। बांस है, यह ७५ हजार टन मध्य प्रदेश से हमारे यहां प्रतिवर्ष आता है। हमें बांस बाहर से मंगाना पड़ता है और विन्ध्य प्रदेश में टीक और बांस का घना जंगल पड़ा हुआ है जहां की उपज को उपयोग में लाने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। इसलिये भी उत्तर प्रदेश में विन्ध्य प्रदेश को मिला दिया जाय और सिवाय मिलाने का और कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जो उसको हमसे अलग रखने से लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

हमारा और उनका ऐतिहासिक संबंध है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने रिश्तेदारी की बात कही और मैं कहता हूं कि हमारी उसके साथ ऐतिहासिक रिश्तेदारी है। आज जिसको आप बुन्देलखंड कहते हैं उसका प्राचीन नाम विन्ध्येलखंड है। विन्ध्यावटी के बीच में विन्ध्याचल की गोद में रहने के कारण उसका नाम पड़ा और इसी को पूर्वी हिस्सा बघेलखंड कहते हैं। श्रीमन्, यदि रिश्तेदारी की बात कह दी जाती है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और वह भी रिश्तेदारी की बात ऐसी पिछड़ी बात नहीं जो पंजाब और मेरठ की रिश्तेदारी की बात में कहते हैं। जो ऐसी भूल करते हैं वह बघेलखंड के साथ अन्याय करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे उसको अपनी भूल मालूम हो जायगी। एक पुस्तक विल्सन की लिखी हुई "ग्लौंसरी आफ इंडियन टर्म्स" है। उसके पढ़ने से मालूम होगा कि गुजरात से सिसोदिया राजपूत आये थे। उनके अग्रज राजा का नाम व्याघ्र देव था। उसी के नाम पर इस खण्ड का नाम बघेलखंड पड़ा। इसमें ११ रियासतें या जागीरें थीं, जिनमें मुख्य तीन हैं जैसे नागोर, मैहर या सोहावल वगैरा। ऐसे हिस्से को जिसका क्षेत्रफल १४,३२३ वर्गमील है, उसी के लिये मिलाये जाने की बात है। उसकी प्रगति कितनी रुकी हुई है। इसके पिछड़े होने की एक मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। १९०१ में जब यहां जन गणना हुई थी उस समय इसकी जन संख्या १५,५४,००० थी और उसमें ११ प्रतिशत कमी की इसकी जन संख्या इसलिये खत्म हो गई कि यहां पर एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था और उससे रक्षा नहीं हो सकी थी तो विन्ध्य प्रदेश और बघेलखंड, दोनों को मिलाकर जिनकी आबदी आज भी केवल ३५ लाख के करीब है, अलग रखने से क्या कल्याण होगा यह सोचने की बात है।

श्रीमन्, ऐतिहासिक संबंध की बात मैं पुनः निवेदन कर दूं। उत्तर प्रदेश के साथ बघेलखंड उस समय मिला था जब कि भारत वर्ष में समुद्रगुप्त का झंडा फहराया था। वह पहला अवसर था कि जब समुद्रगुप्त ने इस बघेलखंड के हिस्से को मिला लिया था। उसके बाद तो रीवां के जो राजा लोग थे उनका कुमायूं और मुगल शासन से क्या संबंध था यह तो इतिहास की बात है, लेकिन १८३५ में जब कि पश्चिमोत्तर प्रदेश बना, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बनाया, उस समय इस बघेलखंड का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में रखा गया। यह इलाहाबाद से मिला हुआ था। उसके बाद १८३९ में, चार वर्षों के बाद सागर और दमोह के इलाके अलग कर दिये गये। उस समय भी यह इलाहाबाद से मिला हुआ था। १८६१ में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ और फिर इसके विभाजन की बात चली तो हमीरपुर, जालौन, बांदा और झांसी उत्तर प्रदेश में लाये गये तो उस समय इनका पोलिटिकल एजेन्ट अलग किया गया था और उसे रीवां में, सतना में रखा गया, लेकिन वह भी हमारे लेफ्टिनेन्ट गवर्नर से संबंध था। ऐसी सब परिस्थितियों का हम अध्ययन करें तो हमें प्रतीत होगा कि इसकी जो प्रगति थी वह तब तक थी कि जब तक यह इलाहाबाद के साथ मिला था। इस प्रदेश के अलग होने के बाद ही अगर हम आंकड़े उठा कर देखें तो यह प्रतीत होगा कि इस प्रदेश के उसके बाद किसी प्रकार की प्रगति नहीं दिखलाई। रीवां का जो हिस्सा, उसके साथ सिद्धी, छतरपुर, और टीकमगढ़ का हिस्सा है उसके जो खनिज पदार्थ हैं, उनके उत्पादन के लिये प्रगति के लिये कोई खास कोशिश नहीं हुई। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पिछले वर्ष सिर्फ पांच लाख रुपया उद्योगों के लिये खर्च किया गया था, तो आप ही समझिये कि इसकी प्रगति कैसे होगी। जब हम इन चीजों को मिला कर इस पहलू से विचार करें तो हमारी समझ में आयेगा कि स्वार्थ किसका है। स्वार्थ न केवल इसमें उनका है और न हमारा, बल्कि हम दोनों का स्वार्थ है।

भौगोलिक परिस्थितियों की बात न कहने से काम नहीं चलेगा। हमारे एक मित्र ने भाषा की बात कही, हमारे एक मित्र ने पर्वतीय प्रदेशों को अलग करने की बात कही। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आज की जो इकोनामिक्स है, जो पोलीटिकल

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

साइंस है वह तो कंस्ट्रक्शन की बात कहती है । वहां जाग्रफिकल इंटीटी नहीं देखी जाती है या भाषा की इंटिटी नहीं देखी जाती है । अगर भाषा का प्रश्न होता तो स्विटजरलैन्ड और फ्रांस का बहुत सा हिस्सा जर्मनी में मिल जाता और सारघाटी की इतनी मुसीबत न पैदा होती । यह तो सब पुरानी बात है । अब तो एक प्रदेश में अनेक भाषायें हो सकती हैं । इसके बाद हमें जाग्रफिकल एंटिटी को देखना पड़ेगा और अगर हम इस पर विचार करते समय यह सोचें कि पर्वतीय प्रदेश का एक टुकड़ा बना दिया जाय तो उससे उनकी तरक्की नहीं हो सकती । उनकी उन्नति के लिये आवश्यक है कि वह मैदान वाले इलाकों के साथ, प्रदेशों के साथ मिल कर चलें और मैं उनसे निवेदन करूंगा आप स्विटजरलैन्ड के इतिहास को देखें, इटली के पर्वतीय प्रदेशों के इतिहास को देखें कि जो मैदानी भाग के साथ मिले हुए हैं उनकी प्रगति कैसे हुई । वहां फ्रेन्च और इटैलियन गवर्नमेंट ने बड़े बड़े एक्सपेरीमेंट किये हैं और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका प्राविन्स जितना बड़ा हो सके, कर दिया जाय । जब हम यह देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि पर्वतीय प्रदेश को अलग करने से देश का, प्रदेश का और राज्यों का फायदा नहीं होगा जैसा कि कुछ लोग सोच रहे हैं ।

कुछ मित्रों ने फिर पूर्व और पश्चिम का सवाल उठा दिया । मैं उसमें नहीं जाना चाहता । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम, उत्तर प्रदेश के रहने वालों को कहीं न कहीं तो विकास की बात सोचनी पड़ेगी, कहीं न कहीं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम भी आगे बढ़ सकें और हमारी भी और हमारे पड़ोसी की भी प्रगति हो और यदि इन दोनों चीजों पर हमें विचार करना है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इन आंकड़ों को जिन्हें मैंने सदन के सामने उपस्थित किया है, उनको देख कर, संभवतः यह सदन स्वीकार करेगा कि बघेलखंड के हित में और संभवतः विन्ध्य प्रदेश के हित में यह होगा कि उत्तर प्रदेश का एक अंग बन जाय ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय राज्य पुनः संगठन का पहले भी इस सदन में आया था । उसको ५ महीने हो गये । इस पांच महीने में देश में काफी रद्दोबदल हुआ है । उस जमाने में जब यह आया था और जब वह रिपोर्ट पेश हुई थी तो उस वक्त यह विचारधारा थी कि छोटे छोटे राज्यों हों और वह भाषा के आधार पर हों । मगर इन पांच महीनों में जो तजुर्बा हुआ और जो अनुभव हुआ उस अनुभव ने यह बतलाया कि छोटे राज्य बनना और भाषा के आधार पर बनना हमारे देश के लिये हितकर नहीं है । इससे हमारे देश की हानि पहुंचती है । इससे हमारी एकता में कमी आती है हमारे देश में अगर दूसरे देशों का राज्य हुआ तो वह एकता की कमी होने से हुआ । छोटे छोटे टुकड़े देश को कमजोर बनाते हैं । देश के लिये नुकसानदेह हैं । उसने इस ५ महीने में उस विचारधारा को बदल दिया । आज यह विचारधारा चल रही है कि राज्य बड़े होंगे तो देश सुदृढ़ होगा और देश का हित होगा । इसीलिये बिहार और बंगाल को मिलाया जा रहा है । इसी तरह से दक्षिण में भी यह भावना चल रही है और पंजाब में भी जहां बहुत बड़ा मतभेद था वह भी समाप्त हो गया है । आज यह समझा जा रहा है कि देश की जनता के लिये और देश की मजबूती के लिये यह आवश्यक है कि देश बड़ा हो । उस समय भी जब इस सदन में विचार हुआ था तो यहां पर बहुत से सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया था कि यदि बुन्देलखंड और कुछ मध्यभारत के हिस्से हमसे मिलना चाहते हैं तो हम बहुत खुशी से उनको मिलाने के लिये तैयार हैं । आज परिस्थितियों में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है ।

जहां तक विन्ध्य प्रदेश का सम्बन्ध है उसकी जनसंख्या बहुत थोड़ी है, उसमें क्षेत्र काफी है परन्तु वहां पर अभी विकास नहीं के बराबर है । उसको किसी न किसी राज्य में मिलना है । उसको या तो मध्य प्रदेश से मिलना है या उत्तर प्रदेश से मिलना है ।

उसके लिये दो ही चाराकार हैं। यदि वह मध्यप्रदेश से मिलता है तो उसका उतना हित नहीं है जितना उत्तर प्रदेश से मिलने से है। मध्य प्रदेश अभी अविकसित दशा में ही है। उसकी भी दशा वही है जैसे कि बुन्देलखंड की है। उसकी आबादी उसी तरह की है। वहां पहाड़ी प्रदेश ऐसा है जहां पर अभी विकास नहीं हुआ है लेकिन बहुत खनिज पदार्थ हैं। जहां पर काफी विकास की आवश्यकता है। बुन्देलखंड यदि उत्तर प्रदेश में मिल जाता है तो इसमें सन्देह नहीं कि इसका विकास बहुत अधिक हो सकता है, यहां के रहने वालों का जो स्तर है वह बहुत ऊंचा है। इसलिये मिलने से उनका स्तर भी ऊंचा हो जायगा। उनके यहां जो तरह तरह के खनिज पदार्थ हैं, अभी अविकसित अवस्था में हैं उनका भी विकास हो जायगा। इसलिये उनका विकास उत्तर प्रदेश में सम्बद्ध हो जाने से अधिक होने की सम्भावना है। सम्भावना ही नहीं बल्कि यकीन है। अगर वह मध्य प्रदेश में जाता है तो उनका विकास बहुत दिनों में होगा क्योंकि पहले तो मध्य प्रदेश को ही अपने यहां विकास करने के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। इसलिये जहां तक बुन्देलखंड और बघेलखंड का सम्बन्ध है, उनके हित में यही है कि वे उत्तर प्रदेश में मिलें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो विकास का कार्य हो रहा है, जैसे कि रिहंड डैम और माता टीला डैम हैं उनसे पानी और बिजली बहुत सी इन हिस्सों को भी मिलेगी। इसलिये उनका उत्तर प्रदेश में मिलना लाभदायक है। साथ ही यह भी है कि इन हम उन्हें केवल अपने ही प्रदेश के लाभ के लिये नहीं मिलाना चाहते हैं। हमको तो केवल इतना ही लाभ हो सकता है कि हमारे प्रदेश को खनिज पदार्थ मिल जावेंगे। परन्तु उनके मिलने से विकास तो उसी क्षेत्र का होगा जहां से वे खनिज पदार्थ हैं। हमारी उनके बारे में कोई लालच की दृष्टि नहीं है और न कोई दुर्भावना है। जो हिस्सा हमसे मिलना चाहता है उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बघेलखंड के २५ सदस्यों में से ११, १२ ने तो यह राय दी कि हम उत्तर प्रदेश में मिल जावें, १या २ विरोध में रहें और बाकी चुप रहे। इससे साफ है कि बघेलखंड हमारे प्रदेश में मिलना चाहता है तो हमें उसके लिय अपना हाथ बढ़ाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार उनके विचारों और भावना की कद्र करते हुये हमारे साथ मिलाने को तैयार होगी। जहां तक हमारी सूचना है मैं तो यह भी समझता हूं कि बुन्देलखंड की आम जनता भी हमारे प्रदेश से मिलना चाहती है। परन्तु वहां के कुछ विशेष व्यक्ति किन्हीं कारणों से इसका विरोध करते हैं। ऐसी दशा में केन्द्रीय हुकूमत का कर्तव्य है कि वह वहां की राय का अन्दाजा लगावे और अगर वहां की जनता हमसे मिलना चाहती है तो हमारा हृदय तो इतना विशाल है कि हम उनका भी स्वागत करते हैं।

इस तरह से माननीय नेता सदन के प्रस्ताव का और माननीय तेजप्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो लोग हमसे मिलना चाहें हम उनका खुशी से स्वागत करते हैं और अपने प्रदेश में उनके हिस्से को मिलाने के लिये तैयार हैं। जहां तक श्रीचन्द्र जी के प्रस्ताव का सवाल है मैं उसमें कुछ बातें ठीक नहीं समझता। जहां तक अम्बाले की बात है, उसे उठाने से हम पंजाब के प्रश्न में गड़बड़ मचा देंगे। पंजाब हमारे किनारे का प्रदेश है और उसे हम कमजोर नहीं बनाना चाहते। अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल के लोगों का उत्तर प्रदेश के जिलों से हमेशा से सम्बन्ध रहा है और हिमाचल प्रदेश से या किसी और प्रदेश से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसलिये उन्हें उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय उपाध्याय जी ने फरमाया कि जो मिलना चाहते हैं मिल जायं लेकिन फिर भी प्लेबीसाइट करा लेना चाहिये। जब हमारे प्रदेश के कुछ भाई अलग होना चाहते थे तब उपाध्याय जी ने उसकी मुखालिफत की थी लेकिन जब इसी मसले पर बहस हो रही है तब आप कहते हैं कि राय ले ली जाय। यह दोनों बातें एक ही रिजोल्यूशन पर आपकी तकरीर में पायी गयीं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप अपनी राय दें। आप गलतफहमी पैदा कर देंगे, और अगर बिला समझे आप कोई बात कह देंगे तो उनको जबाब देना पड़ेगा। मैं समझता हूं आप दूसरे की बात को न उठायें, अपनी बात कहें। मैंने उनका भाषण सुना था। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप कोई गलत बात कहेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई मिलना ही चाहता है तो फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि उसको मिलाया जाय या न मिलाया जाय। और ताज्जुब तो यह है कि इस प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय श्री चन्द्र जी ने फरमाया कि राज्य का अप्रत्यक्ष बटवारा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैंने आपसे कहा कि आप अपनी राय जाहिर करें दूसरे की बातों को काटने की कोशिश न करें।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगर किसी की दलील काटना चाहता हूं तो उसका नाम मुझे लेना ही पड़ता है। आज जब दुनियां बदल गयी, जमाना बदल गया मगर आप कहते हैं कि इस प्रान्त के तीन टुकड़े कर दिये जायं। जो अलग नहीं होना चाहता है उसे भी आप अलग करना चाहते हैं। "आखिर नहीं छूटती मुंह की लगी हुई"। उन्हें जब सूझता है बटवारा, बटवारा, बटवारा। जब कि यह देख लिया गया कि बटवारे का क्या नतीजा होता है फिर भी यही कि बटवारा।

हमारे राणा साहब ने जमाना देखने के बाद भी कहा कि हमारा हिमांचल प्रदेश अलग कर दिया जाय। जब सब लोग एक हो रहे हैं, सारा जमाना छोटे से बड़ा हो रहा है। आपको तो बिहार और बंगाल को धन्यवाद देना चाहिये था कि उनकी दो जबान, दो भाषायें, और दो रहन-सहन होते हुए भी उन्होंने कहा कि मुल्क का तकाजा है कि हमें एक होना चाहिये। मास्टर तारा सिंह जी अलग होना बहुत चाहते थे, बहुत प्रोपेगेंडा करते थे, पैसा खर्च करते थे, आखिर में, उन्होंने क्या फैसला किया? जवाहरलाल नेहरू से इत्तिफाक किया कि ठीक है चाहे हमारी जबान अलग हो किन्तु हम एक साथ रहने के लिये तैयार हैं। जब सारा जमाना एक हो रहा है तब आप डेढ़ इंट की अपनी मसजिद बनाना चाहते हैं। आप तो हमारे साथ रहिये हमें भी गरमी में आनन्द लूटने दीजिये और आप भी जाड़े के दिनों में लखनऊ का आनन्द उठाइये। अपनी अक्ल से हमको भी फायदा उठाने दीजिये।

अब मैं अर्ज करता हूं कि इसमें एक प्वाइन्ट है जो बटवारे कोसपोर्ट करता है। कुछ दोस्तों ने भी कहा था और मैं भी अर्ज करता हूं कि इस सूबे के बड़े होने से एक दिक्कत होती है वह मैं बता दूं और बाद में इसकी दवा भी बता दूंगा। वह दिक्कत यह है कि जब सदन बड़ा हो जाता है तो सदस्यों को बोलने का मौका कम मिलेगा और उससे उनको नुकसान होता है। कहा जाता है कि वक्त कम है, थोड़ा बोलो। अध्यक्ष महोदय, जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको बोलने का मौका न मिला तो हाउस का नुकसान हुआ, वह जिनको बोलने का मौका नहीं मिला अगर कोई नई बात कहे तो उससे हाउस की राय बदल सकती है। तो बड़े राज्य होने से यह एक ऐब होता है। जहां राज्य के

बड़े होने से शासन का खर्च कम होता है लेकिन प्रतिनिधियों के ऐसे राज्य के सदन में अपने विचार व्यक्त करने का मौका कम मिलता है। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए और ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि जिससे सब को बोलने का मौका मिल जाया करे। अगर सदन बड़ा हो और मेम्बर बोलने वाले ज्यादा हों तो बजट के दिन बढ़ा दिए जायं और जिस दिन बहस हो तो सब को विचार प्रकट करने का मौका दिया जाय और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, जब तक आप अध्यक्ष हैं तब तक तो कोई शिकायत नहीं होगी। आप पर तो हमें नाज है कि जब तक आप कुर्सी पर हैं तो आप किसी पार्टी के नहीं हैं और जब सदन से बाहर रहते हैं तभी कांग्रेस पार्टी के रहते हैं, यह इस कुर्सी का भी सौभाग्य है कि आप ऐसा योग्य और निष्पक्ष अफसर मिला है। जब कोई भाषण को रिपोट करे आप उसको रोक सकते हैं, सदस्यों को भी बात को दोहराना नहीं चाहिए ताकि दूसरे साथियों को भी विचार प्रकट करने का मौका मिले। इसलिए मैं समझता हूं कि हाउस को बड़ा करने से ही फायदा हो सकता है।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अब यह बात सर्वमान्य हो गई है कि जहां जहां भी प्रान्त को घटाने बढ़ाने की बात चली है वहां हमारे सामने कठिनाइयां आई हैं। लेकिन अभी बिहार और बंगाल के चीफ मिनिस्टरों ने अपने स्टेटमेंट्स में पुनः इस बात को रखा है कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिए और फिर से इन दोनों प्रान्तों को एक होना चाहिए। वह चाहते हैं कि यह दोनों प्रदेश में भारतवर्ष में एक मजबूत कड़ी बन जायं। अब उत्तर प्रदेश के लिए, जहां यह भी कहा गया कि उसके २ भाग हो जायं, मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रदेश का जहां तक सम्बन्ध है यहां पर कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं कि जो बहुत पिछड़े हुए हैं और साथ ही कुछ अधिक तरक्कीयाफ्ता भी हैं लेकिन जब हम यहां की आर्थिक स्थिति को देखते हैं और बजट का एलाटमेंट करते हैं तो उस वक्त हमारी दृष्टि उस हद तक उन पिछड़े हुए रीजन्स की तरफ नहीं पहुंच पाती। इसी बात को नजर में रख कर कहीं कहीं रीजनल कौन्सिल की बात चलाई गई है और इसी चीज को रोकने के लिए यह एक कदम है कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं वहां हम रीजनल कौंसिल्स बना दें, उससे लाभ यह होगा कि जहां पर पिछड़ापन है या बेकवर्डनेस है वहां की कौंसिल उसमें अपने विचार रखेगी और उसके विचारों के अनुसार वहां के विकास के कार्य आरम्भ किए जायंगे। इसी तरह से जब हमारे सूबे की प्लानिंग का मसला आता है जहां तक की इंडस्ट्रीज का सवाल है, अपना प्रदेश इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत से इलाके ऐसे हैं कि हम कह सकते हैं कि हम अभी अपने यहां इस दिशा में कुछ कर नहीं पाये हैं, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन कुछ कठिनाइयां ऐसी आ जाती हैं कि जिनकी वजह से चाहे वह पैटरियोटिज्म की बात हो, हम अक्सर उसमें बह जाते हैं यही कारण है कि एक जगह के हिस्से को देख कर दूसरी जगह का हिस्सा कहता है कि हम पिछड़े हुए हैं और बावजूद इसके कि हम पिछड़े हुए हैं हमारी तरफ तवज्जह नहीं दी गई है और यही विचारधारा हमारे प्रदेश में बह रही है और उसी विचारधारा के परिणामस्वरूप हमारे प्रदेश के विभाजन की मांग आई। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि अगर अपने प्रदेश में एक ऐसी कौंसिल बनाई जाय कि कौन-कौन हिस्से पिछड़े हुए हैं और उसके मुताबिक एक प्लान बनायें और उस प्लान के मुताबिक अगर अमली कदम उठाये तो हम कह सकते हैं कि हम अपने उन पिछड़े हुए इलाकों की तरफ ज्यादा तवज्जह देंगे। और जो इस तरह की बात गायबगाय पैदा होती हैं और कहा जाता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]

फलां इलाका प्रदेश का पिछड़ा हुआ है वह बात भी खत्म हो जायगी। इसलिये यह स्पष्ट है कि हमें अपने इस प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने के लिये उन चीजों पर कदम उठाने की आवश्यकता है जिनसे हम अपने प्रदेश को राष्ट्र का अच्छा अंग बना सकते हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जहां इस बिल के सम्बन्ध में प्रस्ताव आयें हैं वहां हरिजनों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति कुछ आज्ञायें निकालेंगे और उस आज्ञा में जो उन्होंने ५०–५१ में शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के बारे मे निकाली थी उसमें कुछ तरमीम करेंगे और उस तरमीम के अनुसार इन जातियों की जनसंख्या का अन्दाजा करके —सन् ५१ की मर्दुमशुमारी को वास्तविक मान कर, एस्टिमेट लगा कर उसके अनुसार कुछ सीटों को उनके लिये रिजर्व करेंगे।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण दूसरे रोज जारी रक्खेंगे।

एक बात की और आपको सूचना दे दूं कि कल अतिरिक्त अनुदानों का दिन नियुक्त हो चुका था तो वही कायम रहेगा और आज का बाद विवाद जो है यदि कल अनुदानों सम्बन्धी काम जल्दी खत्म हो गया तो उनके बाद जारी रहेगा और अगर कल दिन भर उसमें लग गया तो परसों आज के विषय पर वाद विवाद जारी रहेगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ अप्रैल, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय जी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ३ के उत्तर में वर्णित सूची।

सूची

निम्नलिखित ९ ग्राम जिला फैजाबाद से आजमगढ़ में मिलाये गये हैं :—

१—ओरिल
२—रम्मोपुर
३—चक लहसुआ
४—चक चकिया
५—चक दुलहा
६—चक दुलहिन
७—देवदिह
८—चक किरता
९—मुहीउद्दीनपुर

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

भूदान यज्ञ में प्राप्त की गई तथा बांटी गई भूमि की सूची

क्रम-संख्या	जिला	दान की गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	भूदान समिति द्वारा वितरण की गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)
१	देहरादून	८७३	८७३
२	सहारनपुर ..	४,२०५	५८०
३	मुजफ्फरनगर ..	१९३	..
४	मेरठ	८०१	२२५
५	बुलन्दशहर ..	९,०५१	१,४३८
६	अलीगढ़	२,३१२	१,०२५
७	मथुरा	३६९	१२९
८	आगरा	७२१	५५३
९	मैनपुरी	८६५	३९३
१०	एटा	४,०६४	१,९६३
११	बरेली	१,१८६	९०
१२	बिजनौर ..	३,८२१	१११
१३	बदायूं	३११	१४९
१४	मुरादाबाद ..	१,७९१	५९५
१५	शाहजहांपुर ..	८९४	९९
१६	पीलीभीत ..	११,२३५	११,१३३
१७	रामपुर	५९	..
१८	फर्रुखाबाद ..	४४४	..
१९	इटावा	२२१	३३
२०	कानपुर	१०,२१३	३,३१६
२१	फतेहपुर	१०,३९६	३,६१०
२२	इलाहाबाद ..	१२,९४५	३,७८७
२३	झांसी	३,७६७	७५७
२४	जालौन	१०,३८९	३,६३२
२५	हमीरपुर ..	१९,९८७	७,५९०
२६	बांदा	१७,८४७	१,७६६
२७	बनारस	५,८५८	२,७१७
२८	मिर्जापुर ..	१,१६,७०८	६,३९२
२९	जौनपुर	२,६०८	५२६
३०	गाजीपुर ..	१,१७८	७६७
३१	बलिया	९३५	८७२
३२	गोरखपुर. . ..	४३७	१०८
३३	देवरिया	४,५१२	१०८
३४	बस्ती	१,१७७	१२१

क्रम-संख्या	जिला		दान की गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	भूदान समिति द्वारा वितरण की गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)
३५	आजमगढ़	..	७७२	४६२
३६	नैनीताल	..	५६६	२१४
३७	लखनऊ ..	..	१,३२८	२९१
३८	उन्नाव ..	..	५,६३९	..
३९	रायबरेली	..	२४,१८०	१४,१६२
४०	सीतापुर ..	..	१,०३७	११६
४१	हरदोई ..	..	९८३	९४३
४२	खीरी ..	..	१,३८२	१,०४३
४३	फैजाबाद	..	३,०५२	१,१४४
४४	गोंडा ..	..	४,९२९	२,३६०
४५	बहराइच. .	..	१,९४०	२२९
४६	सुल्तानपुर	..	१३,७८०	१,४११
४७	प्रतापगढ़	..	६,१६६	१,८०३
४८	बाराबंकी	..	२,७२३	९०५
४९	अलमोड़ा	..	३ (करीबन)	..
५०	गढ़वाल	..	२० ,,	..
५१	टेहरी-गढ़वाल	..	२९	५.४
	योग	..	३,३०,८९२	८०,५४६.४

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५६

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० कृषि आय-कर ऐक्ट, १९४८ को संशोधित करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० कृषि आय-कर ऐक्ट, १९४८, को उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६, और उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ द्वारा, संशोधित किया गया था।

और एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० कृषि आय-कर ऐक्ट, १९४८ में और भी अधिक संशोधन करना इष्टकर है।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह दिनांक ९ फरवरी, १९५६ को, तथा से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

यू० पी० ऐक्ट, ३, १९४९ की धारा २ का संशोधन।

२—यू० पी० कृषि आय-कर ऐक्ट, १९४८ (जिसे आगे से मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में खंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा से ही रखा गया समझा जाय :—

"(४) 'असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज आफ ए सब-डिवीजन' (परगना के अधिकारी सहायक कलेक्टर) का वही अर्थ होगा जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में उसके लिए है तथा इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का एडीशनल असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज आफ ए सब-डिवीजन भी है।

(४-क) 'कलेक्टर' का वही अर्थ होगा जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में उसके लिए है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त एडीशनल कलेक्टर भी हैं।"

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा १२ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) खंड (घ) के वर्तमान प्रतिबन्धक के अन्त में स्थित पूर्ण विराम के स्थान पर अर्ध विराम (,) रख दिया जाय, तथा तत्पश्चात् शब्द "और" बढ़ा दिया जाय, और

(२) खंड (घ) के पश्चात् नये खंड (ङ) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"कोई धनराशियां जिन्हें कोई ऐसा व्यक्ति किसी पूर्त (Charitable) प्रयोजन के निमित्त किसी संस्था या निधि को दान के रूप में दें, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड के अधीन छूट दी गयी ऐसी धनराशियों का योग दो सौ पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।"

४—धारा १५ की उपधारा (३-ख) में शब्द "जिसमें" और शब्द "कृषि की आय का" के बीच में शब्द "चाय बागान से होने वाली कृषि आय से भिन्न" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा १५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा २१ में उपधारा (५) के पश्चात् नयी उपधारा (६) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा २१ का संशोधन।

"(६) अपील का निस्तारण करने वाली आज्ञा की एक प्रति अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता पर तामील की जायगी।"

६—मूल अधिनियम की धारा २२ की— यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा २२ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में—

(क) प्रथम प्रतिबन्धक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी किसी भी अवस्था में जिसमें आज्ञा के विरुद्ध अपील की जा सकती थी, किन्तु तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रार्थी द्वारा की नहीं गयी थी, ऐसा कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं स्वीकार किया जायगा।"

(ख) वर्तमान प्रतिबन्धक (Proviso) को द्वितीय प्रतिबन्धक के रूप में प्रगणित कर दिया जाय, तथा उसमें शब्द "किन्तु प्रतिबन्ध यह है" के स्थान पर शब्द "और प्रतिबन्ध यह भी है" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (१) के पश्चात् नयी उपधारा (१-क) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१-क) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थनापत्र आज्ञा, जिसके सम्बन्ध में शिकायत की गयी हो, की तामीली से एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, किन्तु बोर्ड पर्याप्त कारण होने का प्रमाण मिलने पर ६ मास और तक के अन्दर प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है।

७—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "की समाप्ति से" और शब्द "के भीतर" के बीच में आये हुए शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा २५ का संशोधन।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा ३२ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"दण्ड की धनराशि की वसूली तथा इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि की वसूली का समय।

३२—(१) कर-निर्धारक-अधिकारी की प्रार्थना पर कलेक्टर किसी धनराशि को, जो धारा १७, ३१ अथवा ३७ के आदेशों (Provisions) के अधीन दण्ड के रूप में लगायी गई हो अथवा ऐसी दशा में जब कोई कर-दाता बकाया में हो तो कृषि आय-कर के बकाया को, उसी प्रकार उगाहेगा मानो वह मालगुजारी का बकाया हो।

(२) इस ऐक्ट के अधीन देय धनराशि को उगाहने की कोई कार्यवाही उस दिनांक से, जब कि धारा ३० के अधीन निर्धारित अन्तिम किस्त देय हो, एक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रारम्भ नहीं की जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर उल्लिखित एक वर्ष की अवधि की गणना—

(१) यदि करदाता धारा ३० की उपधारा (३) के प्रतिबन्धक के अधीन बकाया में न समझा गया हो तो, जब तक उसकी अपील पर निर्णय न हो जाय, उस दिनांक से की जायगी, जिस पर अपील का निर्णय हो जाय ;

(२) यदि किसी न्यायालय अथवा अन्य अधिकारी की आज्ञा से मामले में वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी हो, उस दिनांक से की जायगी जिस पर आज्ञा वापस ली गयी हो ;

(३) यदि किसी अधिकारी द्वारा कृषि आय-कर अदा करने का दिनांक आगे बढ़ा दिया गया हो, उस दिनांक से की जायगी जिस तक अदायगी के लिए समय बढ़ाया गया हो;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धक की किसी बात के प्रभाव-स्वरूप उस अवधि में कमी न होगी, जिसके भीतर वसूली की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है, अर्थात् उस दिनांक से जिस पर धारा ३० के अधीन निश्चित की गयी अन्तिम किस्त देय हुई हो, एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात्।"

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा ३६ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (१) में शब्द "किसी भी कार्यवाही में" के पश्चात् शब्द "—इस अध्याय के अधीन की गयी कार्यवाही को छोड़कर—" रख दिये जायं।

वैधीकरण (validation)।

१०--सन्देहों क निवारण के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि---

(क) संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय-कर नियम, १९४९ के नियम १८ में पदावलि "कलेक्टर" तथा "असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज आफ ए सब-डिवीजन" के अन्तर्गत क्रमशः "ऐडीशनल कलेक्टर" तथा "एडीशनल असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज आफ ए सब-डिवीजन" भी होंगे और यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उनके अन्तर्गत रहे हैं ;

(ख) इस अधिनियम की धारा २ द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन से पूर्व मूल अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन या अनुसार दी गयी समस्त आज्ञायें, किये गये कार्य या कार्यवाहियां, जारी किये गये आदेश अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार विधि की दृष्टि से उसी प्रकार ठीक और वैध समझे जायंगे, मानों धारा २ सभी सारवान (material) दिनांकों पर प्रवृत्ति रही हो।

(२) यदि परगने के इंचार्ज ऐडीशनल असिस्टेंट कलेक्टर अथवा एडीशनल कलेक्टर द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (२) के खंड (ण) के अधीन निर्मित्त नियम, अथवा धारा १४ के अधीन अधिकारों के अभिप्रेत प्रयोग में किये गये किसी कर-निर्धारण की मान्यता अथवा वैधता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे उसी प्रकार अवधारित किया जायगा, मानों इस अधिनियम की धारा २ के उपबन्ध सभी सारवान दिनांकों पर प्रवृत्त रहे हों।

कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन।

११--यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय अथवा अधिकारी ने मूल अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में ऐडीशनल कलेक्टर या एडीशनल असिस्टेंट कलेक्टर-इंचार्ज आफ ए सब-डिवीजन (परगना के अधिकारी सहायक कलेक्टर) द्वारा किये गये किसी कर-निर्धारण को इस आधार पर रद्द कर दिया हो कि कर-निर्धारक अधिकारी को कर-निर्धारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, तो कार्यवाही का कोई पक्ष (party) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ९० दिन के भीतर किसी भी समय, न्यायालय या अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन (review) करे, और वह न्यायालय या अधिकारी, जिसे प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तदनुसार कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन करेगा और पहले दी गयी आज्ञा को परिवर्तित अथवा पुनरीक्षित करते हुए, ऐसी आज्ञा, यदि कोई हो, देगा, जो अधिनियम की धारा २ तथा ८ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी किसी प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय अथवा अधिकारी प्रार्थना-पत्र के तथा कार्यवाही के व्यय के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित और ठीक समझे।

निरसन।

१२--उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानों यह उत्तर प्रदेश के अधिनियम द्वारा निरसित कोई अधिनियम हो।

उद्देश्य तथा कारण

यू० पी० कृषि आय-कर ऐक्ट, १९४८ का संशोधन पिछली बार सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश के एक ऐक्ट संख्या १८ द्वारा किया गया था। तभी से न्यायालयों ने दो प्रकार की शंकायें प्रकट की थीं। पहली एडीशनल कलेक्टरों तथा सब-डिवीजनल अफसरों के कर-निर्धारक-अधिकारी हो सकने की क्षमता के सम्बन्ध में थी तथा दूसरी कृषि आय-कर के आदेयों (dues) की वसूली की कालावधि (period of limitation) की गणना के सम्बन्ध में थी। इन तथा अन्य सन्देहों का निवारण करने के लिए इस वर्ष के आरम्भ में दो कृषि आय-कर संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित किये गये थे। अब उन अध्यादेशों के स्थान पर इस विधेयक की व्यवस्था करने का विचार है। इस विधेयक में अधिनियम की कार्यान्वित सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों को दूर करने के साथ ही, पुनरीक्षण के आवेदन पत्रों (revision applications) के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्धों (limitations) की भी व्यवस्था की गयी है और कर देने से बचा ली गयी आय पर कर-निर्धारण की वर्तमान सीमावधि २ वर्ष से बढ़ा कर ३ वर्ष कर दी गयी है।

चरण सिंह,
माल मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३० एल० ए०—१९५६—७९६।